M. A. Political Science (Previous)

Semester – II

Paper Code –

WESTERN POLITICAL THOUGHT - II

M.A. (Previous) Political Science

Semester-II

Paper-Western Political Thought-II

Unit	Syllabi	Page No.
I	**जॉन लॉक (John Locke)**	9-70
	1. मानव प्रकृति, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौते का सिद्धान्त (Human Nature, State of Nature and Social Contract Theory)	
	2. प्राकृतिक अधिकारों का सिंद्धान्त (Theory of Natural Rights)	
	3. सीमित सरकार का सिद्धान्त (Theory on Limited Government)	
	जीन जेक्स रूसो (Jean Jaques Rousseau)	71-120
	1. मानव प्रकृति, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौते का सिद्धान्त (Human Nature, State of Nature and Social Contract Theory)	
	2. सामान्य इच्छा का सिद्धान्त (Theory of General Will)	
II	**जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham)**	121-156
	1. उपयोगितावाद का सिद्धान्त (Theory of Utilitarianism)	
	जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill)	157-200
	1. बेन्थम के उपयोगितावाद में किए गए संशोधन (Modification in Bentham’s Utilitarianism)	
	2. स्वतन्त्रता का सिद्धान्त (Theory of Liberty)	

3. प्रतिनिधि शासन पर विचार (Ideas on Representative Government)

III हीगल (Hegel) 201-242

1. द्वन्द्वात्मक पद्धति (Dialectical Method)

2. राज्य का सिद्धान्त (Theory of State)

टी० एच० ग्रीन (T.H. Green) 243-276

अधिकार, स्वतन्त्रता तथा राज्य पर विचार (Views on Rights, Liberty and State)

IV कार्ल मार्क्स (Karl Marx) 277-342

1. द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धान्त (Theory of Dialectical Materialism)

2. ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धान्त (Theory of Historical Materialism)

3. वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त (Theory of Class Struggle)

4. राज्य का सिद्धान्त (Theory of State)

ईकाई–1

अध्याय– 1

जॉन लॉक

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 जीवन परिचय

1.4 अध्ययन पद्धति

1.5 समकालीन परिस्थितियां

1.6 मानव स्वभाव की अवधारणा

1.7 प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा

1.8 प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त

1.9 सामाजिक समझौते का सिद्धान्त

1.10 राज्य का सिद्धान्तः सीमित राज्य

1.11 सरकार का सिद्धान्त

1.12 लॉक : क्रान्ति के दार्शनिक के रूप में

1.13 लॉक : एक व्यक्तिवादी के रूप में

1.14 लॉक का महत्व और देन

1.15 निष्कर्ष

1.16 शब्दावली

1.17 स्वमूल्यांकन

1.18 सन्दर्भ सूची

अध्याय– 2
जीन जेक्स रूसो

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 जीवन परिचय

2.4 अध्ययन पद्धति

2.5 मानव प्रकृति की अवधारणा

2.6 प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा

2.7 सामाजिक समझौते का सिद्धान्त

2.8 सामान्य इच्छा का सिद्धान्त

2.9 सम्प्रभुंता का सिद्धान्त

2.10 रूसो का महत्व और योगदान

2.11 निष्कर्ष

2.12 शब्दावली

2.13 स्वमूल्यांकन

2.14 सन्दर्भ सूची

ईकाई– 2
अध्याय – 3
जेरमी बैंन्थम

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 जीवन परिचय

3.4 अध्ययन पद्धति

3.5 प्रेरणा स्रोत

3.6 उपयोगिता का सिद्धान्त

3.7 बेन्थम के राजनीतिक विचार

3.8 बेन्थम एक सुधारक के रूप में

3.9 बेन्थम का योगदान

3.10 निष्कर्ष

3.11 शब्दावली

3.12 स्व–मूल्यांकन

3.13 सन्दर्भ सूची

अध्याय– 4
जॉन स्टुअर्ट मिल

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 जीवन परिचय

4.4 मिल पर प्रभाव

4.5 अध्ययन पद्धति

4.6 मिल द्वारा बैन्थम के उपयोगितावाद में किया गया संशोधन

4.7 स्वतंत्रता का सिद्धान्त

4.8 मिल के प्रतिनिधि शासन पर विचार

4.9 मिल का योगदान

4.10 निष्कर्ष

4.11 शब्दावली

4.12 स्वमूल्यांकन

4.13 सन्दर्भ सूची

ईकाई – 3
अध्याय – 5
हीगल

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 जीवन परिचय

5.4 हीगल पर प्रभाव

5.5 हीगल के राजनीतिक विचारों का दार्शनिक आधार

5.6 द्वन्दात्मक पद्धति

5.7 राज्य का सिद्धान्त

5.8 सम्प्रभुता और शासन पर विचार

5.9 इतिहास का सिद्धान्त

5.10 स्वतन्त्रता का सिद्धान्त

5.11 हीगल का योगदान

5.12 निष्कर्ष

5.13 शब्दावली

5.14 स्व–मूल्यांकन

5.15 सन्दर्भ सूची

अध्याय – 6
टी.एच.ग्रीन

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 जीवन परिचय

6.4 ग्रीन के दार्शनिक प्रेरणा स्रोत

6.5 ग्रीन का आध्यात्मिक सिद्धान्त

6.6 स्वतन्त्रता का सिद्धान्त

6.7 अधिकारों सम्बन्धी सिद्धान्त

6.8 राज्य सम्बन्धी सिद्धान्त

6.9 प्राकृतिक कानून सम्बन्धी विचार

6.10 सामान्य इच्छा पर विचार

6.11 दण्ड सम्बन्धी विचार

6.12 युद्ध पर विचार

6.13 सम्पति सम्बन्धी विचार

6.14 ग्रीन का योगदान

6.15 निष्कर्ष

6.16 शब्दावली

6.17 स्वमूल्यांकन

6.18 सन्दर्भ सूची

ईकाई –4

अध्याय – 7

कार्ल मार्क्स

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 जीवन परिचय

7.4 मार्क्स के विचारों के प्रेरणा स्रोत

7.5 कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद

7.6 द्वन्दात्मक भौतिकवाद

7.7 ऐतिहासिक भौतिकवाद

7.8 वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त

7.9 मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त

7.10 समाजवादी समाज की अवधारणा

7.11 सर्वहारा वर्ग की तानाशाही

7.12 वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज

7.13 कार्ल मार्क्स का योगदान

7.14 निष्कर्ष

7.15 शब्दावली

7.16 स्व–मूल्यांकन

7.17 सन्दर्भ सूची

ईकाई – 1

प्रस्तावना (Introduction)

राज्य की उत्पत्ति से सम्बन्धित अनेकों सिद्धान्त भिन्न–भिन्न राजनीतिक चिंतन के इतिहास में रहे हैं। किसी काल में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। किसी राजनीतिक चिंतन के युग में राज्य की उत्पति के विकासात्मक सिद्धान्त को माना गया। परन्तु समझौतावादियों के रूप में राजनीतिक चिंतन के कालक्रम में एक ऐसे सिद्धान्त का निर्माण हुआ जो राज्य की उत्पत्ति का आधार व्यक्तियों की आपसी सहमति पर आधारित समझौते को मानता है। यह एक अकाल्पनिक सिद्धान्त के रूप में सामने आया जिसने व्यक्तिवाद की नींव रखी तथा प्रथम बार यह माना गया कि व्यक्तियों को राज्य की आज्ञा का पालन इसी कारण करना चाहिए कि यह सहमति पर आधारित है न कि उन पर किसी बाहरी शक्ति के द्वारा थोपा गया है। इस ईकाई में समझौतावादियों की कड़ी में ही दो अन्य महत्वपूर्ण विचारकों जॉन लॉक तथा रूसो का अध्ययन किया जायेगा।

उद्‌देश्य (Objective)

1. तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों को जानना।
2. राज्य की आज्ञापालन के एक नए आधार को खोजना।
3. व्यक्तिवाद तथा अधिनायकवाद जैसे सिद्धान्तों का अध्ययन करना।

अध्याय – 1

जॉन लॉक (John Locke)

1.1 प्रस्तावना (Introduction).

जॉन लॉक केवल राजनीतिक विचारक और अनुभववादी तत्वेत्ता ही नहीं हैं अपितु पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की आधुनिक सैंविधानिक विचारधारा के निर्माण में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। लोकतांत्रिक, राजनीतिक सत्ता का समर्थन कर, जॉन लॉक ने आधुनिक लोकतंत्र समर्थकों में एक अत्यन्त गौरवमयी स्थान प्राप्त किया है। उसने राज सत्ता को सहमति पर आधारित बताते हुए दण्डवाद, निरंकुश शासन प्रणाली तथा दैवीय सिद्धान्त का प्रबल विरोध किया है। उसके विचारों पर इंग्लैंड ने विहग दल के कार्यकलापों का प्रभाव पड़ा। इसी कारण उसने शासन में सहिष्णुता, शक्तियों के पृथ्क्करण, संविधानवाद जैसे विचारों का समर्थन किया।उसने मानवाधिकारों का खुलकर समर्थन किया तथा इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार बताते हुए शासक को इनकी रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। इन अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिकों को विद्रोह करने का भी एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया। मानवीय स्वतंत्रता के इस समर्थक को ''उदारवाद की आत्मा'' ठीक ही कहा जाता है। इबन्सटीन के शब्दों में ''उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक व सर्वश्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिबिम्बित हुई है।''

1.2 उद्देश्य (Objectives)–

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होगें।

- जॉन लॉक के जीवन काल से परिचित होगें।
- जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धान्त, क्रान्ति के सिद्धान्त तथा उदारवादी, व्यक्तिवादी विचारों से परिचित होगें।

1.3 जीवन परिचय (Life History)

सामाजिक समझौता सिद्धान्त के प्रतिपादक जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त, 1632 में सामरसेंट शयर के रिंग्टन नामक स्थान पर एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। जब लॉक का जन्म हुआ, उस समय हॉबस की आयु 43 वर्ष थी और ब्रिटिश संसद अपने अधिकारों के लिए राजा के साथ संघर्ष कर रही थी। जब लॉक की आयु 12 वर्ष थी, इंग्लैण्ड में गृहयुद्ध शुरू हो गया। अपनी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त करके लॉक ने 15 वर्ष की आयु में वेस्ट मिन्स्टर स्कूल में प्रवेश किया। लॉक ने 1652 ई० में 20 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु गया। उसने वहाँ यूनानी भाषा, दर्शनशास्त्र तथा अलंकारशास्त्र का अध्यापक कार्य किया, परन्तु उस समय के संकीर्ण अनुशासन ने औपचारिक अध्ययन के लिए उसके उत्साह को मन्द कर दिया। उसने 1656 में बी०ए० तथा 1658 में एम०ए० की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यूनानी भाषा, काव्यशास्त्र और दर्शनशास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इसके बाद लॉक ने एक चर्च में बिशप बनने का प्रयास किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। 1660 में डेविड टॉमस नामक डॉक्टर के सम्पर्क में आने पर उसने चिकित्साशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके इस क्षेत्र में अपनी रूचि बढ़ाई और एक सफल चिकित्सक बन गया। चिकित्सक के नाते सन् 1666 में उसके सम्बन्ध उस समय के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और विग दल के संस्थापक लार्ड एश्ली से हुए। इसके बाद आगामी 15 वर्षों तक लॉक उनका निजी डॉक्टर रहा। उसने इस दौरान एश्ली के विश्वस्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। इससे उसको ब्रिटिश राजनीति को राजनीतिज्ञों को जानने का मौका मिला। 1672 में एश्ली चांसलर बने तथा लॉक ने उनकी कृपा से कतिपय महत्त्वपूर्ण शासकीय पदों पर कार्य किया। परन्तु रोमन कैथोलिक चर्च का पक्ष लेने की राजा की प्रवृति का विरोध करने के कारण उसे 1673 में चांसलर के पद से हटा दिया गया। लॉक पर भी इसका प्रभाव पड़ा। लॉक इसके बाद 1675 में स्वास्थ्य लाभ हेतु फ्रांस चला गया और 1679 तक वहाँ रहा। वापिस लौटने पर उसे पुराने पद पर बिठाया गया। इस दौरान इंग्लैण्ड में राजनीतिक

विद्रोह की आग फिर से भड़क गई और राजा ने एश्ली ने नाराज होकर 1681 में उसे पदा से हटा दिया और प्रोटैस्टैण्ट धर्म का समर्थन करने के कारण उसे राजद्रोह का दोषी मानकर उस पर मुकद्दमा चलाया गया। बाद में मुक्त होकर वह हालैण्ड पहुँचा और 1688 तक वहीं रहा। इस दौरान उसने हालैण्ड में देश निर्वासित राजनीतिज्ञों से भेंट की। इस दौरान वह विलियम ऑफ ऑरेंज के सम्पर्क में आया। 1688 में इंग्लैण्ड की रक्तहीन क्रान्ति (Bloodless Revolution) के सफल होने पर तथा विलियम ऑफ ऑरेंज द्वारा निमन्त्रण भेजे जाने पर वापिस इंग्लैण्ड लौट आया। वहाँ पर लॉक को ' कमिश्नर ऑफ अमील्स' का पद दिया गया। 1700 में स्वास्थय की कमजोरी के कारण उसने इस पद से त्याग – पत्र दे दिया और 1704 में 72 वर्ष की उम्र में इस महान दार्शनिक की मृत्यु हो गई।

महत्त्वपूर्ण रचनाएँ (Important Works)

इंग्लैण्ड से लौटकर लॉक ने लेखन कार्य किया। लॉक ने राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शनशास्त्र आदि विषयों पर 30 से अधिक ग्रन्थ लिखे। यद्यपि उसकी सारी कृतियाँ 50 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रकाशित हुई। उसके महत्त्वपूर्ण लेखन कार्य के कारण उसकी गिनती इंग्लैण्ड के महान् लेखकों में की जाती है। लॉक के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निम्नलिखित हैं :–

1. **मानव स्वभाव के सम्बन्ध में निबन्ध (Essay Concerning Human Understanding, 1690)** : इस पुस्तक की रचना लॉक ने 1687 में की लेकिन यह 1690 में प्रकाशित हुई।
2. **शासन पर दो निबन्ध (Two Treatise on Government, 1690) :** यह रचना लॉक की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना है। पहले निबन्ध में लॉक ने फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकारों का खण्डन किया है। दूसरे निबन्ध में राजा की निरंकुशता का विरोध किया गया है। इस ग्रन्थ में लॉक ने हॉब्स के निंरकुशवाद का विरोध तथा 1688 की रक्तहीन क्रान्ति (Bloodless Revolution) के बाद इंग्लैण्ड के सिंहासन पर राजा विलियम के सत्तारूढ़ होने के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है। वॉहन ने लॉक की

इस रचना को दोनाली बन्दूक कहा है, जिसकी एक नली फिल्मर द्वारा लिखित पुस्तक 'पेट्रो आर्का' में प्रतिपादित राजा के दैवी अधिकारों का खण्डन करने के लिए तथा दूसरी नली हॉब्स द्वारा लिखित 'लेवियाथन' में प्रतिपादित निरंकुशवाद का विरोध करने के लिए है। लॉक का दूसरा निबन्ध राजनीतिक चिन्तन की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सरकार के मूल प्रश्नों को उठाया गया है तथा राजसत्ता व कानून के औचित्य को सिद्ध करके बताया गया है कि राज्य की आज्ञा का पालन क्यों अनिवार्य है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० पीटर लॉस्लेट ने कहा है कि यह पुस्तक 1683 में ही लिखी गई लेकिन स्टुअर्ट सम्राटों के दण्ड के भय से प्रकाशित नहीं की गई। यह ग्रन्थ 1688 ई० की इंग्लैण्ड की गौरवपूर्ण क्रान्ति (Glorious Revolution) को सैद्धान्तिक आधार प्रदान करती है। लॉक ने स्वयं इस ग्रन्थ के प्राक्कथन में लिखा है – "यह पुस्तक विलियम ऑफ ऑरेंज के सत्तारूढ़ होने की औचित्य सिद्ध करने का प्रयास है।"

3. **सहिष्णुता पर पहला पत्र (First letter on Toleration, 1689) :** 1689 ई० में लॉक ने हालैण्ड में ही लैटिन भाषा में यह पुस्तक प्रकाशित करवाई।
4. **सहिष्णुता पर दूसरा पत्र (Second letter on Toleration, 1690)**
5. **सहिष्णुता पर तीसरा पत्र (Third letter on Toleration, 1692)**
6. **सहिष्णुता पर चौथा पत्र (Fourth letter on Toleration, 1692)**
7. **कैरोलिना का मौलिक संविधान (The Fundamentals of Constitution of Caroline, 1692)**

शिक्षा से सम्बन्धित कतिपय विचार (Some Thoughts Concerning Education, 1693) : यह लॉक की अन्तिम रचना है।

उपर्युक्त सभी ग्रन्थों में लॉक की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना 'शासन पर दो निबन्ध' है।

1.4 अध्ययन पद्धति (Method of Study)

जहाँ हॉब्स की पद्धति तार्किक, दार्शनिक एवं चिन्तानात्मक है, वहाँ लॉक की पद्धति अनुभववादी व बौद्धिक है। लॉक के अनुसार मानव ज्ञान, अनुभव द्वारा सीमित होता है। अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉक के अनुसार अनुभव ज्ञान का स्त्रोत है और अनुभव से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लॉक के अनुसार मानव एक कोरे कागज की तरह है, जिसमें जन्मजात कोई विचार नहीं होता। सभी विचारों की उत्पत्ति दो स्त्रोतों से होती है : (1) संवेदना (Sensation) से और (2) (Perception) प्रत्यक्ष बोध से । इन स्त्रोतों द्वारा प्राप्त अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं जो उसमें चेतना तथा प्रतिबिम्ब उत्पन्न करते हैं। बुद्धि द्वारा मस्तिष्क में तब उन विचारों का विश्लेषण होता है एवं तुलना होती है। फलस्वरूप जटिल विचार उत्पन्न होकर ज्ञान का साधन बनते हैं। ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब बुद्धि अपने विचारों की परस्पर तुलना करके उनके परस्पर मतैक्य तथा मतवैभिन्य देखती है। यहीं ज्ञान लॉक की अनुभववादी पद्धति का आधार है।

लॉक की अनुभववादी पद्धति में तीन मुख्य बातें हैं। (i) ज्ञान की उत्पत्ति का एक मात्र स्त्रोत अनुभव है। कोई भी विचार अंतर्जात नहीं होता। स्वतः साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। विचार इन्द्रिय सापेक्ष होता है और उसकी उत्पत्ति अनुभव से होती है। (ii) ज्ञान का स्वभाव विवेकसम्मत होता है। वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है। जबकि बुद्धि विचारों में पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना करती है। (iii) ज्ञान का क्षेत्र उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा है। लॉक के अनुसार मनुष्य एक ससीम प्राणी है जो इस अनंत, असीम और महान् ब्रह्माण्ड की सभी बातों को जान नहीं सकता है। इसलिए व्यक्ति का ज्ञान उसके अज्ञान की तुलना के स्वल्प है।

लॉक की अध्ययन पद्धति हॉब्स की अध्ययन पद्धति से भिन्न थी। लॉक हॉब्स की तरह एक दार्शनिक नहीं है। उसमें हॉब्स की तरह मौलिकता नहीं है। लॉक का विचार न तो गहन अध्ययन का प्रतिफल है, न तर्क का। वह सिर्फ व्यावहारिक बुद्धि का धनी है। जहाँ हॉब्स ने वैज्ञानिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक पद्धति को अपनाया, वहीं लॉक की अध्ययन और विचार – पद्धति अनुभवजन्य, मनोवैज्ञानिक तथा बुद्धिपरक है। लॉक ने प्रबुद्ध विचारकों के विचारों व विश्वासों को सरल,

गम्भीर और हृदयग्राही वाणी दी है। इसके बाद भी लॉक की पद्धति में कुछ दोष हैं। प्रथम, यद्यपि लॉक ने यह बताया है कि विचार की उत्पत्ति अनुभव से होती है, तथापि उसने सम्पूर्ण अनुभूतिजन्य ज्ञन की निश्चितता को स्वीकार नहीं किया। द्वितीय, लॉक की पद्धति की मौलिक त्रुटि यह भी है कि वह संगत नहीं है। शुद्ध तर्क की दृष्टि से उसके विचार पूर्णतया असंगत है। इस प्रकार लॉक ने ज्ञान ने क्षेत्र को उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा माना है। यदि अनुभव आधारित ज्ञान का क्षेत्र सीमित है, तो उस पर विश्वास क्यों किया जाए। लॉक ने बहुत सी अनुभव प्रधान मान्यताओं को स्वयंसिद्ध मानकर गलती की है। अतः उसका विचार अपूर्ण तथा असंगत होने के दोषी हैं। लेकिन संगीत के अभाव में भी विचार पूर्णतः गलत नहीं हो सकता। लॉक की अनुभववादी पद्धति अपनी दोषों के बाद भी एक महत्त्वपूर्ण पद्धति है।

1.5 समकालीन परिस्थितियाँ (Contemporary Situations)

किसी भी विचारक के दर्शन या चिन्तन पर उसके आस – पास की घटनाओं, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। लॉक भी हॉब्स की तरह इंग्लैण्ड की तत्कालीन परिस्थितियों से पूरी तरह प्रभावित दिखाई देता है। लॉक ने अपने शैशव में गृहयुद्ध, यौवन में क्रामवैल का शासन तथा राजतन्त्र की पुनः स्थापना एवं बुढ़ापे में 1688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ देखीं। इनका उसके विचारों पर काफी प्रभाव पड़ा। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन निम्नलिखित हैं :–

(1) **गौरवपूर्ण क्रान्ति (Glorious Revolution)** : हॉब्स के समय में इंग्लैण्ड में गृहयुद्ध के कारण अराजकता, हिंसा और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी। इसलिए हॉब्स ने व्यक्ति के जान और माल की सुरक्षा के लिए एक निंरकुशवादी व्यवस्था का समर्थन किया। लेकिन लॉक के समय में इंग्लैण्ड में शांति का वातावरण था। उसने 1688 में इंग्लैण्ड में रक्तहीन क्रान्ति या गौरवमय क्रान्ति को देखा था। उसने देखा कि इस क्रान्ति में बिना हिंसा, रक्तपात सत्ता सम्राट से इंग्लैण्ड की संसद के हाथों में चली गई। इस

क्रान्ति से लॉक ने यह महसूस किया कि सत्ता में परिवर्तन शांतिमय व प्रजातन्त्रीय तरीके से भी हो सकता। इसलिए हॉब्स के विपरीत उसने प्रजातन्त्रीय व्यवस्था का समर्थन किया।

(2) **नवीन बौद्धिक क्रान्ति (New Intellectual Revolution)** : 17 वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में यूरोप में आने वाली नवीन बौद्धिक क्रान्ति का लॉक पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस क्रान्ति का उद्देश्य धार्मिक व राजनीतिक कट्टरता का विरोध और सहिष्णुता तथा उदारवाद का समर्थन करना था।

(3) **विग विचारधारा (Whig Ideology):** लॉक का पारिवारिक वातावरण अत्यन्त उदावादी था। उसके पिता संसदीय दल विग के समर्थक थे। यह दल इंग्लैण्ड में उदारवादी सिद्धान्तों के लिए प्रसिद्ध था। लॉक का पूरा परिवार इस दल के कार्यक्रम व नीतियों से प्रभावित था। लॉक स्वयं इसके प्रभाव से कैसे बच सकते थे। अतः इस दल की विचारधारा का लॉक के दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

(4) **पूर्ववर्ती विचारकों का प्रभाव (Influence of Predecessors)** : लॉक ने हूकर के जनसहमति के सिद्धान्त को शासन का आधार माना। लॉक ने स्वीकार किया कि शासक का उद्देश्य जन – कल्याणकारी होना चाहिए। उसका सम्पूर्ण चिन्तन सिडनी व हुकर में जन – सहमति के सिद्धान्त पर आधारित है।

यह माना जाता है कि लॉक का चिन्तन मौलिक नहीं है। किन्तु लॉक अपने युग की राजनीतिक – प्रवृति, घटना – चक्र एवं सामाजिक उतार – चढ़ाव की जटिलता एवं उसके दूरगामी प्रभाव को समझने में पूर्ण सफल रहा। सामन्वादी व्यवस्था के अस्त होने एवं पूंजीवादी के उदय से उत्पन्न हुई राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की समझ उसे थी और यही उसके चिन्तन का आधार बने। फ्रेडरिक एंग्लेस ने लॉक के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि "लॉक धर्म और राजनीति दोनों में ही 1688 के वर्गीय समझौते की सन्तान है।" लॉक का सम्पूर्ण चिन्तन उसके पारिवारिक वातावरण, तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक वातावरण तथा उस समय के नवीन बौद्धिक क्रान्ति के प्रभाव से ग्रस्त है।

1.6 मानव स्वभाव का अवधारणा (Conception of Human Nature)

लॉक के मानव स्वभाव पर विचार हॉब्स से सर्वथा विपरीत हैं। लॉक के मानव स्वभाव पर विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तक 'मानव – विवेक से सम्बन्धित निबन्ध' (Essay Concerning Human Nature) में पाए जाते हैं। लॉक का यह विश्वास है कि मनुष्य एक बुद्धियुक्त सामाजिक प्राणी है। अतः वह एक नैतिक व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। वह स्वार्थी, स्पर्धात्मक तथा लड़ाकू नहीं है। वह अन्य प्राणियों के प्रति सद्भावना युक्त तथा प्रेमयुक्त होता है तथा वह परोपकार और न्याय की भावना को ग्रहण कर लेता है। वह अन्यों के प्रति शांति तथा सौहार्द बनाए रखना चाहता है और स्वयं को एक सामाजिक बन्धन में बाँध कर रखता है। उदारवादी विचारक होने के नाते लॉक के विचार मानव – प्रकृति के बारे में व्यक्ति की गरिमा एवं गौरव के अनुरूप हैं।

लॉक के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, क्योंकि वह अपने हित को समझता है और यदि उसे स्वतन्त्र रहने दिया जाए तो वह अपना हित – साधन करने में समर्थ है। अपने अनुभव के आधार पर मानव – बुद्धि विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालने में पूर्ण समर्थ है। मानव – प्रकृति के बारे में लॉक का दृष्टिकोण नैतिकतावादी है। लॉक का मानना है कि अपनी नैतिक प्रवृति के कारण ही मानव पशुओं से अलग है। मानव विश्व व्यवस्था का एक अंग है वह सारा संसार एक नैतिक व्यवस्था है। मानवीय विवेक इस विश्व नैतिक व्यवस्था और मानव में सम्बन्ध स्थापित करता है। लॉक का कहना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते इस विश्व व्यवस्था में आवश्यकता पड़ने पर एक – दूसरे की सहायता करने को तैयार हो जाता है, लेकिन कभी – कभी उसमें शत्रुता, द्वेष, हिंसा तथा परस्पर भर्त्सना भी हावी हो जाती है। किन्तु अपनी नैतिक प्रवृति, विवेक एवं भौतिक आवश्यकताओं के कारण वह समाज से बाहर जाना नहीं चाहता। वह समाज में रहकर अपने को सामाजिक मानदण्डों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है।

लॉक का मानना है कि विवेकशील प्राणी होने के नाते अपने अस्थायी स्वार्थपन को त्यागकर समाज का अभिन्न अंग बना रहता है। लॉक का कहना है कि सभी मानव जन्म से एक – दूसरे के समान हैं – शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु नैतिक दृष्टिकोण से। प्रत्येक व्यक्ति एक ही गिना जाता है। अतः वह नैतिक दृष्टि से एक – दूसरे के बराबर है। कोई भी किसी दूसरे की इच्छा पर आश्रित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएँ हैं। ये समस्त इच्छाएँ मानवीय क्रियाओं का स्त्रोत हैं। इच्छा पूर्ण होने पर व्यक्ति सुख तथा पूरा न होने पर दुःख का अनुभव करता है। इसलिए मनुष्य हमेशा सुख प्राप्ति के प्रयास ही करता है। मानव सदैव उन्हीं कार्यों को करता है जिनसे उसे आनन्द मिले और दुःख दूर हो। लॉक का कहना है कि मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिससे सामूहिक प्रसन्नता प्राप्त हो क्योंकि सामूहिक प्रसन्नता ही कार्यों की अच्छाई – बुराई का मापदण्ड है।

लॉक के अनुसार सभी मनुष्य सदा बौद्धिक रूप से विचार कर सुख की प्राप्ति नहीं करते। मनुष्य वर्तमान के सुख को भविष्य के सुख से एवं समीप के सुख को दूर के सुख से अधिक महत्त्व देते हैं। इससे व्यक्तिगत हित सार्वजनिक से मिल जाते हैं। अतएव लॉक ने कहा है कि जहाँ तक सम्भव हो मनुष्यों को दूरस्थ हितों से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्तिगत हित एव सार्वजनिक हित में समन्वय स्थापित हो सके। मनुष्य को दूरदर्शी, सतर्क और चतुर होना चाहिए। लॉक को मनुष्य की स्वशासन की योग्यता पर पूरा भरोसा है। उसका मानना है कि अपनी बुद्धि और विवेकशीलता द्वारा मनुष्य अपने कर्त्तव्यों और प्राकृतिक कानूनों का पालन कर सकता है। वह अपनी इच्छानुसार कार्यों को करने से ही अपना जीवन शान्तिमय बना सकता है।

मानव स्वभाव की अवधारणा के निहितार्थ

(Implications of conceptions of Human Nature)

लॉक की मानव प्रकृति अवधारणा की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :–

1. मनुष्य एक सामाजिक तथा विवेकशील प्राणी है (Man is a Social and Rational Human Being) |

2. मनुष्य शांति एवं भाईचारे की भावना से रहना चाहता है (Man wants to live in Piece and Harmony) I

3. मनुष्य के स्वार्थी होते हुए भी उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति तथा परोपकार की भावना है।

4. सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान होते हैं (All Human beings are Morally Equal) I

लॉक तथा हॉब्स की मानव स्वभाव की तुलना

(Comparison of Human Nature of Locke and Hobbes)

हॉब्स तथा लॉक के मानव स्वभाव की अवधारणा के अध्ययन के बाद निम्नलिखित अन्तर देखने को मिलते हैं :–

1. हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी तथा आत्मकेन्द्रित बताया है, लेकिन लॉक ने उसे परोपकारी तथा सदाचारी बताया है।

2. हॉब्स मनुष्य को असामाजिक तथा बुद्धिहीन प्राणी कहता है, लेकिन लॉक उसे साामाजिक तथा विवेकशील प्राणी बताता है।

3. हॉब्स मनुष्य को पशु के समान मानता है, लेकिन लॉक उसे नैतिक गुण सम्पन्न मानता है।

4. हॉब्स मनुष्यों की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के आधार पर सभी मनुष्यों को समान मानता है, लेकिन लॉक इसका विरोध करते हुए केवल नैतिक रूप से सभी को समान मानता है।

मानव स्वभाव की अवधारणा की आलोचनाएँ

(Criticisms of Conception of Human Nature)

लॉक के मानव स्वभाव विचारों की निम्नलिखित आलोचनाएँ की गई है :–

1. **लॉक का नैतिकता का सिद्धान्त सन्देहपूर्ण एवं अस्पष्ट है :** लॉक नैतिक रूप से सभी मनुष्यों को समान मानता है लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं करता कि अच्छाई की कसौटी क्या है। इसलिए यह सिद्धान्त सन्देहपूर्ण एवं अस्पष्ट है। इसमें वैचारिक स्पष्टता का पूर्णतः अभाव है।

2. **लॉक के मानव–प्रकृति सम्बन्धी विचारों में विरोधाभास व अंसगति है :** लॉक मनुष्य को एक तरफ तो परोपकार, शान्त एवं सद्भावी प्रकृति का मानता है और दूसरी ओर उसका मानना है कि व्यक्ति स्वार्थी है। इससे वैचारिक असंगति एवं विरोधाभास का जन्म होता है।

3. **लॉक की मानव प्रकृति की अवधारणा एक पक्षीय है :** लॉक ने भी हॉब्स की तरह ही मानव स्वभाव के एक पक्ष पर ही विचार किया है। लॉक मानव स्वभाव को अच्छा बताता है। परन्तु मानव में सहयोगी, स्नेही, विवेकपूर्ण एवं सामाजिक प्राणी होने के अलावा दैत्य प्रवृतियाँ भी हैं। लॉक ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि मानव दैत्य और देव प्रकृतियाँ दोनों का मिश्रण है। उसकी नजर में मानव केवल अच्छाइयों का प्रतीक है। इस कथन का कोई ऐतिहासिक प्रमाण लॉक के पास नहीं है।

4. **लॉक उपयोगितावाद को बढ़ावा देता है :** लॉक की दृष्टि में मनुष्य सदैव सुख प्राप्ति के ही कार्य करता है। वह मानव जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति ही मानता है। इससे उपयोगितावाद को ही बढ़ावा मिलता है।

5. लॉक का अपने इस मत के लिए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार नहीं है।

उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद लॉक के मानव व स्वभाव पर विचार काफी महत्त्वपूर्ण है। लॉक ने मानव स्वभाव के दैवीय गुणों का वर्णन करते हुए व्यक्ति को एक सामाजिक प्रणाली है। लॉक के इस सिद्धान्त में मानव – प्रकृति का चित्रण लॉक को व्यक्तिवादियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। लॉक का चिन्तन मनुष्य के सामाजिक होने पर केन्द्रित है। आधुनिक राजनीतिक चिन्तन में लॉक के मानव – प्रकृति पर विचारों की अमूल्य देन है।

1.7 प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा (Conception of State of Nature)

हॉब्स की तरह लॉक भी अपने राजनीति दर्शन का प्रारम्भ प्राकृतिक अवस्था से करता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा हॉब्स की प्राकृतिक दशा की धारणा से बिल्कुल विपरीत है। लॉक का विश्वास है कि मनुष्य एक बुद्धियुक्त प्राणी

है और वह नैतिक अवस्था को मानकर उसके अनुसार रह सकता है। लॉक अपने विचारों में हॉब्स से अलग मौलिकता के आधार पर है। लॉक के अनुसार – "जब मनुष्य पृथ्वी पर अपनी बुद्धि के अनुसार बिना किसी बड़े तथा अपना निर्णय स्वयं करने के अधिकार के साथ रहते हैं, वही वास्तव में प्रारम्भिक अवस्था है।" यह कोई असम्भव तथा जंगली लोगों का वर्णन नहीं है बल्कि नैतिकता तथा विवेकपूर्ण ढंग से रहने वाली जाति का वर्णन है। उनका पथ – प्रदर्शन करने वाला प्रकृति का कानून है। "यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ प्रत्येक पूर्ण स्वाधीनता के साथ अपने कार्यों पर नियन्त्रण कर सकता है तथा अपनी इच्छानुसार अपनी वस्तुओं का प्रकृति के कानून के अन्तर्गत बिना किसी अन्य हस्तक्षेप के तथा दूसरों पर निर्भर रहते हुए विक्रय कर सकता है या दूसरों को दे सकता है।" यही समानता की अवस्था है। यह सभी के साथ युद्ध की अवस्था नहीं है।

लॉक के अनुसार "मानव प्रकृति सहनशील, सहयोगी, शांतिपूर्ण होने से प्राकृतिक दशा, शान्ति, सद्भावना, परस्पर सहायता तथा प्रतिरक्षण की अवस्था थी। जहाँ हॉब्स के लिए मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन – मलीन तथा अल्प था, वहाँ लॉक के लिए प्रत्येक का जीवन सन्तुष्ट तथा सुखी था। प्राकृतिक अवस्था के मूलभूत गुण 'शक्ति और धोखा' नहीं थे, बल्कि पूर्णरूप से न्याय तथा भ्रातत्व की भावना का साम्राज्य था। यह सामाजिक तथा नैतिक दशा थी, जहाँ मनुष्य स्वतन्त्र, समान व निष्कपट था। यह 'सद्भावना', 'सहायता और आत्मसुरक्षा की दशा थी, जहाँ मनुष्य, सुखी एवं निष्पाप जीवन व्यतीत करते थे। लॉक के लिए प्रारम्भिक अवस्था सौहार्द तथा सह– अस्तित्व की है अर्थात् युद्ध की स्थिति न होकर शान्ति की अवस्था है। लॉक की प्रारम्भिक अवस्था पूर्ण सामाजिक न होकर पूर्व राजनीतिक अवस्था है। इसमें मनुष्य निरन्तर युद्ध नहीं करता बल्कि इसमें शान्ति और बुद्धि ज्ञान का साम्राज्य है। प्रकृति का कानून राज्य के कानून के विपरित वही है। प्रकृति के कानून का आधारभूत सिद्धान्त मनुष्यों की समानता है। लॉक ने 'शासन पर दो निबन्ध' नामक ग्रन्थ में लिखा है – "जैसा कि सिद्ध हो चुका है मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ जन्म लेता है तथा प्रकृति के कानून के उपयोग और प्रयोग पर उसका बिना प्रतिबन्ध के विश्व में अन्य किसी मनुष्य अथवा मनुष्यों

के समान अधिकार है। अन्य मनुष्यों के समान ही उसे सम्पत्ति को सुरक्षित रखने अर्थात् जीवन, स्वाधीनता और सम्पत्ति की अन्य लोगों के आक्रमण से केवल सुरक्षा का ही अधिकार प्रकृति से नहीं मिला बल्कि उसका उल्लंघन करने वालों को दण्ड का अधिकार भी मिला है।" प्रारम्भिक अवस्था में केवल वैचारिक, शारीरिक शक्ति तथा सम्पत्ति की ही समानता नहीं थी बल्कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी थी। सम्पत्ति, जीवन तथा स्वतन्त्रता का अधिकार मनुष्य का जन्मजात अपिरवर्तनीय अधिकार था। इन अधिकारों के साथ – साथ इस अवस्था में कर्त्तव्य एवं नैतिक भावनाओं की प्रचुरता भी मनुष्यों में थी। हॉब्स केवल अधिकार की बात करता है। लॉक के अधिकार के साथ – साथ कर्त्तव्य को भी बाँध दिया है। इस प्रकार लॉक ने हॉब्स के नरक की बजाय अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्वर्ग का चित्रण किया है। एक की प्राकृतिक अवस्था कलयुग की प्रतीक है तो दूसरे की सतयुग की; यदि एक अंधकार का वर्णन करता है तो दूसरा प्रकाश है एवं यदि एक निराशावाद का चित्र उपस्थित करता है तो दुसरा आशावाद का। हरमन के अनुसार – "लॉक की प्राकृतिक अवस्था वह पूर्ण स्वतन्त्रता की अवस्था है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक विधियों को मानते हुए कुछ भी करने को स्वतन्त्र है।"

प्राकृतिक अवस्था को परिभाषित करते हुए लॉक लिखता है कि – "जब व्यक्ति विवेक के आधार पर इक्ट्ठे रहते हों, पृथ्वी पर कोई सामान्य उच्च सत्ताधारी व्यक्ति न हो और उनमें से एक दूसरे को परखने की शक्ति हो तो वह उचित रूप से प्राकृतिक अवस्था है।" यह प्राकृतिक अवस्था इस विवेकजनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि 'तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो, जिसकी तुम दूसरों से अपनी प्रति आशा करते हो।' यह प्राकृतिक अवस्था स्वर्णयुग की अवस्था है क्योंकि इसमें शान्ति व विवेक का बाहुल्य है।

प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएँ (Features of State of Nature)

लॉक की प्राकृतिक दशा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

1. प्राकृतिक अवस्था एक सामाजिक अवस्था है जिसमें मनुष्य नैतिक अवस्था को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला प्राणी था। राज्य एवं शासन का अभाव होने के बावजूद अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति

नहीं होती थी। लॉक के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांत, सहयोगी, सद्भावपूर्ण और सामाजिक था।

2. प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने अधिकारों के साथ – साथ कर्त्तव्यों का पालन भी करता था। मनुष्य के मूल अधिकारों का स्त्रोत प्राकृतिक कानून है। लॉक के अनुसार मानव के जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकारों का आधारभूत कारण प्राकृतिक कानून ही था।

3. लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकारों वाली अवस्था थी, इसमें न्याय, मैत्री, सद्भावना और शान्ति की भावना का मूल आधार प्राकृतिक कानून है। लॉक का मत है कि ईश्वर ने इन प्राकृतिक कानूनों को मानव आत्मा में स्थापित किया है; जिसके कारण मनुष्य कानून के अनुसार आचरण करता है।

4. लॉक का मानना है कि मनुष्यों को दूसरों के जीवन, स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने से रोकने के लिए, अन्य मानवों को दण्ड देने का अधिकार था जो प्राकृतिक कानूनों की अवज्ञा करते थे। प्रत्येक को कानून भंग करने वाले को उतना दण्ड देने का अधिकार है जितना कानून को भंग को रोकने के लिए प्राप्त है। प्राकृतिक अवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, मनुष्य को प्राकृतिक कानूनन का पालन करने के साथ – साथ उसके उल्लंघन करने वालों को भी दण्डित करना अनिवार्य था।

5. लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान थे क्योंकि "सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर और एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान है।" समान होने के कारण कभी प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग और परस्पर कर्त्तव्यों का पालन मैत्री, सद्भावना नहीं है। यह सभी मनुष्यों को सामाजिक प्राणी मानकर व्यक्ति के सभी अधिकार उसके सामाजिक जीवन में ही सम्भव मानता है।

6. लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्ण सामाजिक न होकर पूर्व राजनीतिक है। लॉक का मानना है कि हॉब्स की तरह यह पूर्व सामाजिक नहीं है। यह सभी

मनुष्यों को सामाजिक प्राणी मानकर व्यक्ति के सभी अधिकार उसके सामाजिक जीवन में ही सम्भव मानता है।

7. लॉक प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून को एक – दूसरे के पूरक मानता है। उसना मानना है कि प्राकृतिक कानून नागरिक कानून का पूर्वगामी (Antecendent) है। यही प्राकृतिक कानून व्यक्तियों के आचरण को नियमित व अनुशासित करता है।

8. लॉक नैतिकता को कानून की जननी मानता है। उसका कहना है कि कानून उन्हीं नियमों को क्रियान्वित करता है जो पहले से प्रकृतितः उचित है।
हॉब्स के विपरीत लॉक जीवन, स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है। लॉक का कहना है सभी अधिकार पूर्व राजनीतिक अवस्था में भी विद्यमान थे।

इस प्रकार लॉक का प्राकृतिक अवस्था का वर्णन हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से अलग तरह का है। हॉब्स ने मनुष्य को असामाजिक प्राणी बताकर बड़ी भूल की है। लॉक मानव को परोपकार, सदाचारी व कर्त्तव्यनिष्ठ प्राणी मानकर चलता है। लॉक प्राकृतिक कानून को नागरिक कानून का पूरक ही मानता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था भी हॉब्स की तरह कुछ कमियों से ग्रसित है।

प्राकृतिक अवस्था की कमियाँ (Deficiencies in the State of Nature)

लॉक की प्रारम्भिक अवस्था में यद्यपि काफी भोलापन, सच्चाई और सौजन्यता विद्यमान है किन्तु इस पर भी यह पूर्णरूपेण दोषयुक्त नहीं है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में निम्नलिखित कमियाँ हैं :–

1. **लिखित कानूनों का अभाव (Lack of Written Laws)**: लॉक की प्राकृतिक अवस्था में एक स्थापित, निर्धारित एवं सुनिश्चित कानून की कमी थी। कानून का रूप अस्पष्ट था। प्रत्येक व्यक्ति को कानून की व्याख्या अपने ढंग से करने की छूट थी। ऐसा लिखित कानून के अभाव में था। कानून का लिखित रूप न होने की वजह से लोग उसकी मनचाही व्याख्या करने में स्वतन्त्र थे। मनुष्य अपने स्वार्थ एवं पक्षपात की भावना से कानून का प्रयोग

करता था। वह अपने ही हित को सार्वजनिक हित माने की गलती करता था। व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में सत्यता या असत्यता का ज्ञान नहीं था। लॉक का कहना है कि "एक स्थायी तथा सुनिश्चित कानून की आवश्यकता है जो सही और गलत का निर्धारण कर सके।" इससे प्राकृतिक अवस्था में कानून का लिखित रूप में न होने का दोष स्पष्ट दिखाई देता है। अतः इस अवस्था में प्राकृतिक कानून के अन्तर्विषय के बारे में अनेक भ्रान्तियाँ तथा अनिश्चिताएँ थी। कानून की मनचाही व्याख्या अराजकता को जन्म देती है।

2. **निष्पक्ष और स्वतन्त्र न्यायधीशों का अभाव (Lack of Independent and Impartial Judges)**: प्राकृतिक अवस्था में निष्पक्ष न्यायधीश नहीं होते थे। वे पक्षपातपूर्ण ढंग से न्याय करते थे। प्राकृतिक कानून के अनुसार प्रत्येक अपराधी को उतना ही दण्ड दिया जाना चाहिए जितना विवेक और अंतरात्मा आदेश दे। लॉक के अनुसार – "एक प्रसिद्ध तथा निष्पक्ष न्यायधीश की आवश्यकता है जो तत्कालीन कानून के अनुसार अधिकार के साथ सारे झगड़े निपटा सके।" लॉक का यह कथन स्पष्ट करता है कि उस समय प्राकृतिक अवस्था में निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र न्यायधीशों का अभाव था। लॉक की इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं न्यायधीश है। कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति न्यायधीश नहीं था। इस अवस्था में प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने तथा उसका निष्पादन करने वाली कोई शक्ति नहीं थी।

3. **कार्यपालिका का अभाव (Lack of an Executive)** : लॉक की प्राकृतिक अवस्था में न्याययुक्त निर्णय को लागू करने के लिए किसी कार्यपालिका का अभाव था। लॉक के अनुसार – "आवश्यकता पड़ने पर उचित निर्धारित दण्ड देने और उसे क्रियान्वित करने की भी जरूरत है।" इससे स्पष्ट होता है कि लॉक की प्राकृतिक दशा में कोई कार्यकारिणी शक्ति नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वयं ही कानूनों को लागू करते थे। इस अवस्था में शक्तिशाली व्यक्ति ही अपनी स्वार्थ – सिद्धि करते थे। जिस मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अन्याय के समक्ष अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा

कर सके, वह सदा न्याय से वंचित रह जाता था। प्रतिभा में अन्तर होने के कारण हितों में टकराव उत्पन्न होते थे। इनका कार्यपालिका के अभाव में निपटाना नहीं होता था। अतः इस अवस्था में कोई कार्यपालिका नहीं थी।

हॉब्स तथा लॉक की प्राकृतिक दशा की तुलना (Comparison of Hobbes and Locke's State of Nature)

यदि हॉब्स व लॉक की प्राकृतिक दशा की तुलना की जाए तो निम्नलिखित अन्तर आते हैं :–

1. 'हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, पाशविक और अल्प था, परन्तु लॉक की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, स्वतन्त्र, विवेकपूर्ण और कर्त्तव्यपरायण है।
2. हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था संघर्ष और युद्ध की अवस्था थी, लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है।
3. हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक थी, लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है।
4. हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में केवल एक ही अधिकार (आत्मरक्षा का अधिकार) था। इसमें कर्त्तव्यों का कोई साधन नहीं था। इसके विपरीत लॉक ने जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के तीन अधिकारों का वर्णन किया है। इस अवस्था में अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों का भी स्थान है।
5. हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में केवल प्राकृतिक अधिकार थे, प्राकृतिक कानून नहीं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार व प्राकृतिक कानून दोनों के लिए स्थान है।
6. हॉब्स प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून में अन्तर करते हुए उन्हें परस्पर विरोधी मानता है, जबकि लॉक इन दोनों को एक – दूसरे के पूरक मानता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून नागरिक कानून का पूर्वगामी है।

प्राकृतिक अवस्था की आलोचनाएँ –

प्राकृतिक अवस्था के स्वर्णिम चित्रण के बावजूद भी लॉक की प्राकृतिक अवस्था की आलोचनाएँ की गई है। इसकी कुछ आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :–

1. लॉक की प्राकृतिक अवस्था सम्पूर्ण अधिकारयुक्त पूंजीपतियों के वर्ग का दर्शन है जिसका लॉक स्वयं भी एक सदस्य था। लॉक का व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की मांग करता हुआ प्रतीत होता है। लॉक का मनुष्य अपने स्वार्थ – सिद्धि के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करने में स्वतन्त्र है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में कानून का लिखित रूप न होने की स्थिति में पूंजीपति वर्ग अपने आर्थिक प्रभुत्व के बल पर कानून का मनमाने ढंग से प्रयोग व व्याख्या करता था।
2. लॉक प्राकृतिक कानून का स्पष्ट चित्रण नहीं करता।
3. लॉक की प्राकृतिक अवस्था न तो ऐतिहासिक है और न ही प्राकृतिक है। जोन्स के अनुसार – "लॉक की प्राकृतिक अवस्था न तो ऐतिहासिक है और न ही प्राकृतिक। वास्तव में लॉक की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की वही स्थिति है जो संगठित समाज में मनुष्य की होती है।
4. राज्य के अभाव में अधिकार अर्थहीन होते हैं। लॉक राज्यविहिन अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जो अविश्वसनीय है।
5. लॉक की प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव के एक पक्ष का चित्रण करती है। मानव की दैत्य प्रकृति की इसमें उपेक्षा की गई है। मानव अच्छी तथा बुरी दोनों प्रकार की प्रवृयितों का मिश्रण है।
6. लॉक प्राकृतिक अवस्था में जिस शांति का वर्णन करता है, अभूतपूर्व प्रगति होने पर आज भी वह नहीं आई है। अतः उसका प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अविश्वसनीय है।
7. लॉक ने प्राकृतिक दशा में उस अवस्था को छोड़ने का कारण नहीं बताया है। अतः लॉक की प्राकृतितक दशा का चित्रण अवैज्ञानिक है।

उपर्युक्त आधार पर कहा जा सकता है कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति, परोपकार, सदाचारी, बुद्धियुक्त गुणों से भरपूर होते हुए भी कुछ दोषों से ग्रस्त थी। इस अवस्था में कानून का अलिखित होना समाज में अराजकता की स्थिति कायम करने के लिए काफी था। न्याय की परिभाषा करने वाली संस्था का अभाव था। फिर भी लॉक ने अपनी प्राकृतिक दशा के बारे में लिखते हुए मानव – स्वभाव के अच्छे गुणों पर प्रकाश डाला है। आलोचकों ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अव्यावहारिक माना है, परन्तु व्यक्तियों के परस्पर सहयोग और विवेकशीलता की प्रधानता से उसके विचार जीवित हो उठते हैं। नैतिक दर्शन में लॉक की यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण देन है।

1.8 प्राकृतिक अधिकारों का सिंद्वान्त (Theory of Natural Rights)

लॉक का राजदर्शन के इतिहास को सबसे बड़ी देन उसके प्राकृतिक अधिकारों विशेषकर सम्पत्ति का अधिकार है। यह धारणा लॉक के राजनीतिक दर्शन का सार है। लॉक के सभी सिद्धान्त किसी न किसी रूप में लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त से जुड़े हुए हैं। लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील, नैतिक तथा सामाजिक प्राणी है। इस कारण सभी मनुष्य अपने साथी व मित्रों के सुख – शान्ति और सौहार्दपूर्ण भाव से रहते है। लॉक ने एक ऐसी अवस्था की कल्पना की है जिसमें सभी व्यक्ति शांतिमय तरीके से राज्य के बिना ही रहते हैं। लॉक इसे प्राकृतिक अवस्था कहता था, लॉक ने इस अवस्था को सद्भावना पारस्परिक सहयोग, संरक्षण और शान्ति की व्याख्या बताया है। लॉक की यह अवस्था राजनीतिक समाज से पूर्व की अवस्था है। इसमें मानव विवेक कार्य करता है। मनुष्यों को ईश्वर ने विवेक प्रदान किया है। अतः प्रकृति के कानून के अनुसार काम करना सभी का स्वाभाविक कर्त्तव्य है। इन प्राकृतिक कानूनों द्वारा ही व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

आधुनिक युग में साधारणतया यह माना जाता है कि व्यक्ति को अधिकार समाज और राज्य से प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत लॉक की मान्यता है कि व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि उसके पैदायशी (Birth Rights) अधिकार हैं। ये अधिकार

अलंघ्य (Inviolable) होते हैं। राज्य बनने से पहले भी व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के तहत् अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने इन अधिकारों को अधिक प्रभावशाली, सुरक्षित और इनके प्रयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य बनाया। लॉक राज्य से पहले भी प्राकृतिक अवस्था में संगठित समाज का अस्तित्व स्वीकारता है। लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में इस संगठित समाज के पीछे प्राकृतिक कानून का सिद्धान्त था जो स्वयं विवेक पर आधारित था। प्राकृतिक कानून और अधिकार ईश्वर द्वारा बनाई गई नैतिक व्यवस्थाएँ हैं। लॉक ने जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। यद्यपि 17 वीं शताब्दी के अन्त तक प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ जीवन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अर्जन को माना जाने लगा था पर उन्हें प्राकृतिक मान तार्किक आधार लॉक ने ही प्रदान किया। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में कहा है – "अधिकार मनुष्य में प्राकृतिक रूप से जन्मजात होते हैं और यहीं अधिकार 'प्राकृतिक' हैं। ये अधिकार अपरिवर्तनशील व स्वाभाविक होते हैं। ये अधिकार समाज की देन हैं और उनका क्रियान्वयन सभ्य समाज के माध्यम से ही होता है। इनका जन्म मनुष्य की बुद्धि व आवश्यकता के कारण होता है तथा वे सामाजिक अधिकार कहलाते हैं।

लॉक के अनुसार हर व्यक्ति के पास कुछ प्राकृतिक, कभी न छोड़े जाने वाल, मूलभूत (Natural, Inalienable and Fundamental) अधिकार होते हैं, जिन्हें कोई छू नहीं सकता, चाहे वह राज्य हो या समाज या कोई अन्य व्यक्ति। ये प्राकृतिक अधिकार हर सामाजिक, प्राकृतिक, कानूनी तथा राजनीतिक व्यवस्था में सर्वमान्य होंगे। लॉक ने कहा कि जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के अधिकार जन्मसिद्ध और स्वाभाविक होने के कारण समाज की सृष्टि नहीं है। मनुष्य इन अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज या राज्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भी स्वभाव से प्राकृतिक कानून का पालन करते हैं। ये तीन अधिकार निम्नलिखित हैंः–

1. **जीवन का अधिकार (Right to Life) :** मनुष्य को जीवन का अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है। लॉक की धारणा है कि आत्मरक्षा व्यक्ति की सर्वोत्तम प्रवृति है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित रखने का

निरंतर प्रयास करता है। आत्मरक्षा को हॉब्स मानव की सर्वोत्तम प्रेरणा मानता है, उसी प्रकार लॉक का मानना है कि जीवन का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है और प्राकृतिक कानूनों के अनुसार उनका विशेषधिकार है। व्यक्ति न तो अपने जीवन का स्वयं अन्त कर सकता है और न ही वह अन्य किसी व्यक्ति को इसकी अनुमति दे सकता है।

2. **स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Liberty) :** लॉक के अनुसार क्योंकि सभी मनुष्य एक ही सृष्टि की कृति हैं, इसलिए वे सब समान और स्वतन्त्र हैं। यह स्वतन्त्रता प्राकृतिक कानून की सीमाओं के अन्तर्गत होती है। स्वाधीनता के अर्थ प्राकृतिक कानून जो मनुष्य की स्वतन्त्रता का साधन होता है के अतिरिक्त सभी बन्धनों से मुक्ति होती है। "इस कानून के अनुसार वह किसी अन्य व्यक्ति के अधीन नहीं होते तथा स्वतन्त्रतापूर्वक स्वेच्छा से कार्य करते हैं।" व्यक्ति की यह स्वतन्त्रता प्राकृतिक कानून की सीमाओं के अन्दर होती है। अतः मनमानी स्वतन्त्रता नहीं है। मानव सुखी और शान्त जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि सभी स्वतन्त्र और समान थे। वे एक – दुसरे को हानि नहीं पहुँचाते थे। इसलिए प्रत्येक स्वतन्त्रता का पूर्ण आनन्द लेता था।

3. **सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property) :** लॉक ने सम्पत्ति के अधिकार को एक महत्त्वपूर्ण अधिकार माना है। लॉक के अनुसार सम्पत्ति की सुरक्षा का विचार ही मनुष्यों को यह प्रेरणा देता है कि वे प्राकृतिक दशा का त्याग करके समाज की स्थापना करें। लॉक ने सम्पत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। अपनी रचना 'द्वितीय निबन्ध' में लॉक ने इस अधिकार की व्याख्या की है। लॉक ने इस अधिकार को जीवन तथा स्वतन्त्रता के अधिकार से भी महत्त्वपूर्ण माना है। लॉक ने सम्पत्ति के अधिकार का विस्तार से प्रतिपादन किया है। संकुचित अर्थ में लॉक ने केवल निजी सम्पत्ति के अधिकार की ही व्याख्या की है। व्यापक अर्थ में लॉक ने जीवन तथा स्वतन्त्रता के अधिकारों को भी सम्पत्ति के अधिकार में शामिल किया है।

सम्पत्ति पर लॉक के विचार काफी दृढ़ हैं तथा सम्पत्ति के अधिकार के लिए अक्षुण्ता की भावना से युक्त है। प्रारम्भ में ईश्वर ने सभी मनुष्यों को विश्व दिया। अतः किसी एक वस्तु विशेष पर कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि भूमि तथा अन्य दीन जीव सभी की सम्पत्ति थे। फिर भी हर व्यक्ति को स्वंय भी सम्पत्ति का अधिकार था। उसके शरीर का श्रम और उसका फल उसकी अपनी सम्पत्ति थी। उसका श्रम भूमि के साथ मिलकर उसकी सम्पत्ति बन जाता था। इस प्रकार श्रम को किसी वस्तु के साथ मिलाकर व्यक्ति उसका स्वामी बन जाता था। लॉक ने अपने इस सिद्धान्त के विपरीत लॉक श्रम सिद्धान्त के आधार पर स्वामित्व की बात करता है। रोमन विधि के अनुसार – "व्यक्तिगत सम्पत्ति का उदय उस समय हुआ जब व्यक्तियों ने वस्तुओं पर अनधिकृत कब्जा करना आरम्भ किया।" लॉक ने उपर्युक्त धारणा का खण्डन किया और कहा कि व्यक्ति का शरीर ही उसकी एकमात्र सम्पत्ति है। जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को प्रकृति प्रदत्त अन्य वस्तुओं के साथ मिला लेता है तो वह उन वस्तुओं का अधिकारी बन जाता है। सम्पत्ति सिद्धान्त के उद्भाव के बारे में लॉक ने कहा – "जिस चीज को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है, उस पर उसका प्राकृतिक अधिकारी है।" लॉक ने आगे कहा है – "सम्पत्ति का अधिकार बहुत पवित्र है। जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति उसके प्राकृतिक अधिकार हैं। समाज न तो सम्पत्ति पर नियंत्रण कर सकता है और न ही कर लगा सकता है।"

लॉक का सम्पत्ति का अधिकार का सिद्धान्त वास्तव में प्रकृति के कानून पर आधारित वंशानुगत उत्तराधिकार का ही सिद्धान्त है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु में अपना श्रम मिलाकर ही उसके स्वामित्व का अधिकार ग्रहण करता है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किसी वस्तु में अपना श्रम मिलाकर ही अपना अधिकार उस पर जताता है। वंशानुगत उत्तराधिकार का अधिकार प्रकृति के इस कानून से उत्पन्न होता है कि मनुष्य को अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को वस्तुओं पर अपना स्वामित्व कायम करने के लिए बुद्धि तथा शरीर प्रदान किया है। वह श्रम के आधार पर अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति का सर्जन कर सकता है। प्रो० सेबाइन के अनुसार – "मनुष्य वस्तुओं पर अपनी आन्तरिक शान्ति व्यय करके उन्हें

अपना हिस्सा बना लेता है।" लॉक के लिए निजी सम्पत्ति का आधार पर सांझी वस्तु पर व्यय की हुई श्रम शक्ति है।

लॉक सम्पत्ति के दो रूप बताता है – (1) प्राकृतिक सम्पत्ति (2) निजी सम्पत्ति। प्राकृतिक सम्पत्ति सभी मानवों की सम्पत्ति है और उस पर सभी का अधिकार है। प्राकृतिक साधनों के साथ मानव उसमें अपना श्रम मिलाकर उसे निजी सम्पत्ति बना लेता है। लॉक ने सम्पत्ति के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सम्पत्ति मानव को स्थान, शक्ति और व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। लॉक ने असीम सम्पत्ति संचित करने के अधिकार को उचित ठहराया है। व्यक्ति को प्रकृति से उतना ग्रहण करने का अधिकार है जितना नष्ट होने से पहले उसके जवीन के लिए उपयोगी हो। मनुष्य को सम्पत्ति संचित करने का तो अधिकार है, परन्तु उसे बिगाड़ने, नष्ट करने या दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं है। लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से सम्पत्ति तो एकत्रित कर सकता है, परन्तु प्राकृतिक कानून दूसरे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण को स्वीकृति नहीं दे सकता। लॉक का यह भी मानना है कि यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति हो तो उसे जन सम्पत्ति मान लेना चाहिए। लॉक ने सम्पत्ति अर्जन में श्रम का महत्त्व स्पष्ट किया है। लॉक के अनुसार मनुष्य का श्रम निस्सन्देह उसकी अपनी चीज है, और श्रम सम्पत्ति का सिर्फ निर्माण ही नहीं करता, बल्कि उसके मूल्य को भी निर्धारित करता है। यह उसकी अपनी चीज है, और श्रम सम्पत्ति का सिर्फ निर्माण ही नहीं करता, बल्कि उसके मूल्य को भी निर्धारित करता है। यह सिद्धान्त स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु का मूल्य एवं उपयोगिता उस पर लगाए गए श्रम के आधार पर ही निर्धारित हो सकती है।

निजी सम्पत्ति के पक्ष में तर्क (Arguments in favour of Private Property)

लॉक ने निजी सम्पत्ति को औचित्यापूर्ण सिद्ध करने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं :–

1. आरम्भ में भूमि तथा इसके सारे फल प्रकृति द्वारा सारी मानव जाति को दिये गए थे।

2. मानव को इनका प्रयोग करने से पहले इन्हें अपना बनाना है।
3. हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी शारीरिक मेहनत तथा उसके हाथों का कार्य उनकी अपनी सम्पत्ति है।
4. प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी – अपनी मेहनत से जो लेते हैं, वह उनकी निजी सम्पत्ति है बशर्ते कि वह दूसरों के लिए काफी छोड़ दें।
5. सम्पत्ति पैदा करने के लिए किसी दूसरे की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिन्दा रहने की आवश्यकता है।

इस प्रकार लॉक उपर्युक्त तर्कों के आधार पर निजी सम्पत्ति को न्यायसंगत ठहराते हैं।

निजी सम्पत्ति के अधिकार पर सीमाएँ (Limitations on the Theory of Right to Private Property)

लॉक निजी सम्पत्ति के अधिकार पर कुछ सीमाएँ या बन्धन लगाते हैं जो निम्नलिखित हैं :–

1. **किसी को सम्पत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है** : लॉक कहता है कि सम्पत्ति को एकत्रित तो किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। सम्पत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लॉक ने असीमित मुद्रा को पूंजी के रूप में एकत्र किये जोने पर बल दिया। अतः लॉक ने निजी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए इसको नष्ट करने पर रोक लगाई है। लॉक के अनुसार – "मानव को सम्पत्ति संचित करने का अधिकार है, परन्तु उसे बिगाड़ने, नष्ट करने या दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं है।
2. **सम्पत्ति को दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए :** लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक भूमि आदि मनुष्य मेहनत से अपनी निजी सम्पत्ति बना लेते हैं, उससे वह दूसरों के लिए कुछ उत्पादन करते हैं और यह उत्पादन समाज की सामान्य भूमि आदि की कमी को पूरा कर देता है। व्यक्ति सारी प्राकृतिक सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति में नहीं बदल सकता। लॉक का कहना है – "प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उतना ग्रहण करने का अधिकार है।

जितना उसके जीवन के लिए उपयोगी हो और दूसरों के लिए भी पर्याप्त हिस्सा बचा रहे।"

3. **निजी सम्पत्ति वह है जिसे व्यक्ति ने अपना श्रम मिलाकर अर्जित किया है :** लॉक का कहना है व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार अपना श्रम मिलाकर किसी भी प्राकृतिक वस्तु को अपना सकता है। व्यक्ति अपने श्रम का मालिक होता है तथा श्रम उसकी सम्पत्ति है। यदि वह अपना श्रम दूसरे को बेच देता है तो वह श्रम दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति बन जाता है। अतः श्रम द्वारा ही किसी वस्तु पर व्यक्ति के स्वामित्व का फैसला निर्भर करता है। बिना श्रम प्राप्त सम्पत्ति निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती।
4. आवश्यकता से ज्यादा संचित सम्पत्ति जन सम्पत्ति मानी जा सकती है।

निजी सम्पत्ति के अधिकार के निहितार्थ (Implication of Right to Private Property)

लॉक के निजी सम्पत्ति के सिद्धान्त की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :–

1. निजी सम्पत्ति शारीरिक श्रम व योग्यता से प्राप्त होती है।
2. व्यक्ति का श्रम एक निजी वस्तु है। वह जब चाहे किसी को भी इसे बेच सकता है तथा दूसरा इसे खरीद सकता है।
3. निजी सम्पत्ति का अधिकार प्राकृतिक है।
4. निजी सम्पत्ति उत्पादन का आधार है।
5. श्रम को खरीदने वाला श्रम का न्यायसंगत स्वामी बन सकता है।
6. निजी सम्पत्ति क्रय व विक्रय योग्य वस्तु है।
7. निजी सम्पत्ति के अधिकार के बिना मानव जीवन का कोई आकर्षण नहीं है।
8. समाज हित में निजी सम्पत्ति के अधिकार का बन्धन लगाया जा सकता है।
9. निजी सम्पत्ति का अधिकार मेहनत को प्रोत्साहित करता है।

प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Theory of Natural Rights)

लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में एक महत्त्वर्पूण देन होते हुए भी कुछ कमियों से ग्रसित है। अनेक विचारकों ने इस की निम्न आलोचनाएँ की हैं :–

1. लॉक का यह कथन कि अधिकार, राज्य या समाज से पहले उत्पन्न हुए – इतिहास, तर्क या सामान्य बुद्धि के विपरित है। लॉक की दृष्टि में अधिकारों का स्त्रोत प्रकृति है। परन्तु अधिकारों का स्त्रोत समाज होता है और उसकी रक्षा के लिए राज्य का होना अनिवार्य है।
2. लॉक ने सम्पत्ति के अधिकार पर तो विस्तार से लिखा है लेकिन जीवन तथा स्वतन्त्रता के अधिकार पर ज्यादा नहीं कहा।
3. लॉक के प्राकृतिक अधिकारों में परस्पर विरोधाभास है। लॉक एक तरफ तो उन्हें प्राकृतिक मानता है और दूसरी तरफ श्रम को सम्पत्ति के अधिकार का आधार मानता है। यदि प्राकृतिक अधिकार जन्मजात व स्वाभाविक हैं तो उसके अर्जन की क्या जरूरत है।
4. लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त पूंजीवाद का रक्षक है। श्रम – सिद्धान्त को परिभाषित करते हुए लॉक ने कहा है – "जिस घास को मेरे घोड़े ने खाया है, मेरे नौकर ने काटा है, और मैनें छीला है; वह मेरी सम्पत्ति है और उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है।" अतः लॉक का यह सिद्धान्त पूंजीवाद का समर्थक है।
5. लॉक ने स्वतन्त्रता पर जोर दिया है, समानता पर नहीं। जबकि आधुनिक युग में समानता के अभाव में स्वतन्त्रता अधूरी है।
6. लॉक के अधिकारों का क्षेत्र सीमित है। आधुनिक युग में शिक्षा, धर्म संस्कृति के अधिकार भी बहुत महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं।
7. लॉक किसी व्यक्ति के बिना श्रम किये उत्तराधिकार द्वारा दूसरे की सम्पत्ति प्राप्त करने के नियम का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता।

8. लॉक आर्थिक असमानता की तो बात करता है लेकिन उसे दूर करने के उपाय नहीं बताता।
9. लॉक आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति संचित करने पर सम्पत्ति को जनहित में छीनने की बात तो करता है लेकिन सम्पत्ति छीनने की प्रक्रिया पर मौन है।

अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त राजनीतिक चिन्तन में उत्कृष्ट देन है। लॉक का सिद्धान्त आधुनिक युग में भी महत्त्वपूर्ण है। इसका महत्त्व निम्न आधारों पर स्पष्ट हो जाता है।

प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त का प्रभाव (Influence of Locke's Theory of Natural Rights)

1. लॉक का यह सिद्धान्त मौलिक अधिकारों का जनक है। आज के सभी प्रजातन्त्रीय देशों में लॉक के इन सिद्धान्तों को अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान पर तो लॉक का गहरा प्रभाव है। अमेरिकन संविधान का चौदहवाँ संशोधन घोषणा करता है कि – "कानून की उचित प्रक्रिया के बिना राज्य किसी भी व्यकित को जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से वंचित नहीं कर सकता।
2. इस सिद्धान्त का U.N.O (संयुक्त राष्ट्र संघ) पर भी स्पष्ट प्रभाव है। इसके चार्टर में मानवीय अधिकारों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए मानवधिकारों को शामिल किया गया है। वे अधिकार लॉक की देन है।
3. इस सिद्धान्त का कार्लमार्क्स के 'अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त' (Theory of Surplus Value) पर भी स्पष्ट प्रभाव है। मार्क्स भी श्रम को ही महत्त्व देकर अपने सिद्धान्त की व्याख्या करता है।
4. लॉक की सबसे महत्त्वपूर्ण इस देन का प्रभाव 18 वीं तथा 19 वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों पर भी पड़ा।

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अपनी आलोचनाओं के बावजूद भी लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में एक बहुत महत्त्वपूर्ण देन है। डनिंग ने कहा है – "राजनीतिक दर्शन को लॉक का

सर्वाधिक विशिष्ट योगदान प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त है।" लॉक ने एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्राकृतिक अधिकारों के रूप में लॉक की यह देन उत्कृष्ट है।

1.9 सामाजिक समझौता सिद्धान्त (Theory of Social Contract)

लॉज के राजनीतिक चिन्तन का सर्वाधिक प्रमुख भाग सामाजिक समझौता सिद्धान्त है जिसके द्वारा लॉक ने इंग्लैण्ड में हुई 1688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति के औचित्य को ठीक ठहराया है। सामाजिक समझौता सिद्धान्त सबसे पहले हॉब्स ने प्रतिपादित किया, परन्तु लॉक ने उसे उदारवादी आधार प्रदान करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉक भी हॉब्स के इस विचार से सहमत था कि राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम है, दैवी इच्छा की नहीं। लॉक के इस सिद्धान्त का विवरण उसकी प्रमुख पुस्तक 'शासन पर दो निबन्ध' में मिलता है। लॉक ने इसमें लिखा है कि "परमात्मा ने मनुष्य को एक ऐसा प्राणी बनाया कि उसके अपने निर्णय में ही मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं था। अतः उसने इसे सामाजिक बनाने के लिए आवश्यकता, स्वेच्छा और सुविधा के मजबूत बन्धनों में आबद्ध कर दिया तथा समाज में रहने और उसका उपभोग करने के लिए इसे भाषा प्रदान की।"

जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक, शान्तिप्रिय प्राणी है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान और स्वतन्त्रता का जीवन व्यतीत करता था। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी नहीं था और एक शान्त और सम्पन्न जीवन जीना चाहता था। अतः प्राकृतिक अवस्था शान्ति, सम्पन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतन्त्रता की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण रूप से भ्रातृत्व और न्याय की भावना का साम्राज्य था। प्राकृतिक अवस्था को शासित करने के लिए प्राकृतिक कानून था। प्राकृतिक कानून पर शान्ति एवं व्यवस्था आधारित होती थी जिसे मनुष्य अपने विवेक द्वारा समझने में समर्थ था। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य को ऐसे अधिकार प्राप्त थे जिसे कोई वंचित नहीं कर सकता था। लॉक ने इन तीनों अधिकारों को मानवीय विवेक का परिणाम कहा है। ये तीन अधिकार – जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के

अधिकार हैं। लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था की कुछ कमियाँ थी, इसलिए उन कमियों को दूर करने के लिए समझौता किया गया।

1. प्राकृतिक अवस्था में नियम स्पष्टता का अभाव था। उसमें कोई ऐसी निश्चित, प्रकट एवं सर्वसम्मत विधि नहीं थी, जिसके द्वारा उचित – अनुचित का निर्णय हो सके। इस अवस्था में लिखित कानून के अभाव में सदैव कानून की गलत व्याख्या की जाती थी। प्राकृतिक कानून का शक्तिशाली व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर स्वार्थ – सिद्धि के लिए प्रयोग करते थे।
2. इस अवस्था में निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र न्यायधीशों का अभाव था। इस अवस्था में न्याय का स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। पक्षपातपूर्ण ढंग से न्याय किया जाता था। कोई तीसरा पक्ष निष्पक्ष नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं न्यायधीश था।
3. इस अवस्था में न्याययुक्त निर्णय लागू करने के लिए कार्यपालिका का अभाव था। इसलिए निर्णयों का उपयुक्त क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। अतः प्राकृतिक अवस्था में पाई जाने असुविधाओं और कठिनाइयों से बचने के लिए मनुष्यों ने एक समझौता किया।

लॉक के अनुसार समझौते का स्वरूप सामाजिक है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति ने सम्पूर्ण समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सर्वसम्मति से यह समझौता किया। लॉक का सामाजिक समझौता दो बार हुआ है। पहले समझौते द्वारा मनुष्य ने राजनीतिक व नागरिक समाज की स्थापना की। इससे मानव ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का अन्त किया। इस प्रकार मनुष्य ने इस समझौते द्वारा जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के अपने प्राकृतिक अधिकारों तथा कानून को मानव ने सदैव के लिए सुरक्षित कर दिया। दूसरे समझौते द्वारा जनसहमति से शासन को नियुक्त किया जाता है। शासक, नागरिक समाज के अभिकर्ता के रूप में जीवन स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के प्राकृतिक अधिकारों के अन्तर्गत ही कानून की व्याख्या एवं उसे लागू करता है। शासक, नागरिक समाज के एक ट्रस्टी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है। लॉक कहता है कि सामाजिक समझौते की प्रक्रिया के अन्त में राजनीतिक समाज है, जिसका निर्माण इस प्रकार हुआ है – "प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के साथ

संगठन तथा समुदाय के निर्माण हेतु समझौता करता है। जिस उद्देश्य के लिए समझौता किया जाता है वह सामान्यतः सम्पत्ति की सुरक्षा है जिसका अर्थ जीवन, स्वाधीनता तथा सम्पत्ति की आन्तरिक तथा बाहरी खतरों से सुरक्षा है।

इस समझौते के अनुसार मनुष्य अपने सारे अधिकार नहीं छोड़ता लेकिन प्राकृतिक केवल अपनी सुविधाओं को दूर करने के लिए प्राकृतिक कानून की व्याख्या और क्रियान्वयन के अधिकार को छोड़ता है। लेकिन यह अधिकार किसी एक व्यक्ति या समूह को न मिलकर सारे समुदाय को मिलता है। यह समझौता निरंकुश राज्य की उत्पत्ति नहीं करता। इससे राजनीतिक समाज को केवल वे ही अधिकार मिले हैं जो व्यक्ति ने उसे स्वेच्छा से दिए हैं। वह व्यक्ति के उन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो उसे नहीं दिए गए हैं। लॉक के इस समझौते के अनुसार दो समझौते हुए। पहला समझौता जनता के बीच तथा दूसरा जनता व शासक के बीच हुआ। सम्प्रभु पहले में शामिल नहीं था। इसलिए वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजनीतिक समाज की स्थापना हेतु किया गया दूसरा समझौता सीमित व उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है। इस समझौते की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

1. लॉक के अनुसार दो बार समझौता हुआ। प्रथम समझौते द्वारा नागरिक समाज की स्थापना होती है तथा दूसरे समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना होती है।
2. यह समझौता सभी व्यक्तियों की स्वीकृति पर आधारित होता है। सहमति मौन भी हो सकती है, परन्तु सहमति अति आवश्यक है क्योंकि राज्य का स्त्रोत जन–इच्छा है।
3. यह समझौता अखंड्य (Irrevocable) है। एक बार समझौता हो जाने पर इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसको तोड़ने का मतलब है – प्राकृतिक अवस्था में वापिस लौटना।
4. इस समझौते के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी इसको मानने को बाध्य है। भावी पीढ़ी समझौते पर मौन स्वीकृति देती है। यदि वे अपनी जन्मभूमि त्यागते हैं तो वे उत्तराधिकार के लाभों से वंचित रह जाते हैं।

5. इस समझौते द्वारा व्यक्ति अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करता है, सभी प्राकृतिक अधिकारों का नही। वह अपना अधिकार समस्त जनसमूह को सौंपता है। यह समझौता जीवन स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अतः यह सीमित समझौता है।

6. इस समझौते से नागरिक समुदाय का जन्म होता है, सरकार का नहीं। सरकार का निर्माण तो एक ट्रस्ट द्वारा होता है। इसलिए सरकार तो बदली जा सकती है, लेकिन इस समझौते को भंग नहीं किया जा सकता।

7. लॉक के अनुसार प्रकृति के कानून की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने वाला शासक स्वयं भी उससे बाधित है। जिन शर्तों के आधार पर शासक को नियुक्त किया जाता है, शासक को उसका पालन करना है। अतः शासक सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न नहीं है।

8. लॉक के सामाजिक समझौते के अन्तर्गत शासक को जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है। अतः प्राकृतिक अवस्था के अन्त होने के बाद भी सामाजिक समझौते में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रहते है।

9. नागरिक समाज सामाजिक समझौते द्वारा शासन के दो अंगों विधानसभा तथा कार्यपालिका की स्थापना करता है। विधानसभा का कार्य कानून निर्माण करना है, जिनेक आधार पर न्यायधीश निष्पक्ष न्यायिक निर्णय करते हैं। कार्यपालिका विधानसभा के कानूनों और न्यायधीशों के न्यायिक निर्णयों को लागू करती है। अतः सामाजिक समझौता सिद्धान्त सीमित रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त को स्वीकार करता है।

10. लॉक ने व्यक्तिवादी राज्य – व्यवस्था की स्थापना की है और उसे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने वाला साधन कहा है।

11. यह समझौता प्राकृतिक कानून का अन्त नहीं करता। इससे प्राकृतिक कानून के महत्त्व में वृद्धि होती है। लॉक ने कहा है – "प्राकृतिक कानून के दायित्वों का समाज में अन्त नहीं होता।"

12. यह समझौता हॉब्स के समझौते की तरह दासता का बन्धन नहीं है। अपितु स्वतन्त्रता का एक अधिकार पत्र है। इससे व्यक्ति कुछ खाते नहीं है। उन्हें अधिकारों को लागू करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनका अन्त करने को प्रयत्न समझौते द्वारा किया जाता है।

हॉब्स से तुलना (Comparision with Hobbes)

हॉब्स और लॉक दोनों समझौतावादी विचारक हैं। (i) दोनों के अनुसार एक ही समझौता होता है। (ii) दोनों ने यह माना कि सरकार समझौता प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। (iii) दोनों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय अधिकार का विरोध किया है। (iv) दोनों के अनुसार समझौता व्यक्तियों में होता है। (v) दोनों सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं, सरकारे समझौते के सिद्धान्त में नहीं।

उपर्युक्त बातों में समान होते होने पर भी दोनों के सिद्धान्त में कुछ अन्तर मौलिक हैं :–

1. हॉब्स का समझौता कठोर आवश्यकता का प्रतिफल है, परन्तु लॉक का समझौता विवेक का परिणाम है।
2. हॉब्स का समझौता सामान्य स्वभाव का है, लॉक का सीमित और विशिष्ट स्वभाव का है।
3. हॉब्स के समझौते के अनुसार व्यक्ति अपना अधिकार किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपते हैं, लॉक के अनुसार व्यक्ति समुदाय को अपना अधिकार देते हैं।
4. हॉब्स के अनुसार व्यक्ति अपने सारे अधिकार राज्य को सौंपता है, परन्तु लॉक के अनुसार व्यक्ति अपने सीमित अधिकार राज्य को देता है।
5. हॉब्स के समझौते के परिणामस्वरूप एक निरंकुश, सर्वशक्तिशाली, असीम एवं अमर्यादित सम्प्रभु का जन्म होता है, परन्तु लॉक के अनुसार एक सीमित, मर्यादित एवं उदार राज्य का जन्म होता है।
6. हॉब्स का समझौता एक दार्शनिक विचार है, लॉक का ऐतिहासिक तथ्य भी।

7. हॉब्स का सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था व प्राकृतिक कानून दोनों को समाप्त कर देता है, परन्तु लॉक का समझौता प्राकृतिक अवस्था का तो अन्त करता है, प्राकृतिक कानून का नहीं। लॉक के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था के समान राज्य में भी प्राकृतिक कानून का पालन करने को बाध्य है।

8. हॉब्स का शासक कानून बनाता है, परन्तु लॉक का शासन कानून नहीं बनाता, सिर्फ कानून का पता लगाता है। हॉब्स के अनुसार राज्य के बाद कानून का जन्म होता है। लॉक के अनुसार कानून के बाद राज्य का जन्म होता है।

9. लॉक का समझौता स्वतन्त्रता का प्रपत्र है, जबकि हॉब्स का समझौता दासता का पट्टा है।

10. हॉब्स का समझौता प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को दूर करने के लिए हुआ था, जबकि लॉक का समझौता प्राकृतिक अवस्था की तीनों कमियों को दूर करने के लिए हुआ था।

11. हॉब्स के अनुसार एक समझौता हुआ जबकि लॉक के अनुसार दो प्रकार के समझौते हुए।

लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचनाएँ (Criticisms of Locke's Social Contract)

लॉक के सामाजिक समझौते की निम्नलिखित आलोचनाएँ हैं :–

1. **अस्पष्टता और अनिश्चितता :** लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में आलोचक कहते हैं कि लॉक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार का निर्माण कब और कैसे हुआ। लॉक के विचारों से यह प्रतीत होता है कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है, परन्तु उसकी व्याख्या से यह स्पष्ट नहीं होता कि सामाजिक समझौते से सरकार की भी स्थापना होती है या नहीं। अतः विचारकों में इस बात पर मतभेद है कि लॉक एक समझौते की बात करता है या दो की ।

2. **अनैतिहासिक व काल्पनिक :** लॉक ने सामाजिक समझौते द्वारा राज्य व शासन का जो विवरण दिया है, वह काल्पनिक है। उसके विवरण का ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं है। लॉक के मानव स्वभाव का चित्रण एक पक्षीय है। सत्य यह है कि मनुष्य कई सद्गुणों तथा दुर्गुणों का मिश्रण है। परन्तु लॉक केवल सद्गुणों का ही चित्रण करता है। लॉक के इस कथन में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है।

3. लॉक ने राज्य और शासन में अन्तर करते हुए, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की स्थापना की है। किन्तु आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव शासन से अपरिचित थे। अतः उनसे राजनीतिक परिपक्वता की उम्मीद नहीं की जा सकती। सामाजिक समझौते में लॉक ने जो मानव की राजनीतिक सूझ – बूझ दिखाई है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

4. सामाजिक समझौते का एक दोष यह भी है कि यह सिद्धान्त राज्य के पूर्व समझौते की कल्पना करता है परन्तु राज्य की स्थापना के बाद ही समझौते किये जा सकते हैं।

5. **विरोधाभास :** लॉक का सामजिक समझौते का सिद्धान्त एक तरफ तो सर्वसम्मति की बात करता है तो दूसरी ओर बहुमत के शासन का समर्थन करता है। लॉक ने इस स्थिति की कल्पना नहीं की है कि बहुमत भी अत्याचारी हो सकता है और अपनी शक्ति का प्रयोग जनता के अधिकारों का हनन के लिए कर सकता है।

6. लॉक समझौते का आधार सहमति को मानता है, परन्तु इतिहास में ऐसे कई राज्यों का उल्लेख मिलता है जो बल व शक्ति के आधार पर बने व नष्ट हुए।

7. लॉक ने बार – बार मूल समझौता शब्द का प्रयोग किया है लेकिन कहीं भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया। लॉक इस बात को भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि मौलिक समझौते के परिणामस्वरूप वास्तव में जो उत्पन्न होता है, वह स्वयं समाज ही है या केवल सरकार।

इस प्रकार लॉक के सामाजिक समझौते की कई आलोचनाएँ की गई। अनेक विचारकों ने कहा कि लॉक में कुछ भी नया नहीं है। ऐसा कार्य तो पहले भी कई दार्शनिकों द्वारा सम्पन्न हो चुका है। परन्तु लॉक के समझौते की सबसे बड़ी विशेषत यह है कि उसने इसे सुनिश्चितता प्रदान की, उसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा को स्वीकार किया। बाद वाली पीढ़ियों ने उसके इस सिद्धान्त को बहु त पसन्द किया। उनके उदारवादी विचारों ने लॉक को मध्यवर्गीय क्रान्ति का सच्चा प्रवक्ता बना दिया था। उसके इस सिद्धान्त ने परवर्ती राजनीतिक चिन्तकों को प्रभावित किया। इस प्रकार लॉक एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली हैं।

1.10 राज्य का सिद्धान्त : सीमित राज्य (Theory of State : Limited State)

लॉक का राज्य व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते की उपज है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए अपने राज्य की स्थापना की है। प्राकृतिक अवस्था के दोषों को दूर करके मानव द्वारा राज्य की स्थापना करके शांति और सुव्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से लॉक ने अपनी सीमित राज्य की व्यवस्था की है। लॉक के समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की व्यवस्था उत्पन्न की जाती है। प्राकृतिक समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च समुदाय अथवा राजनीतिक समाज या राज्य की उत्पत्ति की जाती है।

लॉक की राज्य में प्रभुसत्ता समुदाय के पास रहती है, लेकिन इसका उपभोग बहुमत द्वारा किया जाता है। राज्य निरंकुशता के साथ कार्य कर सकता है, किन्तु जनहित के लिए। इसके कानूनों को प्राकृतिक तथा ईश्वरीय कानों को अनुरूप होना चाहिए। इसे तुरन्त दिए गए आदेशों की पालन नहीं करना चाहिए बल्कि कानूनों तथा अधिकृत जजों के माध्यम से ही करना चाहिए। विधायिका कानून बनाने की शक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकती। समुदाय अपनी इच्छानुसार न्यासधारियों को बदल सकता है। लॉक के सामाजिक समझौते द्वारा स्थापित राज्य की निम्न विशेषताएँ हैं:–

1. **संवैधानिक राज्य (Constitutional State) :** लॉक का राज्य एक संवैधानिक राज्य है। इसका अर्थ यह है कि राज्य कानून के द्वारा (Rule of Law) अनुशासित, अनुप्रमाणित और संचालित होता है। लॉक की मान्यता है कि जहाँ मनुष्य अनिश्चित, अज्ञात एवं स्वेच्छाचारी इच्छा के अधीन रहते हैं, वहाँ उन्हें राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। विधानसभा प्राकृतिक कानून की सीमा के अन्तर्गत रहकर कानून निर्माण का कार्य करती है। जहाँ राज्य संचालन कानूनों द्वारा होता है, वहाँ नागरिकों की राजनीतिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकती है। लॉक का कहना है –"समाज तथा शासन के उद्देश्यों के साथ निरंकुश स्वेच्छाचारी शक्ति अर्थात् बिना निश्चित स्थापित कानूनों के शासन करने की धारणा कोई संगति नहीं रखती।" लॉक का कहना है कि प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका के पास संकटकालीन शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों को विशेषाधिकार कहा जाता है। ये विशेषाधिकार कानून का पूरक होते हैं। इस प्रकार लॉक विशेषाधिकार के महत्त्व को कानून की सत्ता के अनुपूरूक के रूप में ही स्वीकार करता है। अतः लॉक संवैघानिक राज्य का प्रबल प्रवक्ता है। इसलिए लॉक ने कहा है – "जहाँ कानून का अंत होता है, वहीं निंरकुशता का प्रारम्भ होता है।"
2. **जनकल्याण का उद्देश्य (Aim of Public Welfare) :** लॉक के राज्य की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता 'राज्य जनता के लिए, जनता राज्य के लिए नहीं' है। लॉक ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य मानव – समुदाय का कल्याण करना है। लॉक ने लिखा है – "सम्पत्ति को नियमित करने और उसका परिक्षण करने के लिए दण्ड सहित कानून बनाने तथा उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए समुदाय की सैनिक शक्ति प्रयुक्त करने के अधिकार ... यह सिर्फ जनता की भलाई के लिए है।" लॉक ने राज्य का यन्त्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य को उपकरण मानते हुए जनता के कल्याण की बात कही है। राज्य का उद्देश्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों – जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति की रक्षा करना है। अतः राज्य का उद्देश्य जनकल्याण है।

3. **सहमति पर आधारित (Based on Consent) :** लॉक के राज्य की उत्पत्ति जनसमुदाय की व्यापक सहमति पर ही होती है। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य स्वतन्त्र और समान हैं, इसलिए किसी को उसकी इच्छा के विपरित राज्य का सदस्य बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जो लोग राज्य की व्यवस्था से बाहर प्राकृतिक अवस्था में रहना चाहें वे प्राकृतिक अवस्था में रह सकते हैं। लॉक के अनुसार मनुष्यों की सहमति स्पष्ट और प्रत्यक्ष न होकर मौन भी हो सकती है। फिर भी लॉक इस बात पर जोर देता है कि राज्य समस्त जनता की सहमति है एवं जनकल्याणार्थ राज्य को सहमति प्रदान करती है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। लॉक के अनुसार जन – इच्छा पर आधारित राज्य को मान्य होने के लिए उसे पुनः स्वीकार करना आवश्यक है। जन्म लेते समय मनुष्य किसी राज्य या सरकार के अधीन नहीं होता परन्तु अगर व्यस्क होने के बाद मानव अपने जन्म के देश की सरकार द्वारा सेवाओं को स्वीकार करते हैं तो यह उसकी सहमति का परिचायक है। यदि शासक जनहित में कार्य करे तो जनता तो उसके विरूद्ध विद्रोह करने का भी अधिकार है।

4. **धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State) :** लॉक का राज्य धर्म सहिष्णु राज्य है। लॉक का मानना है कि विभिन्न धर्मावलम्बियों के रहने से राज्य की एकता नष्ट नहीं होती है। लॉक के लिए धर्म व्यक्तिगत वस्तु है। धर्म का सम्बन्ध व्यक्ति की भावना तथा आत्मा से होता है। लॉक व्यक्ति को उसके अन्तःकरण की भावना के अनुसार उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। अतः राज्य के लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु यदि मानव की धार्मिक गतिविधियों से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है या शान्ति भंग होती है तो लॉक के अनुसार राज्य उनकी धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है। धर्म और राज्य दोनों के अलग – अलग कार्य होते हैं। हॉब्स की तरह लॉक न तो राज्य को धर्मवादी और न चर्च को राज्य के अधीन रखने का पक्षपाती है। वह धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाता है।

5. **उदारवादी राज्य (Liberal State) :** लॉक का राज्य उदारवादी है। वह जनसहमति पर आधारित है। उसका उद्देश्य जनकल्याण है, वह संवैधानिक है, वह मर्यादित है, वह सहिष्णु है एवं जनता को कुछ स्थितियों में राज्य के विरूद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रदान करता है। लॉक ने शासकों को नैतिक बन्धन में बाँधकर उन्हें शासितों या प्रजा के प्रति उत्तरदायी बनाया है। लॉक ने शासन को विधि के अधीन कर, पृथक्करण के सिद्धान्त का बीजोरोपण कर, बहुमत के निर्णय में अपनी आस्था प्रकट कर एवं हिसंक सुधारों के बदले शान्तिपूर्ण सुधारों का प्रतिपादन कर लॉक ने उदारवाद का परिचय दिया है।

6. **सीमित राज्य (Limited State) :** लॉक का राज्य सीमित और मर्यादित है, असीम और निरंकुश नहीं। लॉक ने राज्य पर सीमाएँ लगाकर उसे मर्यादित बना दिया है। लॉक ने कहा कि राज्य जनता द्वारा प्रदत्त अधिकारों का ही प्रयोग कर सकता है। राज्य तो जनता का मात्र अभिकर्ता है। राज्य को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धरोहर के रूप में शक्ति प्रदान की है। राज्य उनसे हटकर कोई कार्य नहीं कर सकता। लॉक का मत है कि नागरिक कानून प्राकृतिक कानून का अंग है। नागरिक कानून प्राकृतिक कानून की व्याख्या करके अनुचित कार्यों के लिए शीघ्र दण्ड की व्यवस्था करता है। प्राकृतिक कानून सर्वदा उचित – अनुचित का मापदण्ड होता है। विधानपालिका प्राकृतिक कानून के अनुसार अपने कानून का निर्माण करती है। इस प्रकार राज्य प्राकृतिक कानून द्वारा सीमित होता है। राज्य कभी सम्पत्ति के अधिकार का हरण नहीं कर सकता। लॉक का कथन है – "राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यासधारी शक्तियाँ ही प्राप्त है।" लॉक की रचना 'शासन पर दो निबन्ध' में प्रमुख उद्देश्य शासन की सत्ता को मर्यादित करना है। अतः लॉक सीमित एवं मर्यादित शासन पर बल देता है।

7. **निषेधात्मक राज्य (Negative State) :** लॉक का कार्यक्षेत्र निषेधात्मक है। राज्य सिर्फ सुरक्षा, शान्ति और न्याय सम्बन्धी कार्यों को पूरा करता है। नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ एवं नैतिक बनाना राज्य का दायित्व नहीं है। वह स्वेच्छा

से नागरिकों को सम्पत्ति पर कर नहीं लगा सकता। वेपर के अनुसार – "राज्य केवल उन्हीं असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है। जो प्राकृतिक अवस्था में थी। वह केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय के तीन कार्य करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा देना, उनका स्वास्थ्य सुधारना, उन्हें सुसंस्कृत और नैतिक बनाने का कार्य कोई राज्य नहीं कर सकता।" लॉक का राज्य न तो नागरिकों के चरित्र सुधारने का प्रयास करता है और न ही उनके जीवनयापन की व्यवस्था करता है। निषेधात्मक होते हुए भी लॉक का राज्य स्वार्थ को परमार्थ में बदलने के लिए सक्षम है। लॉक का राज्य कृत्रिम दण्डों का प्रावधान कर मनुष्यों का अधिकाधिक सुख, सुविधा और प्रसन्नता का उपभोग करने में सहायता करता है।

लॉक ने अपने राज्य की स्थापना करके राजनीति विज्ञान की कुछ गम्भीर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है; जैसे – राज्य का उद्देश्य क्या है और राज्य का आदेश व्यक्ति क्यों मानता है ? लॉक ने इन समस्याओं का स्पष्ट उत्तर अपने इस सिद्धान्त के माध्यम से दिया है। लॉक राज्य का उद्देश्य जनकल्याण को बताता है। राज्य व्यक्ति के अधिकारों का सरंक्षक है, इसलिए व्यक्ति स्वेच्छानुसार राज्य की बात मानते हैं। इस प्रकार लॉक ने सीमित एवं मर्यादित राज्य की स्थापना द्वारा जनकल्याणकारी रूप का वर्णन किया है। अतः लॉक का राज्य उदारवादी, कल्याणकारी, जनसहमति पर आधारित राज्य है। यह सीमित और मर्यादित राज्य है जिसका वैधानिक और संवैधानिक आधार है। अतः लॉक को इस सिद्धान्त की स्थापना से एक उदारवादी चिन्तक के रूप में मान्यता मिली है। लॉक की इस देन को कभी नकारा नही जा सकता। आधुनिक चिन्तन में लॉक की उदारवादी विचारधारा का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

1.11 सरकार का सिद्धान्त : सीमित सरकार

(Theory of Government : Limited Government)

लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को मनुष्यों ने समझौते द्वारा समाप्त करके नए समाज की स्थापना की है। इसकी स्थापना का उद्देश्य अपनी कठिनाइयों को दूर

करना तथा अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना था। जनता ने शासक को सभी अधिकार नहीं सौंपे, केवल वही अधिकार दिए जिससे जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति की रक्षा हो सके। लॉक ने सरकार को सरकार न कह कर ट्रस्ट का नाम दिया जिसे जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार के तो जनता के प्रति कर्त्तव्य हैं कि ट्रस्ट के अनुसार काम करे और यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का अतिक्रमण करती है तो समुदाय को सरकार को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। लॉक के राजदर्शन में राज्य एवं सरकार में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया है। उसके अनुसार सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण होता है न कि सरकार का।

सरकार की स्थापना

लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समुदाय अथवा समाज की स्थापना हो जाने के बाद सरकार की स्थापना किसी समझौते द्वारा नहीं, बल्कि एक विश्वस्त न्यास या ट्रस्टी द्वारा हुई। लॉक का सरकार को समाज के अधीन रख्ना इस बात पर जोर देना है कि सरकार जनहित के लिए है। अपने कार्य में असफल रहने पर सरकार को बदला जा सकता है। लॉक के अनुसार –"राज्य एक समुदाय है जो लोगों के समझौते द्वारा संगठित किया जाता है। परन्तु सरकार वह है जिसे यह समुदाय अपने कर्त्तव्यों को व्यावहारिक स्परूप देने के लिए एक न्यास की स्थापना करके स्थापित करता है।" लॉक का मानना है कि समुदाय बिना सम्प्रभु के सहयोग के इस ट्रस्टी की स्थापना करता है। लॉक ने कहा है कि शासन के विघटना होने पर भी राज्य कायम रहता है। लॉक का शासन या सरकार सिर्फ जनता का ट्रस्टी है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी शक्तियाँ का स्त्रोत जनता है, मूल समझौता नहीं।

सरकार के कार्य (Functions of Government)

सरकार की स्थापना के बाद लॉक सरकार के कार्यों पर चर्चा करता है। लॉक ने सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, सम्पत्ति तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। लॉक ने कहा है – "मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने

आपको सरकार के अधीन रखने का महान् एवं मुख्य उद्देश्य अपनी – अपनी सम्पत्ति की रक्षा करना है।" लॉक के अनुसार सरकार के तीन कार्य हैं :–

1. सरकार का प्रथम कार्य व्यवस्थापिका के माध्यम से समस्त विवादों का निर्णय करना, जीवन को व्यवस्थित करना, उचित – अनुचित, न्याय – अन्याय का मापदण्ड निर्धारित करना है।
2. सरकार के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य जैसे युद्ध की घोषणा करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, शान्ति स्थापित करना तथा अन्य राज्यों से सन्धि करना व न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना है।
3. सरकार का तीसरा प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य है। यह कार्य एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना से सम्बन्धित है जो कानूनों के अनुसार विवादों का निर्णय कर सके।

लॉक के अनुसार सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं कर सकती। सरकार की शक्तियाँ धरोहर मात्र हैं। वह जनता द्वारा स्थापित न्यास है, जिसे समाज को वापिस लेने का अधिकार है। जब सरकार ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह न करके तो उसे बदलने का अधिकार जनता के पास है। लॉक के अनुसार कार्यों के अलग – अलग होने से सरकार के तीन अंग इनका सम्पादन करते हैं।

सरकार के अंग

लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए सरकार के तीन अंगों को कार्य सौंपकर उनका निराकरण किया। ये तीन अंग निम्नलिखित हैं :–

1. **विधानपालिका शक्ति (Legislative Power)** : सरकार न्याय तथा अन्याय का मापदण्ड तथा समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए एक सामान्य मापदण्ड निर्धारित करती है। विधानपालिका समुदाय की सर्वोच्च शक्ति को धरोहर के रूप में प्रयोग करती है। फिर भी शासन के अन्दर वह सबसे महत्त्वपूर्ण और सर्वोच्च होती है। शासन के स्वरूप का निर्धारण इसी बात से होता है कि विधायिनी शक्ति का प्रयोग कौन करता है। लॉक का मानना है

कि यदि वह शक्ति निरंकुश शासक के हाथ में हो तो जनता का जीवन कष्टमय हो जाता है। लॉक ने कहा कि विधानपालिका की शक्ति निरंकुश नहीं है। उसे मर्यादा में रहकर कार्य करना पड़ता है। वह मनमानी नहीं कर सकती। उसकी शक्तियों का प्रयोग केवल जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हो सकता है। वह केवल समाज हित में कार्य करेगी, किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं कर सकती। इसे नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है और वह अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग दूसरे को नहीं दे सकती। विधानपालिका सर्वसम्मति के सिद्धान्त के अनुसार ही कार्य करती है।

2. **कार्यपालिका शक्ति (Executive Powers)** : यह शासन का दूसरा प्रमुख अंग है। लॉक इसे कानून लागू करने के अतिरिक्त न्याय करने का भी अधिकार प्रदान करता है। अतएव कार्यपालिका को न्यायपालिका से अधिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। यह एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति है जो कानून के अनुसार व्यक्तियों के आपस के झगड़ों का निर्णय करती है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून को लागू करते समय य सम्भावना रहती थी कि मनुष्य अपने स्वार्थ, प्रतिशोध और क्रोध से प्रभावित हो सकता है। उसकी सहानुभूति संसद के साथ होते हुए भी उसके शासक की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए शक्तियों का विभाजन किया। उसने कार्यपालिका को न्याय सम्बन्धी अधिकार इसलिए दिये क्योंकि विधानपालिका तो कुछ समय के लिए सत्र में रहती है जबकि कार्यपालिका की तो सदा जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कार्यपालिका को जनकल्याण में कानून की बनाने का अधिकार है। यह उसका विशेषाधिकार है। वस्तुतः लॉक की कार्यपालिका विधानपालिका की उसकी प्रकार ट्रस्टी है, जिस प्रकार उसकी विधानपालिका समस्त समुदाय की।

3. **संघपालिका शक्ति (Federatative Power)** : इस अंग का कार्य दूसरे देशों के साथ सन्धियाँ करना है ।इसका सम्बन्ध विदेश नीति से है। यह अंग दूसरे लोगों की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए विदेशों में प्रबन्ध करती है। युद्ध

की घोषणा करना, शान्ति स्थापना तथा दूसरे राज्यों से सन्धि करना, इस संघपालिका की शक्ति के अन्तर्गत आते हैं। संघपालिका शक्ति के क्रियान्वयन के लिए शासन के पृथक् अंग की व्यवस्था न कर लॉक इसे कार्यपालिका के अधीन रखने का सुझाव देता है। लॉक का मानना है कि विधानपालिका के कानूनों द्वारा संघीय शक्ति का संचालन नहीं हो सकता। इसका संचालन तो प्रखर बुद्धि और गहन विवेक वाले व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है।

सरकार के तीन रूप

लॉक के अनुसार सरकार का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि बहुमत समुदाय अपनी शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करना चाहता है। इस आधार पर सरकार के तीन रूप हो सकते हैं :—

1. जनतन्त्र : यदि व्यवस्थापिका शक्ति समाज स्वयं अपने हाथों में रखता है तथा उन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो शासन का स्वरूप जनतन्त्रीय है।
2. अल्पतन्त्र : यदि समाज की व्यवस्थापिका शक्ति बहुमत द्वारा कुछ चुने हुएः व्यक्तियों या उनके उत्तराधिकारियों को दी जाती है तो सरकार अल्पतन्त्र सरकार कहलाती है।
3. राजतन्त्र : यदि व्यवस्थापिका शक्ति केवल एक व्यक्ति को दी जाती है तो शासन का रूप राजतन्त्रात्मक है।

शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था (Separation of Powers)

लॉक ने सरकार के तीन अंगों की स्थापना करके विधायिका तथा कार्यपालिका में स्पष्ट और अनिश्चित पृथक्कता स्वीकार की और कार्यपालिका को विधायिका के अधीनस्थ बनाया। लॉक इन दोनों शक्तियों के एकीकरण पर असहमति जताते हुए कहा — "जिन व्यक्तियों के हाथ में विधि निर्माण की शक्ति होती है, उनमें विधियों को क्रियान्वित करने की शक्ति अपने हाथ में ले लेने की प्रबल इच्छा हो सकती है क्योंकि शक्ति हथियाने का प्रलोभन मनुष्य की एक महान दुर्बलता है।" लॉक ने

कहा कि कार्यपालिका का सत्र हमेशा चलना चाहिए। विधानपालिका के लिए ऐसा आवश्यक नहीं। यद्यपि लॉक शक्तियों का पृथक्करण की बात करता है, परन्तु कार्यपालिका व विधानपालिका के कार्य एक ही अंग को सौंपने को तैयार है। वेपर का मत है – "लॉक ने उस शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का प्रतिपादन नहीं किया है जिसे हम आगे चलकर अमेरिकी संविधान में पाते हैं। अमेरिकी संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण का तात्पर्य है कि शासन का कोई भी अंग अन्य अंगों से सर्वोच्च नहीं है, जबकि लॉक ने विधायिका की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया था।" अतः लॉक का दर्शन शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का असली जनक नहीं है। उसके दर्शन में तो बीज मात्र ही है।

सरकार की सीमाएँ (Limitations on Government)

लॉक कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करता । वह कानूनी सार्वभौम को लोकप्रिय सार्वभौम को सौंप देता है। वह एक ऐसी सरकार के पक्ष में हो जो शक्ति विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है तथा बहुत सी सीमाओं से सीमित है। लॉक की सरकार की प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं :–

1. यह सरकार जनहित के विरूद्ध कोई आदेश नहीं दे सकती।
2. वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन, उन्हें कम या समाप्त नहीं कर सकती।
3. वह निरंकुशता के साथ शासन नहीं कर सकती। उसके कार्य कानून के अनुरूप ही होने चाहिए।
4. यह प्रजा पर बिना उसकी सहमति के कर नहीं लगा सकती।
5. इसके कानून प्राकृतिक कानूनों तथा दैवीय कानूनों के अनुसार होने चाहिएं।

आलोचनाएँ (Criticisms)

लॉक की सीमित सरकार की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :–

1. सरकार व राज्य में भेद को स्पष्ट नहीं किया। लॉक ने इनके प्रयोग में स्पष्टता नहीं दिखाई। कभी दोनों का समान अर्थ में प्रयोग किया, कभी राज्य को सरकार के अधीन माना है।
2. लॉक के राज्य का वर्गीकरण अवैज्ञानिक है। उनके वर्गीकरण राज्य का नहीं सरकार का हैं, क्योंकि उसने विधायनी शक्ति जो सरकार का तत्त्व है, के आधार पर राज्य का वर्गीकरण किया है।
3. विधायिका शक्ति का समुचित प्रयोग नहीं कर सकती। लॉक के सिद्धान्त में समुदाय की शक्ति ट्रस्ट के रूप में सरकार की विधानपालिका शक्ति के पास आती है, परन्तु उसे अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता। समुदाय की शक्ति तभी सक्रिय होती है जब सरकार का विघटन होता है।
4. लॉक के पास सरकार हटाने का कोई ऐसा मापदण्ड नहीं है जिसके आधार पर निर्णय किया जा सके कि सरकार ट्रस्ट का पालन कर रही है या नहीं। यह भी प्रश्न है कि यह कौन निर्णय करे कि सरकार ट्रस्ट के विरूद्ध काम कर रही है। इसके बारे लोगों की राय कैसे जानी जाए ?

उपर्युक्त आलोचनाओं के बाद कहा जा सकता है कि लॉक का यह सिद्धान्त एक सैद्धान्तिक संकल्पना मात्र है, व्यावहारिक नहीं। फिर भी आधुनिक शासन प्रणालियों में सरकार के जिन अंगों और कार्यों की मान्यता मिली है। वे लॉक के दर्शन का महत्त्व सिद्ध करते हैं। अतः लॉक का सीमित सरकार का सिद्धान्त आधुनिक युग में महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है।

1.12 लॉक क्रान्ति के दार्शनिक के रूप में (Locke as a Philosopher of Revolution)

लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'शासन पर द्वितीय निबन्ध' में क्रान्ति पर अपने विचार प्रकट किए हैं। लॉक सरकार को जनता के अधीन रखना है। लॉक का मानना है

कि राज्य का निर्माण सर्वसहमति से जनकल्याण के लिए समुदाय द्वारा एक समझौते के तहत हुआ है। इस प्रक्रिया में नियन्त्रण की शक्ति लोगों के पास ही रहती है। लॉक के अनुसार – "यदि कोई व्यक्ति समाज या व्यक्ति समूह के अधिकारों को नष्ट करने की चेष्टा करता है और योजना बनाता है, यहाँ तक कि यदि इस समाज के विधायक भी इतने मूर्ख या दुष्ट हो जाएँ कि लोगों की स्वतन्त्रताओं और सम्पत्तियों का ही अपहरण करने लगे तो समाज अपने आपको बचाने के लिए सर्वोच्च शक्ति निरन्तर अपने पास रखता है।" लॉक किसी ऐसे सार्वभौम का विचार नहीं करता जिसके कानून बनाने के अधिकार पर कोई प्रश्न न किया जा सके। यदि सरकार अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन करती है तो जनता को उसके विरूद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। जनता को यह निर्णय करने का अधिकर है कि सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन कर रही है या नहीं। यदि नहीं तो जनता ऐसी अयोग्य तथा दुराचारी सरकार को पदच्युत कर सकती है। एक ऐसा शासक जो निरंकुश है, जनता को युद्ध की ज्वाला में झोकता है तो जनता को विद्रोह का पूरा अधिकार है। जनता सम्प्रभु को सारे अधिकार उनको सुरक्षा व सरंक्षण प्रदान करने के लिए देती है। यदि इन अधिकारों की सुरक्षा में कोई खामी पैदा हो जाए तो जनता को विद्रोह का पूरा अधिकार है। लॉक का कहना है – "सारे अधिकार इस विश्वास से दिए जाते हैं कि एक लक्ष्य प्राप्त होगा। उस लक्ष्य के सीमित होने के कारण, जब कभी भी सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है तो वह विश्वास निश्चय ही समाप्त हो जाता है।" विधायिका सरकार का सबसे शक्तिशाली अंग होता है। उसे केवल जनता के अधिकारों, जो जनता ने उसे दिए हैं, से ही सन्तुष्ट होना पड़ता है। यदि विधायिका उन अधिकारों का अतिक्रमण करे तो विरोध अनिवार्य है। लॉक की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। अतः जनता को अन्याय का विरोध करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।

लॉक का प्रमुख उद्देश्य निरंकुश शाासन के विरूद्ध संवैधानिक अथवा सीमित सरकार का समर्थन करना है। सरकार की शक्तियाँ धरोहर मात्र हैं। सरकार सर्वोच्च होते हुए भी मनमानी नहीं कर सकती। उसके अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। लॉक के अनुसार – "जब भी जनता यह महसूस करे कि व्यवस्थापिका उसे सौंपे गए ट्रस्ट के विरूद्ध

जा रही है तो उसे हटा देने अथवा परिवर्तन करने की सर्वोच्च शक्ति जनता में अब भी रहती है।" भ्रष्ट शासकों को पदच्युत करने के लिए लॉक संवैधानिक उपायों का सुझाव देता है। परन्तु यदि भ्रष्ट या दुष्ट शासक लोगों का विरोध का हिंसक दमन करता है तो जनता को वह असंवैधानिक उपायों के प्रयोग की सलाह देता है। लॉक ने कहा है कि "यदि यह स्पष्ट हो जाए कि राजनीतिक सत्ता अन्याय के मार्ग पर चल रही है, सरकार प्राकृतिक नियमों की अवहेलना कर रही है, लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, मनमानी कर रही है, तो इन परिस्थितियों में जनता को क्रान्ति का अधिकार है।" सरकार के भंग होने के बारे में लॉक कहता है कि "सरकार तब भंग हो जाती है जब कानून निर्माण की शक्ति उस संस्था से हट जाती है जिसको जनता ने यह दी थी या तब जबकि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका उसका प्रयोग ट्रस्ट की शर्तों के विपरीत करते हैं।"

शासन या सरकार के विरूद्ध विद्रोह के कारण

लॉन ने सर्वप्रथम उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जब जनता विद्रोह करना अपना पवित्र कर्त्तव्य समझती है। लॉक की मान्यता है कि विद्रोह का अधिकार जनता के पास न होकर शासक के उत्तरदायित्व पर निर्भर है। कार्यपालिका जब अपने विशेषाधिकार का दुरूपयोग कर नियत समय पर विधानपालिका का सत्र नहीं बुलाती है एवं बिना विधानपालिका की अनुमति से स्वेच्छापूर्वक शासन करती है, तब कानून निर्माण की शक्ति विधानपालिका के हाथों से कार्यपालिका के पास चली जाती है। उस अवस्था में जनता को विद्रोह का अधिकार है। लॉक निम्नलिखित परिस्थितियों में जनता को विरोध का अधिकार देता है :–

1. यदि शासन जनता की सहमति पर आधारित न हो।
2. यदि वह जनता का विश्वास खो दे।
3. यदि वह ट्रस्ट विरोधी आचरण करे।
4. यदि वह जनता के जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करे।
5. यदि वह अनिपुण, स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो।

6. यदि वह जनता की सहमति के बिना चुनाव सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन करे।
7. यदि वह देश के नागरिकों को विदेशी शासकों का गुलाम बनाने का प्रयास करे तो उसके विरूद्ध विद्रोह करना जनता का अधिकार ही नहीं, एक पवित्र कर्त्तव्य भी है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को विद्रोह का अधिकार दिया है जिससे वे अन्याय, अनीति और अत्याचार से अपनी रक्षा कर सकें, क्योंकि अत्याचार तो स्वर्ग के देवता भी सहन नहीं करते। इसलिए लॉक ने कहा है –"प्राधिकरण के बिना शक्ति का वास्तविक उपचार शक्ति द्वारा इसका विरोध करना ही है।" लॉक ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्रोह द्वारा शासन का अन्त होता है, समाज का नहीं।

विद्रोह का अधिकार किसे ?

विद्रोह के अधिकार के बारे में एक प्रश्न उभरता है कि विद्रोह का अधिकार किसे है? जनता को, बहुमत को, अल्पमत को या एक व्यक्ति को। लॉस्की व सेबाइन जैसे विचारकों का मत है कि लॉक विद्रोह का अधिकार जनता या बहुसंख्यक को देता है। लॉक ने स्वयं कहा है कि "अल्पसंख्यकों द्वारा विद्रोह करना व्यर्थ है।" परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अल्पसंख्यकों या एक व्यक्ति को विद्रोह नहीं करना चाहिए। यदि शासक के अत्याचारों से जनता उत्पीड़ित न हो तो इसके लिए बहुसंख्यक की प्रतीक्षा करना जरूरी नहीं है। बहुसंख्यक के सहयोग बिना क्रान्ति सफल नहीं हो सकती। लॉक ने अपने ग्रन्थ के 14 वें अध्याय में लिखा है कि "एक व्यक्ति को भी विद्रोह का अधिकार है यदि उसे अधिकार से वंचित किया जाता है।" विद्रोह करना कानूनी अधिकार नहीं है। विद्रोह का अर्थ अन्धकार में छलांग मारना है। प्रायः सभी क्रान्तियों में विद्रोह की आग गणमान्य या कुछ ही लोगों द्वारा सुलगाई जाती है और बाद में अन्य लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। अतः लॉक कहता है कि "विद्रोह का अधिकार एक व्यक्ति को भी है। शर्त सिर्फ यह है कि उसे अधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से सार्वजनिक हित में अन्य व्यक्तियों के मतो का समुचित आदर करते हुए करना चाहिए।

लॉक एक गम्भीर विचारक था। उसने जनता में निहित क्रान्ति के अधिकार का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही करने का सुझाव दिया। तुच्छ व क्षणिक कार्यों से क्रान्ति नहीं करनी चाहिए। क्रान्ति तभी करनी चाहिए जब शासक जनता के हितों की रक्षा करने में सक्षम हो। क्रान्ति को सफल बनाने के लिए इसमें बहुमत का भाग लेना आवश्यक है। क्रान्ति की आग चाहे एक व्यक्ति के द्वारा भड़काई जाए या अल्पमत द्वारा जब तक बहुतम उसमें शामिल न हो तब तक सम्पूर्ण समाज – हित की भावना प्रकट नहीं होती।

आलोचनाएँ (Criticisms)

लॉक के क्रान्ति के सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना हुई है :–

1. **तर्कहीन व अव्यावहारिक** : लॉक का यह सिद्धान्त तर्कहीनता के दोष से ग्रस्त है। लॉक का क्रान्ति का सिद्धान्त अव्यावहारिक है। आधुनिक समय में कोई भी राज्य अपने नागरिकों को क्रान्ति का अधिकार नहीं दे सकता। यदि इसे व्यावहारिक रूप दिया जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए इन्हें नैतिक व वैध आधार प्रदान नहीं किया जा सकता।
2. **हिंसा का समर्थक :** लॉक का यह सिद्धान्त समाज में हिंसा फैलाने का पक्षपाती है। आज प्रत्येक राज्य शान्ति कायम करने के विपरीत उपाय करता है। शान्ति भंग करने वालों से निपटने के लिए कठोर दण्डात्मक उपाय भी करता है। आधुनिक राज्यों में हिंसा का समर्थन करना अशान्ति को बढ़ाता है।
3. क्रान्ति का बहुमत द्वारा समर्थित होने पर ही वैधता प्राप्त होती है। अतः यह सिद्धान्त पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है। इसमें अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण क्रान्ति करने पर बहुमत का समर्थन मिलने पर ही विद्रोह किया जा सकता है। अतः यह सिद्धान्त बहुमत का अल्पमत पर अन्याय का दोषी है।

4. लॉक ने क्रान्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया है। उसने केवल यह बताया कि यदि शासक अन्यायी हो जाए तो जनता का विद्रोह का अधिकार है। उससे यह स्पष्ट नहीं किया कि लोग यह कार्यवाही किस प्रकार करते हैं।
5. **सेबाइन के अनुसार** – "लॉक ने विद्रोह विषयक अपने सभी तर्कों में विधिसंगत शब्द का प्रयोग करके पूर्ण और शायद अनावश्यक भ्रम उत्पन्न कर दिया है।" स्वयं लॉक द्वारा क्रान्ति का समर्थन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि विधिसंगत कार्य सदा न्यायपूर्ण और नैतिक नहीं हो सकता।
6. **रसेल के अनुसार** – "लॉक ने कहा है कि अन्यायी शासन के विरूद्ध विद्रोह अवश्य करना चाहिए। परन्तु व्यवहार में यह तभी सार्थक होता है जब किसी संस्था को यह निर्णय करने का अधिकार हो कि शासन कब अन्यायी या अवैध है। लॉक ने इसकी व्यवस्था नहीं की है। लॉक इस बात को भूल जाता है कि मनुष्य कितना भी ईमानदार हो, पूर्णतः निष्पक्ष नहीं हो सकता।

उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि लॉक का क्रान्ति का सिद्धान्त राजनीति दर्शन के इतिहास में उसकी अमूल्य देन है। अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम एवं फ्रांस की क्रान्ति पर लॉक का महान प्रभाव पड़ा। लॉक ने 1688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति का उदाहरण देते हुए, क्रान्ति के औचित्य को ठीक ठहराने का पूरा प्रयास इस सिद्धान्त द्वारा किया है। लॉक ने अपनी पुस्तक 'नागरिक शासन' जो 1690 में प्रकाशित की, उसकी भूमिका में उसने लिखा है – "इसमें हमारा उद्देश्य वर्तमान राजा विलियम के सिंहासन पर बैठने की घटना को सुप्रतिष्ठित बनाना है।" लॉक एक प्रगतिशील विचारक थे। उनका प्रमुख ध्येय इस सिद्धान्त की स्थापना करके रक्तहीन क्रान्ति (Bloodless Revoltion) का औचित्य ही सिद्ध करना था। उसके इस सिद्धान्त को जैफरसन पर काफी प्रभाव पड़ा। अतः इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि लॉक के विद्रोह विषयक विचार आधुनिक युग में ही महत्त्वपूर्ण, उपयोगी एवं स्मरणीय है। इसलिए लॉक का यह सिद्धान्त राजनीति दर्शन के इतिहास में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं अमूल्य देन है।

1.13 लॉक एक व्यक्तिवादी के रूप में (Lock as an Individualist)

राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में लॉक का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। लॉक का मानना है कि पृथ्वी और उस पर विद्यमान सभी संस्थाएँ व्यक्ति के लिए ही हैं, व्यक्ति उनके लिए नहीं है। लॉक के दर्शन का आधार यह है कि व्यक्ति के कुछ मूल तथा अपरिवर्तनीय अधिकार होते हैं, जो स्वाधीनता, जीवन तथा सम्पत्ति के अधिकार हैं, जिन्हें उनसे छीना जा सकता है। लॉक को उपर्युक्त व्यवस्था के कारण ही उसे व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहा जाता है। जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य को संरक्षक बना सकता है। लॉक एक स्पष्टवादी विचारक है। वह अपने व्यक्ति को समाज तथा राज्य दोनों से पहले रखता है। लॉक के लिए यदि कोई सार्वभौम है तो वह राज्य न होकर व्यक्ति ही है। राज्य एक साधन है तथा व्यक्ति उसका लक्ष्य है। राज्य एक सुविधा है तथा सर्वशक्तिमान व्यक्तियों का सेवक है। यह व्यक्तियों के अधीन उनका एक एजेण्ट अथवा प्रतिनिधि है।

लॉक का सम्पूर्ण दर्शन व्यक्ति के इर्द – गिर्द ही घूमता है। हर कार्य इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति की सार्वभौमिकता कायम रहती है। लॉक का मानना है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्त्तव्य है और राज्य को व्यक्ति की सहमति के बिना कोई कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। लॉक के अनुसार व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध राज्य का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं जा सकता। राज्य के दुर्व्यवहार अथवा अधिकार का दरूपयोग करने पर व्यक्ति को उसका विरोध करने का अधिकार है। व्यक्ति राज्य से पहले है। एक व्यक्तिवादी के रूप में लॉक का दावा निम्न बातों पर निर्भर करता है।

1. व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के अधिकार प्राकृतिक उसके जन्मजात तथा प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित होने के कारण यह सभी व्यक्तियों को समान मानता है। ये अधिकार व्यक्ति के निजी अधिकार है। इनके स्वाभाविक व जन्मसिद्ध होने के कारण राज्य कभी भी इनसे विमुक्त नहीं हो सकता।

2. राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण है। लॉक के अनुसार राज्य का उद्देश्य जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसी से राज्य का औचित्य सिद्ध हो सकता है। लॉक ने कह कि यदि इन अधिकारों की रक्षा होती तो राज्य का अस्तित्व कायम रह सकता है। राज्य का जन्म इन अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए ही होता है।

3. व्यक्तियों की सहमति ही राज्य का आधार है। यह सहमति मौन भी हो सकती है। लॉक का सहमति सिद्धान्त उनके व्यक्तिवाद पर ही आधारित है। लॉक ने कहा है कि व्यक्तियों का आपसी सहमति तथा इच्छा ने ही राज्य की संरचना की है और किसी को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लॉक ने भावी पीढ़ियों को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने या न करने की छूट दी है जो उसके व्यक्तिवाद का परिचायक है। प्राकृतिक अवस्था के लोगों को समझौते में शामिल होकर नहीं होते, वे प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहते हैं। इस प्रकार इसकी सदस्यता के सम्बन्ध में लॉक ने प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का आदर किया है।

4. लॉक ने व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार दिया है। लॉक के अनुसार – "समुदाय की सर्वोच्च शक्ति अन्तिम रूप से समाज में ही निहित होती है जिससे आवश्यकता पड़ने पर समाज उसका प्रयोग कर भ्रष्ट शासकों को अपदस्थ कर नये शासकों को चुनाव कर सकता है। लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जनकल्याण के लिए किया गया है। राज्य एक ट्रस्ट के समान है। वह जनता की सहमति पर आधारित तथा वैधानिक होता है। अतः यदि वह निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहता है तो उस स्थिति में जनता को उसके विरूद्ध विद्रोह करने का अधिकार है।

5. लॉक का व्यक्तिवाद उसके नकारात्मक राज्य की अवधारणा द्वारा प्रमाणित होता है। राज्य के कार्य नकारात्मक कर्त्तव्यों तक ही सीमित हैं। राज्य केवल तभी हस्तक्षेप करता है, जब व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है। नैतिकता, बुद्धि तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाता है। राज्य का उद्देश्य केवल जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के अधिकार की

रक्षा करने तक ही सीमित है। बाकी सारे अधिकार व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार संरक्षित होते हैं। इसलिए नकारात्मक राज्य का सिद्धान्त लॉक को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिवादी सिद्ध करता है।

6. लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता का विचार देकर व्यक्तिवादी होने का परिचय दिया है। लॉक ने कहा है कि सभी धर्मों और सम्प्रदायों को अपने विकास का अवसर दिया जाना चाहिए, बशर्तें उससे राज्य में अव्यवस्था न फैलाती हो। लॉक धर्म को एक व्यक्तिगत चीज मानता है। इसलिए राज्य को व्यक्तियों के धर्म और विश्वास में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार लॉक प्रत्येक व्यक्ति को अपने अन्तःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा और उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

7. लॉक के चिन्तन में उपयोगितावाद स्पष्ट दिखाई देता है। वह मानता है कि प्राकृतिक अवस्था के दुःखों को दूर करने के लिए तथा सुखों की प्राप्ति के लिए ही राजनीतिक समाज की स्थापना होती है और इनकी उपयोगिता इसी में निहित है कि वह व्यक्तियों को अधिक सुख पहुँचाये। इस प्रकार लॉक व्यक्ति के सुख को प्राथमिकता देता है।

8. व्यक्तिगत सम्पत्ति के कट्टर समर्थक लॉक ने कहा कि श्रम द्वारा अर्जित या जहाँ व्यक्ति अपना श्रम लगाता है वह वस्तु उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जाती है और राज्य व्यक्ति की अनुमति के बिना उससे उसका एक भी हिस्सा नहीं ले सकता। लॉक का कहना है कि व्यक्ति उन वस्तुओं का मालिक बन जाता है जिनमें वह अपना शारीरिक श्रम मिला देता है। यह व्यक्ति या व्यक्तिवाद का महत्त्व स्पष्ट करता है। अतः लॉक का श्रम सिद्धान्त उसके व्यक्तिवाद की ही पहचान है।

9. लॉक का क्रान्ति का सिद्धान्त बिना किसी सन्देह के लॉक के व्यक्तिवादी होने का प्रबल पक्षधर है। लॉक का कहना है कि राज्य अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो शासन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को उसका तख्ता पटलने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। लॉक

ने व्यक्ति को राज्य की तुलना में प्राथमिकता देकर व्यक्तिवादी होने का ही परिचय दिया है।

10. लॉक के राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति ही राज्य से श्रेष्ठतर स्थान पर लेता है। राज्य का औचित्य केवल इस बात में है कि वह व्यक्तियों द्वारा सौंपे गए अधिकारों को प्राकृतिक नियमानुकूल प्रयोग करे तथा न सौंपे गए अधिकारों की रक्षा करे।

11. लॉक का मानना है कि शासक समाज के प्रतिनिधि है। वह उतने ही अधिकार रखते हैं जो व्यक्तियों द्वारा दिये जाते हैं।

इस प्रकार लॉक ने व्यक्तिवाद की आधारशिला को मजबूत बनाया है। डनिंग ने स्वीकार किया है कि व्यक्तिवाद की आधारशिला मनुष्य को प्राकृतिक अधिकारों तथा चिन्तन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाती है। लॉक ने व्यक्ति को ही अपनी सम्पूर्ण व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु बनाया है। बार्कर के शब्दों में ″लॉक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान् भावना थी।″ मैक्सी के अनुसार – ″लॉक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया है।″ लॉक का व्यक्तिवाद उदारवाद तथा उपयोगितावाद का जन्मदाता माना जा सकता है।

आलोचनाएँ (Criticisms)

लॉक का व्यक्तिवाद कुछ आलोचनाओं का शिकार हुआ है। (i) लॉक व्यक्ति को सम्पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न मानता है। यदि वह सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न है तो उसे अपने स्वयं के निर्णय का परित्याग करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि बहुमत उसके साथ नहीं है। (ii) लॉक ने अत्याचारी शासन के विरूद्ध व्यक्तियों को विद्रोह का अधिकार दिया है, वह भी बहुसंख्यकों को दिया है, अल्पसंख्यक वर्ग को नहीं। परन्तु इन आलोचनाओं के बावजूद भी लॉक व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहलाता है। प्रो० वाहन के अनुसार – ″लॉक की व्यवस्था में हर वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती हुई दिखाई देती है। प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता सब प्रकार से सुरक्षित रह सके। इसलिए कहा

जा सकता है कि लॉक उदारवाद व उपयोगितावाद को आधार प्रदान करता है और उसकी राजनीतिक चिन्तन में व्यक्तिवाद के रूप में अमूल्य देन है।

1.14 लॉक का महत्त्व और देन (Importance and Contributions of Lock)

किसी भी राजनीतिक विचारक के सिद्धान्तों के आधार पर ही उसके महत्त्व को स्वीकार किया जाता है। लॉक के दर्शन का अवलोकन करने से उसके दर्शन में अनेक कमियाँ नजर आती हैं। लॉक का दर्शन मौलिक भी नहीं था। उसके सिद्धान्तों में तर्कहीनता तथा विरोधाभास पाए जाते है। लॉक हॉब्स की तरह ज्यादा बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देते हैं। उनका चिन्तन विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित विचारों का पुंज माना जा सकता है। इसलिए उसे विचारों को एकत्रित करके क्रमबद्ध करने के लिए महान् माना जाता है। लॉक के दर्शन का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण सामान्य बोध है। लॉक ने सरल व हृदयग्राही भाषा में जनता के सामने अपने विचार प्रस्तुत किये। उसके महत्त्व को सेबाइन ने समझाते हुए कहा है – "चुँकि उसमें अतीत के विभिन्न तत्त्व सम्मिलित थे, इसलिए उत्तरवर्ती शताब्दी में उनके राजनीतिक दर्शन से विविध सिद्धान्तों का आविर्भाव हुआ।" लॉक बाद में महान् और शक्तिशाली अमरीका तथा फ्रांससी क्रान्तियों के महान् प्रेरणा – स्त्रोत बन गए। लॉक का महत्त्व उनकी महत्त्वपूर्ण दोनों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है।

लॉक की देन (Contribution of Locke)

लॉक की राजनीतिक चिन्तन में महत्त्वपूर्ण देन निम्नलिखित हैं :–

1. **प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त (Theory of Natural Rights)** : लॉक की यह धारणा कि मनुष्य जन्म से ही प्राकृतिक अधिकारों से सुशोभित है, उसकी राजनीतिक सिद्धान्त की सबसे बड़ी देन है। उसने जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों को मनुष्यों का विशेषाधिकार मानते हुए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन पर छोड़ी है। किसी भी शासक को उनका उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति का सुख तथा उसकी सुरक्षा शासक के प्रमुख कर्त्तव्य है। इनके आधार पर ही राज्य को साधन तथा व्यक्ति को

साध्य माना गया है। यदि राज्य व्यक्ति का साध्य बनने में असफल रहता है तो जनता को विद्रोह करने का पूरा अधिकार है। प्रो० डनिंग के अनुसार – "लॉक के समान अधिकार उसके राजनीतिक संस्थाओं की समीक्षा में इस प्रकार ओत – प्रोत हैं कि वे वास्तविक राजनीतिक समाज के असितत्व के लिए ही अपरिहार्य दिखलाई पड़ते हैं।" लॉक की प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का आगे चलकर जैफरसन जैसे विचारकों पर भी प्रभाव पड़ा। आधुनिक देशों में मौलिक अधिकारों के प्रावधान लॉक की धारणा पर ही आधारित है।

2. **जनतन्त्रीय शासन (Democratic Government) :** लॉक के दर्शन की यह सबसे महत्त्वपूर्ण देन है। जन–इच्छा पर आधारित सरकार तथा बहुमत द्वारा शासन की उसकी धारणा। लॉक के संवैधानिक शासन सम्बन्धी विचार ने 18 वीं शताब्दी के मस्तिष्क को बहुत प्रभावित किया। मैक्सी के अनुसार – "निर्माण करने वाला हाथ, कहीं वाल्पील का, कहीं जैफरसन का और कहीं गम्बेटा का अथवा कहीं केवूर का था, किन्तु प्रेरणा निश्चित रूप से लॉक की थी।" उसने जनसहमति पर आधारित शासन का प्रबल समर्थन किया। आधुनिक राज्यों में संविधानवाद की धारणा उसके दर्शन पर ही आधारित है।

3. **उदारवाद का जनक (Father of Liberalism) :** लॉक की दार्शनिक और राजनीतिक मान्यताएँ उनके उदारवादी दृष्टिकोण का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। लॉक ने दावा किया कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। वेपर के शब्दों में – "उन्होंने उदारवाद की अनिवार्य विषय वस्तु का प्रतिपादन किया था अर्थात् जनता ही सारी राजनीतिक सत्ता का स्त्रोत है।, जनता की स्वतन्त्र सहमति के बिना सरकार का अस्तित्व न्यायसंगत नहीं, सरकार की सभी कार्यवाहियों का नागरिकों के एक सक्रिय संगठन द्वारा आंका जाना आवश्यक होगा। यदि राज्य अपने उचित अधिकार का अतिक्रमण करें तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। लॉक का सीमित राज्य व सीमित सरकार का सिद्धान्त उदारवाद का आधार – स्तम्भ है।

4. **व्यक्तिवाद का सिद्धान्त (Theory of Individualism) :** लॉक की सबसे महत्त्वपूर्ण देन उसकी व्यक्तिवादी विचारधारा है। लॉक के दर्शन का केन्द्र व्यक्ति और उसके अधिकार है। वाहन के शब्दों में – "लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार व्यक्ति है, प्रत्येक व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति की सम्प्रभुता को अक्षूण्ण रखना है।" लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को गौरवान्वित कर, व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा को स्वीकार कर, सार्वजनिक हितों पर व्यक्तिगत हितों को महत्त्व देकर उसने व्यक्तिवाद की पृष्ठभूमि को मजबूत बनाया है। लॉक ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बल दिया तथा व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधना माना है। उसके बुनियादी विचारों पर व्यक्तिवाद आधारित है।

5. **शक्ति – पृथक्करण का सिद्धान्त (Theory of Separation of Powers) :** लॉक की महत्त्वपूर्ण देन उसका शक्ति – पृथक्करण का सिद्धान्त है। इसका मान्टेस्क्यू पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ग्रान्सियान्स्की के अनुसार – "मान्टेस्क्यू का सत्ताओं के पृथक्करण का सिद्धान्त लॉक की संकल्पना का ही आगे गहन विकास था।" लॉक का यह मानना था कि शासन की समस्त शक्तियों का केन्द्रीयकरण, स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सही नहीं है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सुरक्षित करने क साधन के रूप में इस सिद्धान्त को प्रयोग करने वाला लॉक शायद पहला आधुनिक विचारक था। लॉक सरकारी सत्ता को विधायी, कार्यकारी तथा संघपालिका अंगों में विभाजित करता है ताकि शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो। लास्की के अनुसार – "मान्टेस्क्यू द्वारा लॉक को अर्पित की गई श्रद्धांजलि अभी अशेष है।"

6. **कानून का शासन (Rule of Law) :** लॉक की राजनीतिक शक्ति की परिभाषा का महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह है कि इसके कानून बनाने का अधिकार है। लॉक कानून के शासन को प्रमुखता देता है तथा कानून के शासन का उल्लंघन करने वाले शासक को अत्याचारी मानता है। लॉक के शब्दों में "नागरिक समाज में रहने वाले एक भी व्यक्ति को समाज के कानूनों को अपवाद करने

का अधिकार नहीं है।" वह निर्धारित कानूनों द्वारा स्थापित शासन को उचित मानता है। आधुनिक राज्य कानून का पूरा सम्मान करते हैं।

7. **क्रान्ति का सिद्धान्त (Theory of Revolution) :** लॉक का मानना है कि यदि शासक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असफल हो जाए या अत्याचारी हो जाए तो जनता को शासन के विरूद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। लॉक के इस सिद्धान्त का अमेरिका तथा फ्रांस की क्रान्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लॉक का कहना है कि सरकार जनता की ट्रस्टी है। यदि वह ट्रस्ट का उल्लंघन करे तो उसे हटाना ही उचित है। लॉक के इस कथन ने 1688 की गौरवमयी क्रान्ति का औचित्य सिद्ध किया है और अमेरिका व फ्रांस में भी परोक्ष रूप ये क्रान्तियों के सूत्रधारों को इस कथन ने प्रभावित किया।

8. **धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा (Conception of Secularism) :** लॉक व्यक्ति को उसके अन्तःकरण के अनुसार उपासना की स्वतन्त्रता देता है। लॉस्की के अनुसार – "लॉक वास्तव में उन अंग्रेजी विचारकों में प्रथम था जिनके चिन्तन का आधार मुखयतः धर्मनिरपेक्ष है।" लॉक के राज्य में पूर्ण सहिष्णुता थी। लॉक का मानना है कि राज्य व चर्च अलग – अलग है। राज्य आत्मा व चर्च के क्षेत्राधिकार से परे है। राज्य को धार्मिक मामलों में तटस्थ होना चाहिए। यदि कोई धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो तो राज्य को शान्ति का प्रयास करना चाहिए। इसलिए लॉक ने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। उसके सिद्धान्त में चर्च को एक स्वैच्छिक समाज में पहली बार परिवर्तित किया गया।

9. **उपयोगितावादी तत्त्व (Elements of Utilitarian) :** लॉक का सिद्धान्त उपयोगितावादी तत्त्वों के कारण उपयोगितावादी विचारक बेन्थम को भी प्रभावित करता है। लॉक ने कहा, "वह कार्य जो सार्वजनिक कल्याण के लिए है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार है।" लॉक ने राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकतम सुखों की सुरक्षा बताया। लॉक राज्य को व्यक्ति की सुविधाओं का यन्त्र मात्र मानते हैं। अतः बेन्थम लॉक के बड़े ऋणी हैं।

10. **आधुनिक राज्य की अवधारणा (Conception of Modern State) :** लॉक की धारणाएँ समाज की प्रभुसत्ता, बहुमत द्वारा निर्णय, सीमित संवैधानिक सरकार का आदर्श तथा सहमति की सरकार आदि आदर्श आधुनिक राज्यों में प्रचलित है। आधुनिक राज्य लॉक की इन धारणाओं के किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित है। आधुनिक विचारक किसी न किसी रूप में लॉक के प्रत्यक्ष ज्ञान का ऋणी है।

11. **रूसो का प्रभाव (Influence on Rousseau) :** लॉक के समाज को सामान्य इच्छा के सिद्धान्त पर लॉक का स्पष्ट प्रभाव है। लॉक के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज में ही निवास करती है। रूसो की सामान्य इच्छा लॉक के समुदाय की सर्वोच्चता के सिद्धान्त पर आधारित है।

यद्यपि लॉक के विचारों में विरोधाभास एवं अस्पष्टता पाई जाती है, किन्तु राजनीतिक सिद्धान्त पर लॉक का अमिट प्रभाव पड़ा है। उसके जीवनकाल में उसकी धारणाओं का बहुत सम्मान था। भावी पीढ़ियों को भी लॉक ने प्रभावित किया। लॉक की विचारधारा ने उसे मध्यवर्गीय क्रान्ति का सच्चा प्रवक्ता बना दिया था। लॉक की राजनीतिक चिन्तन की मुख्य देन व्यक्तिवाद, लोकप्रभुता, उदारवाद, संविधानवाद और नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। लॉक की महत्ता का मापदण्ड उनके राजनीतिक विचारों द्वारा परवर्ती राजनीतिक चिन्तन को प्रभावित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि लॉक का राजनीतिक चिन्तन को योगदान अमूल्य व अमर है।

1.15 निष्कर्ष (Conclusion)–

राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में जॉन लॉक का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जॉन लॉक ने अपने विचारों के माध्यम से उदारवादी सिद्धान्तों का श्रीगणेश किया। उसके अनुसार सत्ता का स्रोत जनता होती है तथा शासन की शक्ति सीमित और मर्यादित होनी चाहिए। वे सभी उदारवाद के आधारभूत स्तम्भ हैं। अतः जनता की सहमति पर आधारित वैज्ञानिक शासन का विचार जॉन लॉक की महत्वपूर्ण देन है। मैक्सी के अनुसार, 'जॉन लॉक से पूर्व किसी राजनीतिक विचार ने इतने स्पष्ट रूप से

सिद्धान्त की स्थापना नहीं की थी, यदि कोई शासन प्रजाजनों की सहमति पर आधारित न हो तो वह अवैध तथा निराधार होता है।' प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त भी राजनीतिक दर्शन को जॉन लॉक की सबसे विशिष्ट देन है। उसने जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पति को मनुष्य के जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार माना है, जिनकी रक्षा करना राज्य का कर्त्तव्य है। मॉटेंस्क्यू से वर्षों पूर्व शासन को तीन अंगों में विभाजित कर उसने शक्ति पृथ्क्करण के सिद्धान्त का भी बीजारोपण किया। दुनिया के वर्तमान आधुनिक संवैधानिक लोकतन्त्रों में अधिकांश राज्यों में अपने शासन का आधार जॉन लॉक के विचारों को ही माना जाता है।

1.16 शब्दावली (Keywords)–

संविधानवाद	–	संविधान के नियमों के अनुसार चलाया जाने वाला सीमित शासन
सतत्	–	निरन्तर, लगातार
सृष्टा	–	रचयिता
अराजकता	–	कानून /नियमविहीनता की स्थिति

1.17 स्वमूल्याकंन (Self-Assessment)

लघु उत्तरीय प्रश्न–

(1) व्यक्तिवाद का क्या अर्थ है?

(2) जॉन लॉक के जीवनकाल पर प्रकाश डालिये।

(3) जॉन लॉक के अधिकारों सम्बन्धी सिद्धान्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(1) राजनीतिक इतिहास में जॉन लॉक का क्या महत्व है? व्याख्या करें।

(2) जॉन लॉक के क्रांति सम्बन्धी विचारों का मूल्यांकन कीजिए।

(3) जॉन लॉक के मानव स्वभाव तथा सामाजिक समझौते के सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

(4) ''जॉन लॉक के विचार व्यक्तिवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं'', व्याख्या करें।

1.18 सन्दर्भ सूची–

1. प्रभुदत्त शर्मा, राजनीतिक विचारों का इतिहास (प्लेटो से मार्क्स), कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1967
2. बी.एल.फाड़िया, पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन का इतिहास (प्लेटो से मार्क्स), साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2018.
3. जे.पी.सूद, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास (भाग–प्राचीन व मध्यकालीन), जे.नाथ एण्ड कंपनी, मेरठ, 2008.
4. सेबाइन, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, न्यूयार्क, 1973
5. पुखराज जैन, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त, साहित्य भवन, आगरा, 1988.
6. रघुवीर सिंह, मध्यकालीन विश्व का इतिहास, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली
7. ब्रायन आर. नेल्सन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेवलैंड प्रकाशन, 1996.
8. डी. बॉशर व पी. कैली, पॉलिटिकल थिंकरसः फ्रॉम सॉकरेटिज टू द प्रेजेंट, ऑक्सफोर्ड, 2009.
9. जे.कॉलमैन, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉटः फ्रॉम एंशियट ग्रीस टू अर्ली प्रिस्टियनीटी, ऑक्सफोर्ड, 2000.
10. सी.बी.मैकफर्सन, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पसैसिव इंडिवियुलिज्मः हॉब्स टू लॉक, 1962.
11. ली. स्ट्रॉस, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलॉस्फी, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रैस, 1987.

अध्याय – 2

जीन जेक्स रूसो (Jean Jaques Rousseau)

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

राजदर्शन के इतिहास में रूसों को एक महान् तथा विवादास्पद दार्शनिक माना जाता है। एक ओर काण्ट (Kant), बर्क (Burke) और लॉस्की (Laski) जैसे विद्वान उसके महान् दार्शनिक मानते हैं, जबकि मार्ले (Marley), वॉल्टेयर (Voltaire) जैसे लेखक उसके चिन्तन को महत्त्वहीन मानते हैं। इस मतभेद के बावजूद राजनीतिक दर्शन के इतिहास में रूसो का एक विशेष एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होनें सामाजिक समझौता सिद्धान्त को नई दिशा दी और राज्य के सावयविक सिद्धान्त (Organic Theory) और यूनानी आदर्शवाद (Idealism) को पूनः स्थापित किया। उनके प्रसिद्ध कथन 'मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है, परन्तु वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है।' (Man is born free but everwhere is in chains) ने यूरोप के लोगों में स्वतन्त्रता के प्रति एक नई जागृति पैदा की और फ्रांसीसी क्रान्ति (1789) का प्रेरणा – स्त्रोत बना। रूसो शायद प्रथम विचारक हैं जो सर्वजनवासिनी प्रभुसत्ता सिद्धान्त (Theory of Popular Sovereignty) तथा सरकार के संचालन में जनता की राजनीतिक सहभागिता (Political Participation) को महत्त्व दिया। इसके अतिरिक्त उनकी 'सामान्य इच्छा का सिद्धान्त' बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ और ग्रीन जैसे विचारकों के लिए प्रेरणा – स्त्रोत बना। इस सिद्धान्त में रूसो ने सत्ता (Authority) और स्वतन्त्रता (Liberty) के बीच सन्तुलन करने का दावा किया प्लेटो तथा अरस्तू के पश्चात् रूसो ऐसा विचारक हुआ है जिसने इतने अधिक विविध विषयों में चिंतन किया कि आज भी राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ अपने ज्ञानार्जन के लिए उनके दर्शन का मनन करते हैं।

2.2 उद्देश्य (Objectives)–

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होगें–

- यह समझने में कि ऐसी कौन–कौन सी परिस्थितियां रही हैं जिन्होंने रूसो के विचारों पर प्रभाव डालो।
- रूसो के मानव स्वतन्त्रता पर दिए गए विचारों को समझने में।
- रूसो के चिन्तन में विद्यमान विरोधाभासी प्रवृतियों को समझने में।

2.3 जीवन परिचय (Life History)

सामाजिक समझौता सिद्धान्त के प्रवर्तक जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1712 ई० में स्विजरलैण्ड के जेनेवा नामक नगर में हुआ। प्रसवकाल में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसका पिता आइजक रूसो धार्मिक अत्याचारों से तंग आकर फ्रांस छोड़कर चला गया था। रूसो का पिता अनुत्तरदायी, चरित्रहीन और अस्थिर स्वभाव का था, इसलिए उसने रूसो के पालन–पोषण पर विशेष ध्यान नहीं दिया। गरीबी और अभाव के कारण उसे औपचारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। उसके पिता की कुप्रवृत्तियों का प्रभाव रूसो पर भी पड़ा। रूसो भी आवारागर्दी में समय व्यतीत करने लगा। उसके पिता द्वारा उसे अकेला जेनेवा में छोड़कर इटली जाने पर उसके चाचा ने उसकी देखभाल व पालन–पोषण करना शुरू किया। 1724 में रूसो ने स्कूल जाना छोड़ दिया और कानून के आफिस में किरानी की नौकरी की। परन्तु उसके स्वभाव के कारण उसने नौकरी छोड़ देनी पड़ी। 1726 में यह संगतराश की नौकरी करने लग गया। यहाँ उसकने कठोर परिश्रम किया। उसने चोरी करने तथा झूठ बोलने की कला भी सीख ली। एक दिन उसे घर आने में देरी हो गई। मालिक के दण्ड के भय से वह जेनेवा छोड़कर फ्रांस भाग गया। उसकी अन्तरात्मा शून्य प्रायः थी। उसने जीवन मं एक ही नियम का पालन किया – "जब कष्ट में पड़ो, भाग जाओ'। वह 1728 तक आवारा घुमक्कड़ का जीवन जीता रहा।

इस दौरान उसने भीख मांगी, चोरी की, असत्य भाषण दिया। दूसरों की सहायता ली और धर्म भी बदला। यह रूसो का प्रथम जीवनकाल है।

रूसो के जीवन का दूसरा काल 1728 ई० से 17242 ई० तक है। इस दौरान वह फ्रांस के विभिन्न भागों में घूमता रहा। लोगों ने उसकी सहायता की। लेकिन रूसो ने कभी अहसान नहीं माना। उसने नए मित्र भी बनाए लेकिन उसकी झगड़ालू प्रवृति के कारण सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। इस दौरान एक कैथोलिक पादरी ने उसे शिक्षा दिलाने का प्रयास किया, लेकिन वह उससे भी अधिक दिनों तक सम्बन्ध बनाए नहीं रह सका।

1742 ई० से 1749 ई० तक का समय उसके जीवन का तीसरा चरण है। इन 7 वर्षों की अवधि में रूसो ने अपनी भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त करता रहा। वह 1742 ई० में पेरिस चला गया। वह अपने नवीन संगीत स्वर का प्रदर्शन करना चाहता था लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली। यहाँ उसका सम्पर्क मैडन डी ब्रोऊली नामक महिला से हुआ; जिसके प्रभाव से उसने वेनिस स्थित फ्रांसीसी दूतावास में एक नौकरी मिल गई। परन्तु उसके लड़ाकू स्वभाव के कारण उसे इस पद से भी हाथ धोना पड़ा। 1744 में रूसो वापिस पेरिस चला गया। 1745 में उसकी मुलाकात एक अनपढ़, बदसूरत, भोगविलासिनी धोबिन महिला थिरेसी लेवाशियेर से हुई। उसके 5 बच्चे हुए। पालन – पोषण में असमर्थ रहने पर रूसो ने उस सभी बच्चों को एक अनाथालय में छोड़ दिया। 1749 ई० तक उसका सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक जीवन पूर्णतः असफल रहा। इस समय तक समाज में उसका कोई स्थान नहीं था।

रूसो का चौथा जीवनकाल 1749 से 1762 ई० तक का है। 1749 ई० में एक ऐसी घटना हुई जिसने रूसो की जीवन की धारा बदल दी। उसे अन्धकार से निकालकर प्रकाश और प्रसिद्धि में लाकर पटक दिया गया। 1749 ई० में डिजान की अकादमी ने एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका विषय था – "विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है या शुद्ध ?" अपने जीवन के अनुभवों से उत्प्रेरित रूसो ने कहा कि इसने नैतिकता का हास किया है। उसने सिद्ध कर

दिखाया कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है लेकिन उसे समाज की कृत्रिम संस्था भ्रष्ट बनाती है। यह निबन्ध लिखने पर रूसो को प्रथम पुरस्कार मिला। पेरिस में साहित्यिक क्षेत्र में रूसो को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। अपने निबन्ध में रूसो ने लिखा कि – "विज्ञान और कला ने मनुष्य का पतन किया है, मानव की चरित्रहीनता का उत्तरदायित्त्व आज के समय पर है; मानव स्वभाव से अच्छा है, परन्तु हमारी सामाजिक संस्थाओं ने उसे दुष्ट बना दिया है।" उसने विवेकी मनुष्य को पतित पशु की संज्ञा दी। रूसो के इस निबन्ध ने विवेक – युग के कृत्रिम समाज में क्रान्ति ला दी। आलोचकों ने पत्रों द्वारा उसकी आलोचना शुरू कर दी। रूसो के वाद–विवाद से रूसो की प्रतिभा और भी निखरने लगी। रूसो ने नए विश्वास के साथ जीवन की शुरूआत की। इस नए विश्वास ने उसके जीवन की धारा को पूर्णतः बदल दिया। 1754 ई० में रूसो ने एकाडेमी द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसका विषय था – 'असमानता का उद्भव और आधार' (Discources on the Origin and Foundation of Inequality)। इसमें उसने फ्रांस के तत्कालीन कृत्रिम जीवन पर गहरी चोट की। इसमें फ्रांस के राजतन्त्र की भी आलोचना की गई। वह 1754 में जेनेवा चला गया। उसने वहाँ प्रोटेस्टैण्ड धर्म स्वीकार किया और वहाँ उसे काफी सफलता मिली परन्तु वह वापिस पेरिस लौट आया। 1762 ई० में अपने धार्मिक विचारों के कारण उसे फ्रांस छोड़कर जर्मनी में शरण लेनी पड़ी। रूसो के जीवन का अन्तिम काल 1762 ई० से 1778 ई० तक है। इस दौरान उसने एक निर्वासित व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत किया। उसने धर्म – विरोधी विचारों के कारण जर्मनी के एक गाँव में 1765 ई० में उसकी हत्या का भी प्रयास किया गया। उसके बाद वह प्राण रक्षा हेतु 1766 ई० में इंग्लैण्ड भाग गया, रूसो के जीवन का यह काल महान् विषाद का काल है। वहाँ उसकी भेंट बर्क तथा ह्यूम से हुई। उसकी ह्यूम से मित्रता जल्दी ही समाप्त हो गई। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित, तिरस्कृत और परेशान रूसो 1767 ई० में फ्रांस लौट गया। जीवन का शेष समय उसने पेरिस में ही व्यतीत किया। फ्रांस की क्रान्ति से 11 वर्ष पूर्व 3 जुलाई 1778 ई० में 66 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई।

महत्त्वपूर्ण कार्य (Important Works)

रूसो ने 1750 ई० से 1778 ई० तक निम्नलिखित रचनाएँ लिखीं :–

1. **डिसकोर्स आन दि मॉरल एफेक्ट्स ऑफ दी ऑट्र्स साइन्सेज (Discourceon the Moral Effects of the Arts and Sciences, 1751) :** यह पुस्तक निबन्ध रूप में डिजॉन की अकादमी द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता से प्रेरित होकर लिखी गई। इस पुस्तक में नैतिकता पर विज्ञान व कलाओं के विकास के प्रभाव का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के कारण रूसो की आलोचना भी हुई। परन्तु इसने रूसो को साहित्यिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित बनाया। यह पुस्तक निबन्ध रूप में एक सर्वोत्तम रचना है।
2. **डिसकोर्सआन दि आरिजन ऑफ इनइकवैलिटी (Discource on the Origin of Inequality, 1755) :** यह पुस्तक रूसो द्वारा द्वितीय निबन्ध प्रतियोगिता में 1754 में भाग लेने के बाद 1755 लिखी गई है। इस पुस्तक में निबन्ध रूप में लिखते हुए रूसो ने बताया कि समाज में विषमता कैसे पैदा हुई।
3. **पोलिटिकल इकॉनामी (Political Economy, 1755) :** यह पुस्तक निबन्ध रूप में दिदरो द्वारा संपादित विश्वकोश में प्रकाशित हुए।
4. **दॅ नॉवेल हेलॉयज (The Nouvelle Heloise, 1761) :** यह पुस्तक उपन्यास रूप में लिखी गई।
5. **सोशल कांट्रेक्ट (Social Contract, 1762) :** यह पुस्तक राजनीतिक विज्ञान पर लिखी गई सर्वोत्तम रचना है। इसमें रूसो ने सामाजिक समझौता की विस्तारपूर्वक विवेचना की है।
6. **दॉ इमाइल (The Emile, 1762) :** यह पुस्तक शिक्षा से सम्बन्धित विषय पर लिखी गई है। इसके प्रकाशन से उसे महान् कष्ट झेलना पड़ा। इस पुस्तक में रूसो ने इस बात पर जोर दिया कि बाल शिक्षा को पादरियों के चंगुल से मुक्त करना चाहिए एवं किशोरावस्था तक किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इन धर्म विरोधी विचारों के कारण फ्रांस की संसद ने उसे बन्दी बनाने का आदेश दे दिया और उसकी मातृभूमि जेनेवा की परिषद् ने पुस्तक को जला डालने की आज्ञा दी।

7. **कन्फेशन्स (Confessons)** : रूसो ने इस अपनी अर्ध – विक्षिप्तावस्था में लिखा।

इसके अतिरिक्त रूसो ने डायलौग्स (Diaglogues) तथा अपने रिवरीज (Reveries) लिखे और पौलेण्ड एवं कोसिका के लिए संविधानों का प्रणयन किया।

2.4 अध्यनन पद्धति (Method of Study)

रूसो की अध्ययन पद्धति हॉब्स की अध्ययन पद्धति से काफी मेल खाती है। दोनों की अध्ययन पद्धति अनुभूतिमूलक और मनोविज्ञान युक्त थी। उसके विचार संवेग और कल्पना पर आधारित है। वह एक यथार्थवादी दार्शनिक चिन्तक नहीं, अपितु एक अलौकिक प्रतिभावान व्यक्ति है। उसमें न तो मांटेस्क्यू का पांडित्य है और न ही वाल्टेयर का तर्क । रूसो ने राजनीतिक दर्शन को विद्धानों के शांत, एकांत व आरामदेह अध्ययन कक्ष से उठाकर साधारण जनता की गलियों में पटक दिया है। उसकी आवाज कुलीन व पादरी वर्ग का प्रतिनिधित्व न करके आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो प्रथम चिन्तक है जिसने अपनी कृतियों द्वारा किसानों, मजदूरों एवं निम्न मध्यवर्ग के असंख्य लोगों की मूक संवेदनाओं और भावनाओं को वाणी दी है।

रूसो की अध्ययन पद्धति हॉब्स की तरह इतिहास का सहारा लेकर अनूभूतिमूलक पद्धति है। मैकियावेल्लि, बोदाँ, हॉब्स, लॉक, ग्रेशियस, सिडनी, मान्टेस्क्यू, वाल्टेयर आदि विचारों का उसकी पद्धति पर प्रभाव पड़ा। वह यूनानी साहित्य तथा काल्विन के धार्मिक विचारों से भी प्रभावित हुआ। अतः उसकी पद्धति भावात्मक, पद्यात्मक, कल्पनात्मक संवेगपूर्ण, रोमांसवादी तथा अंतर्प्रेरणीय है।

प्रेरणा – स्त्रोत (Sources of Inspiration)

किसी भी चिन्तक के ऊपर तत्कालीन परिस्थितियाँ अवश्य ही प्रभाव डालती हैं। रूसो के ऊपर भी समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं :–

1. **पूर्ववर्ती विचारकों का प्रभाव (Influence of Predecessors) :** रूसो ने प्लेटो, लॉक, हॉब्स तथा ग्रोशियस का काफी अध्ययन किया। प्लेटों ने उसे प्रारम्भ में तथा ग्रेशियस ने उसे अन्त में प्रभावित किया। प्लेटो से उसने जनतन्त्र को पसन्द करना उसे आदर्शवाद की परिभाषा में रखना सीखा। राज्य द्वारा व्यक्ति को आत्मसात् करने के विचार पर वह प्लेटो से ही प्रभावित हुआ। उसके निबन्ध 'असमानता के उद्भव पर' लॉक के व्यक्तिवाद का प्रभाव है। लॉक का जनसहमति का सिद्धान्त रूसो के सामाजिक समझौते का आधार बना। रूसो के समाज व व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विचार प्लेटो व अरस्तु के समान ही हैं। रूसो की 'सोशल कांट्रेक्ट' पुस्तक पर हॉब्स और लॉक का प्रभाव है। हॉब्स के प्रभाव के कारण वह निरंकुशवाद का समर्थन करता है, परन्तु लॉक के प्रभाव के कारण वह लोकतन्त्र का समर्थन करना है। इसके अतिरिक्त रूसो पर माण्टेस्क्यू, ह्मूम तथा बर्क का भी प्रभाव पड़ा।
2. **तत्कालीन राजनीतिक वातावरण (Contemporary Political Situation) :** उस समय जनता निरंकुश शासक, सामन्तशाही व चर्च के अत्याचारों से परेशान थी। रूसो का लक्ष्य जनता को अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। अतः उसने अपने साहित्य में अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। 'Emile' नामक ग्रन्थ में चर्च की निन्दा की गई है। इसी प्रकार उसने अपने 1754 के निबन्ध में सामाजिक विषमता की समस्या पर प्रकाश डाला है।
3. रूसो को जेनेवा के वातावरण ने भी प्रभावित किया है, इसलिए उसके विचार स्थानिक रहे। वह छोटे नगर राज्यों के पक्ष में था।
4. **निबन्ध प्रतियोगिता का प्रभाव (Influence of Essay Competition) :** 1749 ई० में रूसो ने डिजॉन एकेडेमी द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरूस्कार मिला। यहीं से उसके नए जीवन की शुरूआत हुई। रूसो की प्रतिभा निखरने लगी। यह रूसो के जीवन की सबसे महत्त्वूपूर्ण घटना थी। इसने उसके जीवन को एक लेखक

बनने की ओर प्रेरित किया। उसका सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शन उसकी पहली घटना से अवश्य ही प्रभावित हुआ है।

2.5 मानव – प्रकृति की अवधारणा (Conception of Human Nature)

रूसो ने अपने मानव–स्वभाव सम्बन्धी विचार अपनी पुस्तक 'सामाजिक समझौता' (Social Contract), 'दि इमाईल' (Emile) तथा 'व्यक्तियों के बीच असमानता के उद्‌भव एवं आधार पर निबन्ध प्रकट किए हैं। मानव प्रकृति के मूलतः अच्छा होने के बारे में रूसो प्लेटो से सहमत हैं। जहाँ हॉब्स मनुष्य को पूर्णतः दुर्गुणी मानता है और लॉक मनुष्य को पूर्णतः सद्‌गुणी मानता है, वहीं रूसो मनुष्य को दुर्गुणों तथा सद्‌गुणों का मिश्रण मानता है। अतः रूसों मानव–स्वभाव के बारे में लॉक व हॉब्स से अलग दृष्टिकोण रखता है। रूसो का मत है कि संसार में पाया जाने वाला भ्रष्टाचार, पाप तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, लेकिन कला, विज्ञान एवं संस्कृति ने उसे भ्रष्ट किया है। अतः मनुष्य की प्रकृति जन्मजात पशुओं जैसी नहीं है। वे विकृत सामाजिक संस्थाओं की देन हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उससे सोचने – समझाने की योग्यता व बुद्धि होने के कारण सद्‌गुणी बनाया जा सकता है तथा उसे पतन के मार्ग से हटाकर सद्‌मार्ग पर चलाया जा सकता है। रूसो के अनुसार मनुष्य के स्वभाव का निर्माण दो मौलिक प्रवृतियों से होता है। ये दोनों प्रवृतियाँ लाभदायक अधिक तथा हानिकारक कम होती हैं, अतः मनुष्य प्रकृति से अच्छा है। ये दो प्रवृत्तियाँ निम्न हैंः–

1. **आत्मरक्षा की प्रवृति** : रूसो के अनुसार आत्मरक्षा की भावना हमें अपने को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देती है। आत्मरक्षा की प्रवृति मनुष्य को स्वार्थी व निकम्मा बना देती है। इसलिए इसे स्वार्थी प्रवृति भी कहा जाता है। यदि मनुष्य में यह प्रवृति न होती तो वह आदिकाल में ही नष्ट हो गया होता। आत्मरक्षा की प्रवृति ने मनुष्य को प्राकृतिक संकटो व हिंसक जानवरों से बचाकर रखा। रूसो ने कहा है – "मनुष्य का प्रथम कानून स्वयं अपना प्रतिरक्षण करना है, उसे सबसे पहले अपनी चिन्ता रहती है।" अतः आत्मरक्षा की प्रवृति मनुष्य के जीवन के हर कार्य की प्रेरणा बनती है। व्यक्ति इसी

प्रवृति के कारण स्वार्थ की ओर प्रेरित होता है और स्वहित को प्राथमिकता देता है।

2. **साहनुभूति की प्रवृति :** रूसो के अनुसार यह प्रवृति समाज में सहयोग पैदा करके मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनने में सहायता करती है। यदि प्रकृति हमें यह प्रवृति न देती तो हमारा जीवन दुष्कर हो जाता। इस प्रवृति की प्रकृति कल्याणकारी होती है। यह प्रवृति सभी मनुष्यों में पाई जाती है। रूसो का विचार है कि दया, सहानुभूति या परस्पर सहायता की प्रवृति के कारण मनुष्य प्राकृतिक अस्था में दूसरे मनुष्यों के कष्ट देखकर द्रवित हो उठता है। अतः यह प्रवृति स्वाभाविक है और मनुष्य को प्रेम और मिलजुल कर रहना सिखाती है।

रूसो का मानना है कि इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष पैदा होता है। ऐसी स्थिति में यह जानना कठिन होता है कि मनुष्य किसी प्रवृति की ओर प्रेरित हो। परिवार हित की इच्छा कभी – कभी ऐसे कार्य की माँग करती है जो कि समाज हित में नहीं है। अन्दर सहानुभूति के भाव होते हुए भी, मनुष्य अन्य के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा पाता है क्योंकि आत्मरक्षा की प्रवृति या स्वार्थी प्रवृति उसे ज्यादा प्रभावित करती है। इस विरोध के बावजूद भी मनुष्य अपनी दोनों प्रवृत्तियों को पूरा करना चाहता है। परन्तु दोनों प्रवृत्तियाँ पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति इन दोनों संघर्षमय प्रवृत्तियों में तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। अतः वह समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाता है।

रूसो का मानना है कि आत्मरक्षा तथा सहानुभूति की प्रवृत्तियों के संघर्ष के कारण एक तीसरी भावना का जन्म होता है जिसे अन्तःकरण की प्रवृति कहा जाता है। अन्तःकरण बुद्धि की उपज नहीं है, क्योंकि अन्तःकरण के जन्म के बाद बुद्धि का जन्म होता है। यह शिक्षा की भी उपज नहीं है, क्योंकि शिक्षा का आधार अच्छा और बुरा ज्ञान है और इस ज्ञान का जन्म भी बुद्धि के प्रादुर्भाव के बाद ही होता है। इस प्रकार अन्तःकरण बुद्धि और शिक्षा दोनों से प्राचीन है। यह प्रकृति का उपहार है। यह स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य मनुष्य का कल्याण

है। इसलिए यह भी मनुष्य के लिए शुभ और लाभादायक होता है। अन्तःकरण एक ऐसी भावना है जिसमें सत्य और असत्य, उचित और अनुचित का निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। यह केवल मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है, परन्तु सत्य और असत्य, शुभ या अशुभ के बारे में निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए मार्गदर्शन के लिए व्यक्ति विवेक पर निर्भर है। विवेक ही मनुष्य को सत्कार्य का ज्ञान कराता है। अन्तःकरण की प्रेरणानुसार मनुष्य अपनी आत्मरक्षा व सहानुभूति की प्रवृत्तियों का पालन करता है। आत्मरक्षा और सहानुभूति को प्रवृत्तियों में सामंजस्य मनुष्य अपने विवेक और अन्तःकरण की सहायता से ही बिठाता है। इसलिए रूसो मनुष्य को स्वभाव से अच्छा मानता है।

रूसो का कहना है कि आत्मरक्षा या स्वार्थ की प्रवृत्ति मनुष्य को घमण्डी बना देती है। व्यक्ति अपना सद्मार्ग छोड़कर कुमार्ग को ओर प्रवृत हो जाता है। इसी से उसका पतन प्रारम्भ होता है। वेपर के अनुसार – "घमण्ड से भी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। सम्पूर्ण विश्व के मनुष्य इसके जाल में फँस जाते हैं। घमण्ड व्यक्ति के विवेक को उस समय तक भड़काता रहता है, जब तक कि वह अपनी वास्तविक प्रवृति नहीं छोड़ देता।" इस प्रकार घमण्ड समस्त – दोषों की जननी है जिससे आज संसार ग्रस्त है। इसी दुर्गुण के कारण व्यक्ति दूसरों को हानि पहुँचाता है। विफल होने पर आग उगलने लगता है और दूसरों को लज्जित करता है। यह सहानुभूति की भावना को दबाता है, अन्तःकरण को विकृत करता है एवं विवेक को अपवित्र बनाता है। इस प्रकार संसार के समस्त दोषों का स्त्रोत घमण्ड है। घमण्ड की छत्र – छाया में कला और संस्कृति मनुष्य के स्वभाव को विकृत कर देती है। अतः घमण्ड का परित्याग करके ही मनुष्य अपनी प्रकृति की क्षमता के अनुसार पूर्णता प्राप्त कर सकता है। रूसो का कहना है कि "प्राकृतिक मनुष्य वह है जो अपने सजग अन्तःकरण एवं प्रबुद्ध विवेक द्वारा अपनी आत्मरक्षा और सहानुभूति में सामंजस्य स्थापित करता है।" यदि हम विवेक को दम्भ के प्रभाव से निकलना होगा और हमें स्वाभाविक भावनाओं, आत्म–प्रेम तथा संवेदना पर ही संतोष करना होगा।

रूसो के मानव – स्वभाव सिद्धान्त के निहितार्थ

(Implications of Rousseau's Theory of Human Nature)

रूसो के मानव – स्वभाव सम्बन्धी सिद्धान्त से बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वे निम्नलिखित हैं :–

1. रूसो का प्राकृतिक मनुष्य सभ्य, गुणवान और पूर्ण है। अरस्तू के समान रूसो भी इस बात में विश्वास करता है कि प्रकृति विकास की चरमोत्कृष्ट अवस्था में, प्रारम्भिक रूप नहीं। दूसरे शब्दों में, जब कोई वस्तु अपनी नैसर्गिक क्षमता के अनुसार अपने विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचाती है, तो अन्तिम रूप से विकसित अवस्था ही उसकी प्रकृति होती है। परन्तु जहाँ अरस्तू ने मनुष्य को स्वभावतः सामाजिक माना है, रूसो उसे अच्छा मानता है, सामाजिक नहीं।
2. रूसो का प्राकृतिक मानव असभ्य व जंगली नहीं है। रूसो पीछे की ओर नहीं, नैतिक रूप से आगे बढ़ने का सन्देश देता है।
3. रूसो की यह धारणा विवेक विरोधी नहीं है। रूसो विवेक को पूरा महत्त्व देता है। विवेक ही उचित कार्यों का निर्धारण करता है, अन्तःकरण का मार्गदर्शन करता है, मानवीय भावनाओं को विकसित करता है, मनुष्य को प्राकृतिक मानव बनने में सहायता प्रदान करता है एवं उसे पूर्णता की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः रूसो के विवेक को महत्त्व देने के कारण वह बुद्धिवादी विचारक है।
4. रूसो कार्य की स्वतन्त्रता को भी मानव – स्वभाव का एक आवश्यक तत्त्व मानता है। उसने कहा है कि जो मनुष्य स्वतन्त्रता खो देता है, वह अपना मनुष्यत्व भी खो देता है। आत्मरक्षा तथा सहानुभूति की तरह स्वतन्त्रता भी मानव – स्वभाव का अभिन्न अंग है।

हॉब्स व लॉक से तुलना (Comparison with Hobbes and Locke)

हॉब्स, लॉक व रूसो के मानव – स्वभाव पर विचार परस्पर मतभेद पर आधारित है। हॉब्स के अनुसार मानव – स्वभाव से स्वार्थी, क्रूर, हिंसक व दुष्ट है। लॉक मनुष्य को सद्गुणी मानता है। लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। रूसो के

अनुसार मानव – स्वभाव में अच्छाइयों का मिश्रण है। मानव मूल रूप में सहयोगी, सरल तथा सद्भावना से परिपूर्ण है। रूसो की नजर में मानव निःस्वार्थी, आत्मप्रेमी, सहयोगी तथा अच्छा प्राणी होता है, परन्तु विवेक व सम्पत्ति के उदय से उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है और वह स्वार्थी तथा संघर्षमय बन जाता है। इस प्रकार हॉब्स ने मानव स्वभाव के बुरे पक्ष का तथा लॉक व रूसो ने दोनो पक्षों का वर्णन करके मध्यमार्ग अपनाया है। ये दोनों मानव स्वभाव को देख व दैवीय गुणों का मिश्रण मानते हैं। अतः मानव प्रकृति पर लॉक व रूसो के विचार लगभग समान हैं।

2.6 प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा (Conception of State of Nature)

रूसो की प्राकृतिक अवस्था सम्बन्धी अवधारणा अपने पूर्वपूर्ति दोनों समझौतावादी विचारकों से भिन्न है। रूसो के प्राकृतिक अवस्था पर विचार 'असमानता की उत्पत्ति' नामक रचना में व्यक्त कियो हैं। रूसो की प्राकृतिक अवस्था की कल्पना रूसो की अपनी कल्पना है। उसकी यह परिकल्पना ऐतिहासिक नहीं है। रूसो ने अपनी पुस्तक 'असमानता की उत्पत्ति' (Discourses on the Origin of Inequality) में जिस प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। वह न तो पापमय है, न पुण्यमय। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पशुतुल्य, एकाकी, निष्पाप एवं निर्दोष होता है। मनुष्य के स्वभाव में विवेक की शक्ति होती है तथापि प्राकृतिक दशा में यह शक्ति अविकसित एवं सुप्तावस्था में रहती है। व्यक्ति अच्छे – बुरे को कोई ज्ञान नहीं रखता है। वह स्वाधीनता और समानता अनुभव करता है तथा वह आत्मसंतोषी व आत्मनिर्भर है। वह कोई सामाजिक प्राणी नहीं है। वह विवेक के कार्य न करके स्वार्थ की प्रवृति से कार्य करता है। सम्पत्ति व तर्क की भावना पैदा होने पर सामाजिक विषमताएँ पैदा हो गई। इनसे स्वार्थ, घृणा, द्वेष व हिंसा के अवगुणों का जन्म हुआ। इससे दास प्रणाली का जन्म हुआ। इससे दास प्रणाली का जन्म हुआ। कष्टमय अवस्था से निकलने के लिए व्यक्तियों ने एक सामाजिक समझौता किया।

रूसो मानव को प्रकृति में वापिस चलने को कहता है। परन्तु उसकी यह प्रकाृतिक अवस्था एक काल्पनिक और दार्शनिक विवेक की धारणा है। रूसो प्राकृतिक दशा को सामाजिक या नागरिक दशा से श्रेष्ठ मानता है। परन्तु उसके राज्य व नागरिक

समाज के वास्तविक आधार व उद्देश्य को समझने के लिए उसकी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना को समझना आवश्यक है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था एक कल्पना है, जो सम्भवतः कभी विद्यमान नहीं थी और न ही विद्यमान होगी। रूसो की प्राकृतिक अवस्था के विवरण तीन चरणों में बाँटा जा सकता है :

(क) प्रकृति की अवस्था का प्रथम चरण (First Stage of State of Nature)

प्राकृतिक अवस्था के पहले चरण में मनुष्य उदात्त वन्य प्राणी (Novel Savage) था। मानव पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करता था। वह अपना जीवन पशु की तरह भूख, प्यास, निद्रा, काम – वासना की मूल प्रवृतियों के अनुसार व्यतीत करता था। वह स्वतन्त्र, सन्तुष्ट, आत्मकेन्द्रता, आत्मनिर्भर, शांत तथा एकाकी जीवन व्यतीत करता था। उसकी आवश्यकताएँ अति सीमित थी और वह पूर्ण रूप से सुखी था। उसके अन्दर दुर्गुणों का सर्वथा अभाव था, परन्तु सभ्यता के न होने से वह जंगली व पशु तुल्य था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रथम चरण से व्यक्ति शांतिमय व निष्पाप जीवन बिताता था।

(ख) प्रकृति की अवस्था का दूसरा चरण (Second Stage of State of Nature)

रूसो के अनुसार जैसे ही जनसंख्या की वृद्धि हुई तथा तर्क का उदय हुआ। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक प्रगति हुई। इससे मनुष्य में सम्पत्ति रखने की चाह जागृत हुई। इससे मनुष्य का दूसरे पर आधिपत्य, भौतिकवाद और गर्व का प्रादर्भाव हुआ। अब प्राकृतिक अवस्था में जाना मुश्किल था। रूसो के अनुसार –"वह पहला व्यक्ति नागरिक समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने भूमि के टुकड़े को घेर कर कहा कि यह भूमि मेरी है और जिसे इस कथन पर विश्वास करने के लिए सीधे – सादे व्यक्ति मिल गए।" जनसंख्या में वृद्धि और तर्क के उदय ने सामाजिक समानता को नष्ट कर दिया और मेरे – तेरे का भाव पैदा हुआ। अब मनुष्य जंगली जीवन को छोड़कर एक स्थान पर रहकर कृषि करने लगा। इससे समाज में असमानता बढ़ी जब कृषि के उद्‌भाव तथा पशु इत्यादि के स्वामित्व ने मनुष्यों में धनी – निर्धन की भावना उत्पन्न कराई। समाज में प्रतियोगिता की भावना का जन्म हुआ। अमीर – गरीब के भेदभाव ने स्वार्थ, द्वेष, घृणा और हिंसा को जन्म दिया। रूसो के अनुसार – "निजी सम्पत्ति के साथ परिवारों ने परस्पर वैमनस्य और संघर्ष

पैदा किया जिसके कारण असमानता का जन्म हुआ और दूसरे के अधिकार को सबल के द्वारा छीना जाना एक स्वीकृत सिद्धान्त बन गया।" इससे समाज में गरीबों का शोषण होने लग गया। परस्पर लड़ाई शुरू हो गई। शक्तिशालियों द्वारा कमजोर पर कब्जा करने की प्रथा शुरू हो गई। कृषि, उद्योग, आर्थिक गतिविधियों तथा जीवन की जटिलता ने वातावरण को संघर्षमय बना दिया। समाज की शांति व सौमय जीवन प्रभावित हुआ। मनुष्य का जीवन पापमय बन गया व मनुष्य स्वार्थी और अहंकारी बन गया। रूसो के अनुसार – "कुछ महत्त्वाकांक्षी लोगों ने सम्पूर्ण मानवता को एक निरन्तर श्रम, गुलामी और दरिद्रता की अवस्था में धकेल दिया।"

(ग) प्रकृति की अवस्था का तृतीय चरण (Third State of State of Nature)

इस अवस्था में कृषि कार्य, पशुपालन तथा धातु शोधन कार्यों की खोज हुई। इससे मनुष्यों को आपसी सहयोग की आवश्यकता पड़ी और लोग आर्थिक कार्यों को पूरा करने के लिए मिल –जुलकर कार्य करने लगे। अमीर और गरीब के बीच में खाई और चौड़ी हो गई। इस तीव्र आर्थिक असमानता के कारण मनुष्यों में संघर्ष, कलह, चोरी, कपट, भय, हत्या जैसे दुर्गुणों की शुरूआत हुई। रूसो के अनुसार – "सामाजिक विषमता ने अन्य बुराइयों को जन्म दिया। सभ्य समाज के उदय होने से निर्धनता और दुःख का प्रादुर्भाव हुआ। सभ्यता की वृद्धि के साथ – साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ती गई।" मनुष्यों ने अपनी शक्ति, योग्यता एवं चालाकी के आधार पर अन्य मनुष्यों से अधिक सम्पत्ति एकत्रित की। भूमि पर निजी स्वामित्व के कारण, मनुष्यों के बीच स्थायी असमानता हो गई और गरीब व अमीर तथा दास व स्वामी वर्ग बने। प्राकृतिक अवस्था की असहनीय स्थिति ने अत्याचार को जन्म दिया तथा मनुष्यों को पतन की ओर धकेल दिया। इससे व्यक्ति का जीवन दरिद्र, अपवित्र तथा क्षणिक बन गया। रूसो की यह अवस्था हॉब्स की प्राकृतिक दशा के समान थी। रूसो के अनुसार – "इस अवस्था में समाज में मनुष्य का जीवन कष्टमय बन गया तथा कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्यों ने एक सामाजिक समझौता किया और नई समाज – व्यवस्था की स्थापना की।" इस अवस्था की अराजकता को देखकर रूसो ने मनुष्यों को "प्रकृति की ओर लौट चलने" की सलाह दी।

रूसो की प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएँ

(Characteristics of Rousseau's State of Nature)

रूसो की प्राकृतिक अवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. यह अवस्था आदिम अवस्था थी, जिसमें मनुष्य का जीवन पशुवत था। मानव जंगलों में रहता था और असभ्य था।
2. इस अवस्था में मनुष्य का जीवन शांतिमय था और व्यक्ति सुखी था।
3. प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्मकेन्द्रित अर्थात् वह स्वयं में लीन रहता था। वह एकाकी जीवन व्यतीत करता था। उसका जीवन सहज एवं प्राकृतिक था तथा वह दुर्गुणों से रहित था।
4. इस अवस्था में कोई सभ्यता नहीं थी। इसमें सामाजिक नियम व संस्थाओं का अभाव था।
5. इस अवस्था में निजी सम्पत्ति व तर्क का अभाव था।
6. इस अवस्था में व्यक्ति की आवश्यकताएँ सीमित थी और वह आत्मनिर्भर था।
7. प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता थी और इस स्वच्छन्द वातावरण में व्यक्ति निर्बाध जीवन बिताता था।
8. इस अवस्था में परिवार जैसी कोई संस्था भी नहीं थी।
9. व्यक्ति को अच्छे बुरे को कोई ज्ञान नहीं था।

हॉब्स व लॉक से तुलना **(Comparison with Hobbes and Locke)**

रूसो की प्राकृतिक अवस्था हॉब्स व लॉक की प्राकृतिक अवस्थाओं से भिन्न है। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था युद्ध, आतंक एवं अशान्ति की अवस्था थी जिसमें मानव का जीवन दरिद्र, एकाकी, अपवित्र तथा क्षणिक था। वह पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता था। लॉक के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति परस्पर सहयोग, सद्भावना, शान्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहता था। मनुष्यों केबीच मित्रता एवं प्रेम था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रथम चरण में व्यक्ति आनन्द व सुख से रहता था। मानव आत्मनिर्भर एवं आदर्श जीवन व्यतीत करते थे। परन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति के उदय होने से यह अवस्था संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष आदि से परिपूर्ण हो गई। समाज में असमानता बढ़ी तथा उसके आदर्श का पतन हो गया।

हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था अराजकता और युद्ध की अवस्था है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था परमानन्द की आवस्था है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था शान्ति व पारस्परिक सहयोग की अवस्था है। अतः रूसो की प्राकृतिक अवस्था लॉक की प्राकृतिक अवस्था के समान है। हॉब्स व रूसो की प्राकृतिक अवस्था असामाजिक है, जबकि लॉक की प्राकृतिक अवस्था सामाजिक है। हॉब्स व रूसो की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक दशा के दोषों को दूर करने के लिए केवल एक ही बार समझौता होता है, जबकि लॉक दो बार समझौता की बात कहता है।

उपर्युक्त असमानताओं के बावजूद भी तीनों विचारकों के विचारों में कुछ समानताएँ भी दिखाई देती है। तीनों समझौते की अनिवार्यता को स्वीकारते हैं। तीनों व्यक्ति के जीवन को शांतमय बनाने के लिए समझौते की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं तीनों प्राकृतिक अवस्था का अन्त करने के लिए समझौता करने की बात मानते हैं। अतः हॉब्स व लॉक व रूसो की तुलना करने पर तीनों की कुछ समानताएँ व असमानताएँ उभरती हैं।

प्राकृतिक अवस्था की आलोचनाएँ (Criticisms of State of Nature)

रूसो की प्राकृतिक अवस्था की निम्न आधारों पर आलोचना की गई है :

1. आलोचकों के अनुसार प्रकृति की अवस्था में मनुष्य अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। विपरीत भौतिक परिस्थितियों के विरूद्ध मानव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अर्थात् रूसो का यह मानना कि प्राकृतिक अवस्था मानव इतिहास का स्वर्णकाल है, एकदम भ्रमपूर्ण एवं असत्य है।
2. रूसो ने काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था को सिद्ध करने के लिए बुद्धि, तर्क, अनुमान तथा सामान्य ज्ञान से इसका मेल नहीं किया।
3. प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने मानव को आत्मकेन्द्रित तथा आत्मनिर्भर प्राणी माना है। मनुष्य के इन गुणों की कल्पना अनुमान एवं तथ्य की दृष्टि से गलत है।
4. भौतिक दृष्टि से प्रकृति की अवस्था के प्रथम चरण की तुलना में द्वितीय चरण अधिक विकसित अवस्था वाला है और द्वितीय चरण की तुलना में

तृतीय चरण अधिक विकसित भौतिक अवस्था को प्रकट करता है। परन्तु रूसो के अनुसार तृतीय चरण मानवता के पतन को प्रकट करता है। रूसो प्रकृति की अवस्था के प्रथम चरण को आदर्श अवस्था मानता है। इस प्रकार प्रथम चरण को आदर्श एवं असभ्य अवसी दोनों ही माना है। अर्थात् रूसो असभ्यता को आदर्श मानता प्रतीत होता है। वाल्टेयर ने इस आधार पर रूसो को असभ्यता के युग का विचारक कहा है।

5. रूसो के विचारों में स्पष्टता का अभाव है। उदाहरण के लिए सम्पत्ति सम्बन्धी विचार स्पष्ट नहीं है। कहीं वह सम्पत्ति की सभी बुराइयों की जड़ मानते हुए, 'डिकसोर्सिस' में उसकी आलोचना करता हे तो कहीं वह सम्पत्ति को पवित्र मानते हुए 'पोलिटिकल इकोनोमी' में इसका समर्थन करता है।
6. रूसो की 'वापिस प्रकृति और लौट चलो' की उक्ति प्रगति विरोधी है। उसकी यह अपील भावनाओं पर आधारित है तर्क पर नहीं। अतः रूसो में तार्किकता का अभाव है।

2.7 सामाजिक समझौते का सिद्धान्त (Theory of Social Contract)

रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धान्त का वर्णन अपनी पुस्तक 'सोशल कांट्रेक्ट' (सामाजिक समझौता) में किया है। इस रचना में रूसो ने आदर्श समाज की स्थापना की युक्ति सुझाई है, जिससे मानव जाति की मानव जाति को प्राकृतिक अवस्था के कष्टों से मुक्ति मिल सके। जिस प्रकार हॉब्स व लॉक ने राज्य की उत्पत्ति का कारण सामाजिक समझौते को माना है, उसी प्रकार रूसो के अनुसार भी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता का ही परिणाम है। रूसो ने अपने राजनीतिक विचारों एवं निष्कर्षो को प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धान्त को अपनाया है। रूसो का मूल प्रयास व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा राज्य की सत्ता के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करना था। व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान के साथ उसे अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धान्त को प्रस्तुत किया।

सामाजिक समझौते का उद्देश्य

रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धान्त का उद्देश्य इस बात पर प्रकाश डालना नहीं है कि भूतकाल में प्रथम राज्य की स्थापना किसी प्रकार हुई। उसके सामाजिक समझौता सिद्धान्त का उद्देश्य तो एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना है जहाँ राज्य की सत्ता एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में समन्वय स्थापित हो सके और जहाँ मानव जाति अपने कष्टों से छुटकारा पा सके। उसके समक्ष "समस्या इस प्रकार के समुदाय का निर्माण करना है जो अपनी सामूहिक शक्ति से प्रत्येक सदस्य के जीवन और धन की रक्षा कर सके और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति" दूसरों के साथ मिलकर बहते हुए भी केवल अपने आदेश का पालन कर सके और पहले की तरह स्वतन्त्र भी रह सके।" रूसो इस समस्या का समाधान सामाजिक समझौते द्वारा करता है। रूसो के सामाजिक समझौते का अध्ययन हम निम्नलिखित भागों में कर सकते हैं :–

1. **मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था :** रूसो मनुष्य के सद्गुणों व दुर्गुणों का मिश्रण मानता है। रूसो की दृष्टि में मनुष्य शान्तिप्रिय व दयावान प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में आत्मरक्षा व सहानुभूति की दो प्रवृत्तियाँ अवश्य पाई जाती हैं। प्राकृतिक अवस्था में बुद्धि के स्थान पर भावनाओं का ज्यादा महत्त्व है। उसे इस अवस्था में निजी सम्पत्ति और नैतिकता का भी ज्ञान नहीं होता था। इस अवस्था में मनुष्य शान्तिप्रिय, सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य उदात्त वन्य प्राणी था। व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर था और उनका जीवन चिन्ता रहित था। वह अपना जीवन प्रकृति के अनुरूप व्यतीत करता था। उसमें ऊँच – नीच का भेदभाव नहीं था। मनुष्य दूसरों के हितों को हानि नहीं पहुँचाते थे। उदात्त व्यवहार सहज – प्रवृत्तियों पर ही आधारित था।
2. **समझौते का कारण :** रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में शान्तिप्रिय व सुखमय जीवन व्यतीत करता था। यदि ऐसा था तो समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रत्येक समझौतावादी विचारक ने इसके लिए अलग

– अलग कारण बताए है। रूसो का कहना है कि तर्क व सम्पत्ति के उदय से प्राकृतिक अवस्था की सुख – शान्ति समाप्त हो गई। समाज में आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। कला और विज्ञान, निजी सम्पत्ति श्रम – विभाजन, जनसंख्या में वृद्धि से सभ्य समाज की स्थापना हुई जिससे मनुष्यों की प्राकृतिक समानता व स्वतन्त्रता लुप्त हो गई। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्यों में ईर्ष्या – द्वेष के सम्बन्ध स्थापित हो गए। इससे प्राकृतिक अवस्था कष्टकारी हो गई। रूसो कहता है – समस्या एक ऐसा संगठन बनाने की है जो पूर्ण सम्मिलित शक्ति से व्यक्ति और उसके साथियों के हितों की रक्षा करे तथा जिसमें हर व्यक्ति सभी के साथ संगठित रहते हुए अपनी ही आज्ञा माने तथा पहले के समान ही स्वतन्त्र हो।" प्राकृतिक अवस्था के कष्टमय बन जाने पर ही मनुष्यों ने नये आदर्श समाज की स्थापना के लिए समझौता किया।

3. **सामाजिक समझौता की विधि** : रूसो के सामाजिक समझौते में प्रत्येक व्यक्ति एक ओर वैयक्तिक स्थिति में होता है और दूसरी ओर वह स्वयं अपनी निगमित स्थिति में होता है अर्थात् समझौते के दो पक्ष होते हैं। एक ओर व्यक्ति और एक ओर पूरा समुदाय। रूसो के शब्दों में – "हम में से प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ – साथ अपने व्यक्तित्व और अपनी सम्पूर्ण शक्ति को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में छोड़ देता है और अपनी निगमित स्थिति में हम प्रत्येक सदस्य से उस पूर्ण सत्ता के अविभाज्य अंश के रूप में मिलते हैं।" इस प्रकार रूसो के अनुसार मनुष्यों ने प्राकृतिक दशा को छोड़कर एक सामाजिक अनुबंध द्वारा सभ्य समाज का निर्माण किया। यह समझौता दो पक्षों के बीच होता है – व्यक्ति जीवन और सामूहिक जीवन। सामाजिक समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने – अपने प्राकृतिक अधिकार अपने सार्वभौम को सौंप देते हैं। रूसो ने समझौते को स्थायी व प्रभावशाली बनाने के लिए लिखा है – "सामाजिक समझौते को प्रभावित बनाने से रोकने के लिए इसमें यह स्पष्ट शर्त उल्लिखित है कि जो कोई भी लोकमत की अवज्ञा करेगा, उसे सभी नागरिकों के समाज द्वारा आज्ञा मानने

के लिए बाध्य किया जाएगा।" इसका तात्पर्य व्यक्ति को समझौता छोड़ने की स्वतन्त्रता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा से बँधा हुआ होता है। इससे वह समाज को जो कुछ देता है, उतना ही लेता भी है। जो कुछ उसके पास है, उसको सुरक्षित करने के लिए वह पर्याप्त शक्ति भी प्राप्त करता है। रूसो ने लिखा है – "प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको सभी को समर्पित करते हुए किसी को भी व्यक्तिगत रूप में समर्पित नहीं करता, इस तरह कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होता है जो दूसरों पर उन्हीं अधिकारों को प्राप्त नहीं करता है जो कि वह अपने पर दूसरों को देता है; जो कुछ वह गँवाता है, उसी के बराबर वह प्राप्त कर लेता है और अपनी वस्तुओं की सुरक्षा में वृद्धि कर लेता है।"

इस समझौते द्वारा पृथक् व्यक्तियों के स्थान पर एक नैतिक और सामूहिक निकाय का जन्म होता है, जिसका अपना जीवन होता है, अपना अस्तित्व होता है, अपनी इच्छा होती है एवं अपनी सत्ता और एकता होती है। यदि यह निकाय निष्क्रिय रहता है तो राज्य, यदि सक्रिय तो सम्प्रभु कहलाता है। प्रत्येक सदस्य अपने समस्त अधिकार अथवा शक्तियाँ समाज को देता है। इस समझौते से उत्पन्न समाज एकताबद्ध, सर्वोच्च और नैतिक होता है न कि दमनकारी और स्वतन्त्रता विरोधी। इस समझौते से मनुष्य कुछ नहीं खोता है। समाज का सदस्य होने के नाते जो कुछ वह समाज को देता है, वही अधिकार वह समाज के प्रत्येक सदस्य के ऊपर एवं प्राप्त कर लेता है। रूसो ने सामाजिक समझौता प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया है – "हम में से प्रत्येक अपने शरीर अथवा अपनी सम्पूर्ण शक्ति को सबके साथ सामान्य रूप से सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रख देता है और अपने सामूहिक स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्य को सम्पूर्ण के एक अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। एकदम समझौते को करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर इस समूहीकरण से एक नैतिक तथा सामूहिक निकाय का जन्म होता है जो कि उतने ही घटकों से मिलकर बनता है जितने कि उसमें मत होते हैं। समस्त व्यक्तियों के संघटन से बने हुए इस सार्वजनिक व्यक्ति को पहले नगर कहते थे, अब उसे गणराज्य अथवा राजनीतिक समाज कहते हैं।"

समझौते का प्रभाव

रूसो के अनुसार इस समझौते के हो जाने पर मानव – स्वभाव में महान् परिवर्तन होता है। जहाँ प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य नैसर्गिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित होता था, नागरिक समाज में न्याय द्वारा निर्देशित होता है। इससे व्यक्ति में नैतिकता का जन्म होता है। कर्त्तव्य के स्थान पर अधिकार का, शारीरिक संवेग के स्थान पर कर्त्तव्य का, इच्छा के स्थान पर विवेक का और स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ का उदय होता है। नागरिक समाज में मनुष्य की प्रतिभा मुखरित होकर उसके विचारों का विकास करती है, उसकी भावना तथा आत्मा ऊँची उठती है। रूसो का कहना है कि नागरिक समाज में व्यक्ति अपने मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में नागरिक बनने के बाद ही व्यक्ति मनुष्य बनता है।

समझौते की विशेषताएँ

सामाजिक समझौते की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :–

1. यह समझौता एक बार ही हुआ।
2. यह समझौता व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित करने तथा अराजकता का अन्त करने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक दशा में सभी व्यक्ति 'ग्राम्य सुषमा के आनंद' का जीवन व्यक्ति करते हैं। परन्तु प्राकृतिक अवस्था में आधारभूत परिवर्तनों जैसे कला और विज्ञान, निजी सम्पत्ति, श्रम – विभाजन आदि के कारण मनुष्य संघर्षरत रहने से दुःखी होकर अराजकता तथा अशान्ति के वातावरण को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाता है।
3. इस समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने – अपने प्राकृतिक अधिकार अपने सामूहिक अस्तित्व को समर्पित कर देता है। अर्थात् व्यक्ति स्वयं समझौते का भागी होता है। इसकी स्थापना के बाद व्यक्ति इससे अलग नहीं हो सकता।
4. समझौते के परिणामस्वरूप उत्पन्न समाज स्वतन्त्रता विरोधी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि समझौता करने से उसकी स्वतन्त्रता सीमित नहीं होती। इस समझौते द्वारा व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता खोकर नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त करता है। रूसो के अनुसार – "समझौते द्वारा व्यक्ति सिर्फ

उसकी स्वतन्त्रता को खोता है जो उसे असामाजिक भावनाओं के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करत है एवं जो केवल शारीरिक शक्ति द्वारा मर्यादित होती है। रूसो इसे नैतिक स्वतन्त्रता कहता है। यह स्वतन्त्रता सच्ची स्वतन्त्रता होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने ऊपर नियन्त्रण रख सकता। रूसो के अनुसार – ”सामाजिक अनुबंध के द्वारा मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता खो देता है और उन सब वस्तुओं पर उसका असीमित अधिकार नहीं रह जाता जो उसे आकर्षित करती थी, उसे मिलती है नागरिक स्वतन्त्रता अर्थात् जो कुछ उसके पास है वह उसकी सम्पत्ति हो जाता है। इस समझौते में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा शामिल रहती है, एतएव व्यक्ति कानूनों का पालन कर सच्ची स्वतन्त्रता का उपभोग करता है। इस प्रकार समझौते द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन नहीं होता।

5. रूसो के सामाजिक समझौते द्वारा जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, वह सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है। सभी व्यक्ति उसके अधीन होते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा राज्य शक्ति व सम्प्रभु है।
6. रूसो के समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही जनहित पर आधारित एवं न्याययुक्त होती है। सभी व्यक्ति रूसो की सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित होते हैं।
7. रूसो के समझौते में प्रत्येक व्यक्ति एक ओर तो वैयक्तिक स्थिति में और दूसरी ओर वह स्वयं अपनी निगमित स्थिति में होता है अर्थात् सामाजिक समझौते के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो पक्ष हैं – व्यक्तिगत और सामूहिक पक्ष। प्रत्येक व्यक्ति प्रभुसत्ता का सहभागी बना रहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, यह सम्पूर्ण समाज के प्रति करता है। इसलिए यह सिद्धान्त व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का रक्षक है, विनाशक नहीं।
8. रूसो के सामाजिक समझौता द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों व शक्तियों को सम्पूर्ण समाज को सौंप देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे

इतना कठोर नहीं बनाना चाहेगा कि व्यक्ति का दमन हो और स्वतन्त्रता नष्ट हो जाए। अतः यह समझौता दमनकारी और स्वतन्त्रता विरोधी नहीं है।

9. इस समझौते द्वारा प्रत्येक को लाभ होता है, हानि नहीं। वह जो कुछ सबको देता है, उसे सम्पूर्ण समाज का अभिन्न अंग होने के नाते प्राप्त भी कर लेता है। अतः इससे प्रत्येक को लाभ होता है।

10. हॉब्स व लॉक के विपरीत रूसो के समझौते से उत्पन्न राज्य का स्वरूप आंगिक एवं समष्टिवादी है। रूसो राज्य को केवल यान्त्रिक साधन न मानकर उसे नैतिक प्राणी मानता है, जिसका अपना जीवन व इच्छा होती है। राज्य मानव में मानवीय गुणों का समावेश करके उसे पूर्ण नैतिक मानव बना देता है। राज्य स्वयं एक उद्देश्य है, किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं। राज्य का अपना अलग अस्तित्व होता है, जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व भी शामिल है। अतः रूसो का राज्य आंगिक व समष्टिवादी है।

11. रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति के सभी अधिकारों का स्त्रोत है। रूसो अधिकार को नैसर्गिक न मानकर राज्य द्वारा प्रदत्त मानता है। राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता।

12. रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता कोई ऐसी घटना नहीं है जो कभी एक बार घटी हो। यह तो निरन्तर चलने वाला क्रम है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में निरन्तर भाग लेता रहता है।

सामाजिक समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण नहीं होता है। सरकार की स्थापना प्रभुसत्तासम्पन्न जनता द्वारा की जाती है। सरकार जनता की प्रतिनिधि है और उसे कोई स्वतन्त्र शक्ति या अधिकार प्राप्त नहीं है। जनता को यह अधिकार है कि वह सरकार बदल दे। रूसो के अनुसार इस समझौते में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है। इसमें किसी को कोई हानि नहीं होती। जो अधिकार वह देता है, वहीं दूसरों के ऊपर प्राप्त कर लेता है। अर्थात् इससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है। रूसो के अनुसार – "प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको सबके हाथ समर्पित करते हुए अपने आपको किसी के हाथ समर्पित नहीं करता।" यह समझौता निरन्तर चलने वाली

प्रक्रिया है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता रहता है। इस समझौते का प्रत्येक सदस्य अपने सारे अधिकार अथवा शक्तियाँ सम्पूर्ण समाज को दे देता है। व्यक्ति उन्हीं अधिकारों को राज्य को सौंपता है जो सम्पूर्ण समाज से सम्बन्धित है। वह व्यक्तिगत अधिकार अपने पास रख लेता है। व्यक्तिगत या सामाजिक कार्य का निर्माण समाज करता है। राज्य को व्यक्तिगत अधिकारों से कुछ लेना – देना नहीं है। राज्य केवल व्यक्तिगत हित में सार्वजनिक हित की सुरक्षा हेतु ही हस्तक्षेप कर सकता है। रूसो के अनुसार समझौता निष्क्रिय प्रजा और सक्रिय सम्प्रभु दोनों के बीच होता है। मनुष्य अपनी शक्तियाँ सम्पूर्ण समाज को समर्पित करता है और उसकी क्रियाओं पर समाज के समस्त सदस्यों का समान अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उतना ही स्वतन्त्र रहता है जितना कि वह पहले था, वरन् सामूहिक परिस्थितियों के अन्तर्गत वह पहले से कहीं अधिक स्वतन्त्र हो जाता है। संविदा के फलस्वरूप उत्पन्न समाज का रूप सावयवी होता है। यह समाज नैतिक तथा सामूहिक प्राणी है। व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग होने के नाते, राज्य से किसी प्रकार भी अलग नहीं हो सकता। व्यक्ति राज्य के विरूद्ध आचरण भी नहीं कर सकता। रूसो ने हॉब्स की तरह अराजकता का अन्त करने के लिए ही सामाजिक समझौता किया।

हॉब्स व लॉक की तुलना (Comparison with Hobbes and Locke)

तीनों समझौतावादी प्राकृतिक अवस्था के दोषों से उत्पन्न अवस्था को दूर करने के लिए समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति की बात पर सहमत हुए भी परस्पर भिन्न – भिन्न विचार रखते हैं। ये विभिन्नताएँ तीनो के दर्शन में हैं :–

1. हॉब्स का सम्प्रभु एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह है, रूसो का सम्पूर्ण समाज सम्प्रभु है। लॉक भी रूसो की तरह सारे समुदाय को शक्तियों का स्त्रोत बनाया है।
2. हॉब्स और लॉक के समझौते से उत्पन्न राज्य का स्वरूप यान्त्रिक और व्यक्तिवादी है, रूसो के समझौते से उत्पन्न राज्य आंगिक एवं समष्टिवादी है।

3. लॉक दो बार समझौता होने का उल्लेख करता है। हॉब्स व रूसो के अनुसार केवल एक बार समझौता हुआ।
4. हॉब्स शक्ति को न्याय और नैतिकता का स्त्रोत मानता है, रूसो व्यक्ति को केवल भौतिक बल मानता है। जिससे नैतिकता उत्पन्न नहीं हो सकती।
5. हॉब्स व लॉक का समझौता निश्चित समय में होने वाला कार्य है जबकि रूसो का समझौता निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
6. हॉब्स व रूसो की प्राकृतिक पूर्व सामाजिक है तथा लॉक की पूर्व राजनीतिक।
7. हॉब्स व रूसो का समझौता कठोर है। व्यक्ति को समझौते से बाहर निकलना, पुनः प्राकृतिक अवस्था में धकेले सकता है। लॉक का सामाजिक समझौता व्यक्ति को बाहर निकलने की छूट प्रदान करता है।
8. हॉब्स सामाजिक समझौते का कारण प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को, लॉक प्राकृतिक अवस्था के आधारभूत दोषों को तथा रूसो सम्पत्ति व जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न आर्थिक असमानता की कष्टपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने को मानते हैं।
9. हॉब्स के सामाजिक समझौते से निरंकुश सम्प्रभु का, लॉक के समझौते से सीमित या मर्यादित सरकार का निर्माण हुआ। परन्तु रूसो के समझौते द्वारा सामान्य इच्छा या प्रजातन्त्र शासन – प्रणाली का जन्म हुआ।

सामाजिक समझौता सिद्धान्त की आलोचनाएँ

(Criticisms of theory of Social Contract)

रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना हुई है :–

1. **तार्किक असंगतियाँ :** रूसो ने जिन तर्को को आधार बनाकर राज्य का निर्माण किया है, वे हास्यास्पद और विसंगतियों से भरे हैं। रूसो कहता है कि समझौते में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो पूरे समुदाय से समझौता करता है, वह वास्तव में अपने से ही समझौता करता है। ऐसे कथन निरर्थक प्रलाप जैसे लगते हैं। समझौते द्वारा बनने वाला सम्प्रभु न कोई व्यक्ति है और न

व्यक्तियों का समूह। वह एक सामान्य इच्छा है, फिर भी उसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी इच्छा है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक इकाई के साथ व्यक्ति का काम करना कल्पना लोक की बात है।

2. **समझौता अवैधानिक :** जिस समय यह समझौता हुआ, उस समय उसे लागू करने वाली कोई वैध शक्ति नहीं थी। अतः इसे वैध नहीं माना जा सकता।

3. **रूसो के राज्य में व्यक्ति समाप्त हो गया है :** रूसो ने राज्य की चेतना को इतना सार्वभौमिक बना दिया है कि उसमें व्यक्ति एकाकार होकर रह गया है। वान का कहना है कि रूसो व्यक्तिवाद को समष्टिवाद के साथ इस तरह मिल देता है कि यह जनसाधारण से परे चला गया है। समझौते के अनुसार व्यक्ति अपने सारे अधिकार राज्य को दे देता है तथा समाज का सदस्य होने के नाते उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है। यह सैद्धान्तिक कथन है। सच्चाई तो यह है कि रूसो ने व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले कर दिया है।

4. **प्राकृतिक अवस्था का वर्णन काल्पनिक है :** इतिहास में इस तरह को कोई वर्णन नहीं मिलता कि सम्पति व जनसंख्या की वृद्धि ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन को कष्टय बना दिया। यह सैद्धान्तिक रूप से तो ठीक हो लेकिन इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए रूसो की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन निराधर व काल्पनिक है।

5. **विरोधाभासी :** रूसो के अनसार समझौता व्यक्ति और समाज में होता है। दूसरी ओर वह कहता है कि समाज समझौते का परिणाम है। उसके विचार में स्पष्ट विरोधाभास है। उसका सामाजिक समझौता सिद्धान्त हॉब्स के मानव समाज के विचार पर आधारित है। आलोचकों के अनुसार कहीं रूसो समझौते को ऐतिहासिक घटना कहता है, कहीं निरन्तर चलने वाला क्रम। अतः यह सिद्धान्त विरोधाभासी है।

6. **मानव स्वभाव का गलत वर्णन :** रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में मानव – स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि मौलिक रूप से मानव अच्छा है।

उसके सारे दोष बाह्य परिस्थितियों की देन हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। मानव स्वभाव दैत्य व देव दो प्रवृत्तियों का मेल है।

7. **राज्य समझौते का नही, विकास का परिणाम है :** आधुनिक समय में यह सिद्ध हो चुका है कि राज्य समझौते का परिणाम न होकर धीरे – धीरे होने वाली सामाजिक संस्थाओं के विकास का परिणाम है। अतः राज्य को समझौते का परिणाम कहना सरासर गलत है।

8. **सामाजिक प्रगति सिद्धान्त का विरोधी :** रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धान्त सम्पत्ति का उदय तथा जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राकृतिक अवस्था दोषपूर्ण हुई। आज तक का इतिहास विज्ञान व ज्ञान के परिणामस्वरूप निरन्तर प्रगति का इतिहास है। रूसो की धारणा इस सिद्धान्त की विरोधी है।

9. रूसो के सामाजिक समझौते में यह कमी नजर आती है कि रूसो ने मनुष्य को बुराई से बचने के लिए मार्गदर्शन किया है परन्तु अच्छाई के मार्ग पर ध्यान नहीं दिया है अर्थात् रूसो ने भ्रष्टाचार, दुराचार और स्वार्थ से बचने के लिए अपने मत प्रस्तुत किये हैं, परन्तु उनके विकास और प्रगति की ओर ध्यान नहीं दिया है।

10. **स्पष्टता का अभाव :** रूसो सामाजिक समझौते को निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया मानता है। इस कथन को कोई स्पष्ट अर्थ रूसो प्रस्तुत नहीं करता, अतः रूसो का यह सिद्धान्त अस्पष्ट है।

रूसो के समझौता सिद्धान्त का महत्त्व

(Importance of Rousseau's theory of Social Contract)

रूसो का समझौता सिद्धान्त ऐतिहासिक, कानूनी और तार्किक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हुए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसका निम्नलिखित महत्त्व है :–

1. इस सिद्धान्त द्वारा राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धान्त पर करारी चोट की गई है।

2. इस सिद्धान्त ने राज्य को मानवीय संस्था बनाकर निरंकुश शासन का विरोध किया और उत्तरदायी प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है।

3. इसने शासन का आधार जन – स्वीकृति को बताया है, जो आधुनिक प्रजातन्त्र को मजबूती प्रदान करती है।

4. रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता को सुदृढ़ बनाया है।

5. यह सिद्धान्त अमेरिका तथा फ्रांसिसी क्रान्तियों का प्रेरणा – स्त्रोत है।

अतः हम कह सकते हैं कि अनेक त्रुटियों के बावजूद यह सिद्धान्त राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

2.8 सामान्य इच्छा का सिद्धान्त (Theory of General Will)

यह सिद्धान्त रूसो के दर्शन का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण, मौलिक, केन्द्रीय एवं रोचक विचार है। यह रूसो के सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। इस धारणा पर रूसो ने स्वतन्त्रता, अधिकार, कानून, सम्प्रभुता, राज्य की उत्पत्ति, संगठन आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। जोन्स के शब्दों में – "सामान्य इच्छा का विचार रूसो के सिद्धान्त का न केवल सबसे अधिक केन्द्रीय विचार है, अपितु यह उसका अधिक मौलिक व रोचक विचार भी है। रूसो का राजनीतिक क्षेत्र में उसकी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण देन है।" इसी प्रकार मैक्सी ने कहा है – "सामान्य इच्छा की धारणा सूक्ष्म मनोयोग की पात्र है। वह रूसो के दर्शन का मर्म है और शायद राजनीतिक चिन्तन के प्रति उनका सबसे विशिष्ट योगदान है।" रूसो के राजनीतिक विचारों को समझने के लिए उसकी सामान्य इच्छा की धारणा समझना आवश्यक है। सामान्य इच्छा का सिद्धान्त रूसो की सबसे विवादास्पद धारणा है। जहाँ प्रजातन्त्र के समर्थकों ने रूसो की सामान्य इच्छा का स्वागत किया है, वहीं निरंकुश शासकों ने इसका गलत प्रयोग करके जनता पर अत्याचार किये हैं।

रूसो न जब एकान्त में रहने वाले व्यक्तियों से अनुशासनपूर्ण संस्था का निर्माण कराना चाहा तो ऐसा करना तार्किक दृष्टि से असम्भव हो गया। रूसो का समझौता किसी चमत्कार का परिणाम लगने लगा। पशुत्व का जीवन जीने वाले रातोंरात नागरिक बन गए। इस विसंगति को दूर करने के लिए रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। रूसो ने इस सिद्धान्त द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक सत्ता में समन्वय का प्रयास किया है। रूसो के सामान्य इच्छा के

सिद्धान्त को समझने के लिए सबसे पहले 'यथार्थ या स्वार्थी' इच्छा तथा वास्तविक या आदर्श इच्छा में भेद करना आवश्यक है। सामान्यतः इन दोनों इच्छाओं का एक ही अर्थ लिया जाता है। परन्तु रूसो द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है।

1. **यथार्थ या स्वार्थी इच्छा (Actual Will)** : यह व्यक्ति की क्षणिक आवेग से उत्पन्न इच्छा है। यह सदैव निम्न व परिवर्तनशील कोटि की होती है। यह प्रत्येक क्षण व्यक्ति का स्वार्थ देखने के लिए उठती है। इससे सारे समाज को स्थायी आनन्द प्राप्त नहीं होता। यह इच्छा स्वार्थ – प्रेरित, संकीर्ण और अस्थिर है। इसे व्यक्तिगत या ऐन्द्रिक इच्छा का नाम भी दिया गया है। इसी इच्छा के कारण व्यक्ति दूसरों से झगड़ता रहता है। आशीर्वादन के अनुसार – "यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है। यह क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है। यह संकुचित तथा स्वविरोधी भी है।"
2. **वास्तविक इच्छा (Real Will) :** वास्तविक इच्छा निश्चित और स्थिर होती है। इसमें स्वार्थ सार्वजनिक हित के अधीन रहता है। यह शाश्वत, विवेकपूर्ण एवं सामाजिक कल्याण के हित में होती है। इस इच्छा से व्यक्ति अपने हित को सार्वजनिक हित के रूप में देखता है। यह मनुष्य की श्रेष्ठता तथा स्वतत्रता की द्योतक है। नागरिक के बौद्धिक चिन्तन का परिणाम एवं वैयक्तिक स्वार्थ से रहित होने के कारण यह व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी कही जा सकती है। वास्तविक इच्छा निर्विकार, नित्य और स्थिर है। डॉ० आशीर्वादन के अनुसार – "यह जीवन के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप में दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित होती है।"

वास्तविक इच्छा व स्वार्थी इच्छा के अन्तर को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है – यदि एक व्यक्ति रिश्वत लेकर नौकरी देता है तो यह उसकी स्वार्थी या यथार्थ इच्छा है। यदि वह रिश्वत न लेकर नौकरी देता है तो यह उसकी वास्तविक या आदर्श इच्छा है।

सामान्य इच्छा का अर्थ

सामान्य इच्छा राज्य के सभी नागरिकों की वास्तविक या आदर्श इच्छाओं का योग है। इस इच्छा द्वारा वे अपनी व्यक्तिगत हितों की कामना न करके सार्वजनिक कल्याण की कामना करते हैं, यह सभी के कल्याण के लिए सभी की आवाज है। बोसाँके के अनुसार – "सामान्य इच्छा सम्पूर्ण समाज की सामुहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित है।" समाज में व्यक्तिगत हितों का सामाजिक हितों के साथ समन्वय और सामंजस्य ही सामान्य इच्छा है। समझौतावादी विचारक रूसो के अनुसार– "नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्यहित हो, सामान्य इच्छा कहलाती है। ग्रीन के शब्दों में, "सामान्य हित ही सामान्य चेतना है।" वेपर के अनुसार – "सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका उद्देश्य ही सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज है।"

रूसो के अनुसार – "जब बड़ी संख्या में लोग आपस में एकत्रित होकर अपने को ही एक समुदाय का निर्माता मान लेते हैं तो उनसे केवल एक ही इच्छा का निर्माण होता है जिसका समबन्ध पारस्परिक संरक्षण और सबके कल्याण से होता है। यही सार्वभौमिक इच्छा है।"

सामान्य इच्छा का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व सामान्य हित पर आधारित अर्थात् आदर्श या वास्तविक इच्छा है। रूसो ने स्वयं कहा है – "मतदाताओं की संख्या में कम तथा उस सार्वजनिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है, जिसके द्वारा वे एकता में बाँधते हैं। इससे स्पष्ट है कि सामान्य इच्छा का निर्माण दो तत्त्वों से होता है – सामान्य व्यक्तियों की इच्छा तथा सार्वजनिक हित पर आधारित इच्छा। इनमें यथार्थ व वास्तविक इच्छा ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। हम सबकी इच्छा पर चलकर सामान्य इच्छा पर पहुँचते हैं। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न समस्याओं पर चिन्तन करता है। यह चिन्तन उनकी व्यक्तिगत या वास्तविक इच्छा जहाँ – जहाँ एक – दूसरे को रद्द कर देती है। अतः उनकी वास्तविक इच्छा उभर कर ऊपर आ जाती है जो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार सामान्य इच्छा का निर्माण होता है।

सामान्य इच्छा का निर्माण

व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएँ – यथार्थ तथा वास्तविक होती हैं। यथार्थ इच्छाएँ भावना प्रधान होती हैं, जबकि वास्तविक इच्छाएँ भावना प्रधान नहीं हेातीं। ये वास्तविक अर्थात् आदर्श इच्छाएँ इसलिए कहलाती हैं कि इनमें स्वार्थ की भावना का समावेश नहीं होता। यथार्थ इच्छाएँ हमेशा पक्षपातपूर्ण व स्वार्थी होती हैं। वास्तविक इच्छा हमेशा कल्याणकारी होती है। यह किसी की आहत नहीं करती। यदि मनुष्य के स्वभाव में से यथार्थ या स्वार्थी इच्छाओं को निकाल दिया जाए तो वास्तविक इच्छा ही शेष बचेंगी। अतः सामान्य इच्छा व्यक्ति की सभी वास्तविक या आदर्श इच्छाओं का योग है। वास्तविक इच्छाएँ ही निर्णय लेने वाली इच्छाएँ हैं। सामान्य इच्छा के निर्माण को एक उदाहरण देकर समझाया जा सकता है – एक व्यक्ति के पास क क^1, ख ख^1, ग ग^1 इच्छाएँ हैं। इनमें क, ख, ग, भावना प्रधान इच्छाएँ है। ये स्वार्थी या व्यक्तिगत हित पर आधारित इच्छाएँ है। यदि इनकों व्यक्ति की इच्छाओं में से निकाल दिया जाए तो शेष क^1, ख^1, ग^1 बचेंगी। ये वास्तविक या आदर्श इच्छाएँ हैं। क^1+ख^1 + ग^1 का योग सामान्य इच्छा है। अतः सामान्य इच्छा के निर्णय आदर्श होते हैं और सभी उसका पालन करते हैं। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए विषयों को सामान्य हित के रूप में देखना चाहिए।

सामान्य इच्छा और बहुमत की इच्छा (General Will and Will of Majority)

रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए मतदाताओं की संख्या नहीं, बल्कि सार्वजनिक का विचार ही प्रधान होता है। रूसो के अनुसार "जो तत्त्व इच्छा को सामान्य बनाता है, वह इसे रखने वाले व्यक्तियों की संख्या नही, अपितु वह सार्वजनिक हित है जो उन्हें एकता के सूत्र में बाँधता है।" बहुसंख्यक मतदाता सार्वजनिक हित के बदले सामूहिक स्वार्थ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अर्थात् वे सार्वजनिक हित के विपरित कार्य कर सकते हैं। रूसो के अनुसार – "समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का सम्बन्ध केवल सामान्य हितों से होता है।" सर्वसम्मति

सामान्य इच्छा की कसौटी नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा से सर्वथा अलग है। सामान्य इच्छा लोक–कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित है।

सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति से इच्छा (General Will and Will of All)

रूसो ने इन दोनों में भेद किया है। समस्त सदस्यों की इच्छाओं में व्यक्तिगत हितों का समावेश होता है। सामान्य इच्छा का सम्बन्ध सामान्य हितों से ही होता है। रूसो के अनुसार – "सामान्य इच्छा का लक्ष्य सार्वजनिक होता है, जबकि सर्वसम्मति या सभी की इच्छा का लक्ष्य वैयक्तिक हित होता है। यह सभी द्वारा व्यक्त इच्छा भी हो सकती है। सर्वसम्मति व्यक्तियों के हितों से भी सम्बन्धित हो सकती है, पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः सारे समाज के कल्याण से ही सम्बन्धित होती है।"

सामान्य इच्छा और लोकमत (General Will and Public Opinion)

रूसो सामान्य इच्छा और लोकमत में अन्तर स्पष्ट करता है। लोकमत का रूप हमेशा समाज की भलाई नहीं है। कभी – कभी लोकमत समाज के हित में नहीं होता । परन्तु सामान्य इच्छा सदैव समाज के स्थायी हित का ही प्रतिनिधि होती है। प्रचार साधनों जैसे – रेडियो, टी०वी०, समाचार – पत्रों व पत्रिकाओं आदि द्वारा लोकमत पथभ्रष्ट हो सकता है, परन्तु सामान्य इच्छा कभी भ्रष्ट नहीं होती।

सामान्य इच्छा की विशेषताएँ (Characteristics of General Will)

रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :–

1. **सामान्य इच्छा सम्प्रभुतासम्पन्न है (General Will is Sovereign)** : सामान्य इच्छा सर्वोच्च और सम्प्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार के दैवी और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबन्ध नहीं होता। यह कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है, एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। जो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करता है, उसे इसका पालन करने के लिए बाध्य किया जाता सकता है। यह जनवाणी होती है, इसलिए कोई अवहेलना नहीं कर सकता। सामान्य इच्छा सभी की शक्ति, अधिकार और

हितों का योग है। अतएव सामान्य इच्छा सम्प्रभु है। यह कल्याणकारी निर्णय लेती है और निर्णयों को क्रियान्वित करती है। इसमें बाध्यता की शक्ति है। सामान्य इच्छा समुदाय की प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति है जिसे टाला नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा के आदेशों के पालन के लिए बाध्य है। सामान्य इच्छा व्यक्ति पर दबाव डाल सकती है। अतः सामान्य इच्छा ही सम्प्रभु है।

2. **अविभाज्य (Indivisibile)** : रूसो की मानना है कि सामान्य इच्छा की सम्प्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा सम्प्रभु होती है और सम्पूर्ण समाज में निवास करती है। आधुनिक बहुलवादियों की तरह रूसो की सामान्य इच्छा छोटे – छोटे भागों में नही बँट सकती। यहाँ रूसो सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य का समर्थक है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सम्प्रभु के आदेशों का पालन करती है, लेकिन स्वयं सम्प्रभु नहीं बन सकती। वे सरकार का अंग मात्र है सम्प्रभु नहीं। अतः सामान्य इच्छा अविभाज्य है।

3. **प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्ति नहीं (Unrepreseable)** : रूसो के अनुसार जनता अपनी सम्प्रभुता को किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के सामने नहीं कर सकता। अर्थात् सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किये जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है – "जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब स्वतन्त्र नहीं रह जाता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैण्ड की जनता स्वतन्त्र होती है। निर्वाचनों के बाद जनता दास और नगण्य बन जाती है।"

4. **सामान्य इच्छा एकता स्थापित करती है (Establishes Unity)** : सामान्य इच्छा सदैव युक्तिसंगत होती है। सामान्य इच्छा विभिन्नता में एकता स्थापित करती है, क्योंकि राज्य के व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें विलीन हो जाते हैं। लार्ड के अनुसार – "यह राष्ट्रीय चरित्र की एकता को उत्पन्न और स्थिर करती है और उन समान गुणों में प्रकाशित होती है जिनके किसी राज्य के नागरिकों

में होने की आशा की जाती है। व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएँ परस्पर एक – दूसरे की इच्छाओं को समाप्त कर देती हैं जिससे सामान्य इच्छा का उदय होता है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक हित में ही अपने निजी हितों का दर्शन करते हैं।

5. **सामान्य इच्छा अदेय है (General Will is Inalienable)** : रूसो की सामान्य इच्छा अदेय है। इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यह समाज का प्राण होती है। शक्ति तो किसी को दी जा सकती है, इच्छा नहीं। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति सम्पूर्ण समाज ही कर सकता है। सामान्य इच्छा को दूसरे को सौंपने का अर्थ उसे नष्ट करना है। रूसो ने लिखा है – "जिस समय वहाँ कोई स्वामी नहीं होता है, उसी क्षण सम्प्रभु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और राजनीतिक समुदाय नष्ट होता है।"

6. **सामान्य इच्छा स्थायी है (General Will is Permanent)** : रूसो के अनुसार – "सामान्य इच्छा का कभी अन्त नहीं होता, यह कभी भ्रष्ट नहीं होती। यह अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होती है।" सार्वजनिक हित का मार्ग एक ही हो सकता है, इसलिए सामान्य इच्छा स्थिर और निश्चित है। ज्ञान और विवेक पर आधारित होने कारण यह स्थायी है। यह किसी प्रकार के भावात्मक आवेगों का परिणाम नहीं है अपितु मानव के जन – कल्याण की स्थायी प्रवृति और विवेक का परिणाम है। अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

7. **सामान्य इच्छा का सम्बन्ध जनहित से होता है (General Will is related to Public Interest) :** रूसो की सामान्य इच्छा लोक कल्याण से सम्बन्ध रखती है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य समाज के किसी एक अंग का विकास करना न होकर, सम्पूर्ण समाज का कल्याण करना है, रूसो का यह विचार सर्वसत्ताधिकारवादी विचार का पोषक हैं।

8. **सामान्य इच्छा में बाध्यता की शक्ति है (Coersive Force)** : रूसो की सामान्य इच्छा सम्प्रभु होने के कारण बाध्यता की शक्ति रखती है। उसका उद्देश्य सभी का कल्याण है, इसलिए कोई उसके विरूद्ध कदम नहीं उठा सकता।

उसके पास कानून बनाने तथा दण्ड देने की शक्ति होती है। यदि यह शक्ति न हो तो कोई उसका पालन नहीं करेगा।

9. **सामान्य इच्छा और सदैव न्यायशील है (Always Just)** : सामान्य इच्छा सदैव न्यायशील होती है क्योंकि उसका उद्देश्य सदैव सामान्य होता है। रूसो के अनुसार – "सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत होती है क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में देववाणी होती है। यह सभी की सामूहिक सदिच्छा है। इसमें कोई सदस्य अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकता।

10. **सामान्य इच्छा स्वतन्त्रता और समानता की पोषक है :** रूसो के अनुसार – "सामाजिक संविदा में यह बात निहित है कि जो कोई भी सामान्य इच्छा की अवज्ञा करेगा तो उसके सम्पूर्ण समाज द्वारा ऐसा करने के लिए विवश किया जाएगा।" इसका अर्थ है कि उसे स्वतन्त्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा क्योंकि यह वही शर्त है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके देश को देकर उसकी समस्त व्यक्तिगत अधीनता को सुरक्षित करती है। सामान्य इच्छा ही सभ्य समाज में स्वतन्त्रता को स्थापित करने का उपाय है। राज्य की अधीनता में सभी को समान अधिकार होते हैं और सभी को समान कानूनों का पालन करना पड़ता है, इसलिए सम्प्रभु समानता का पोषक है।

11. **सामान्य इच्छा अचूक होती है (General Will is Infalliable) :** रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा कोई गलती नहीं करती। "यह सदैव न्यायोचित होती है और सदैव सार्वजनिक हित के लिए प्रयत्नशील रहती है।" यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होने के कारण न्यायसंगत व उचित होती है।

12. **सामान्य इच्छा अपने को कानून द्वारा अभिव्यक्त करती है :** रूसो सिर्फ उन्हीं मौलिक कानूनों को कानून मानता है जिनसे संविधान का निर्माण होता है। मौलिक कानूनों की उत्पत्ति सामान्य इच्छा से होती है। सामान्य इच्छा का कार्य कानून बनाना है, उन्हें लागू करना नहीं। कानून का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग का हित न होकर सार्वजनिक कल्याण होता है। अतः रूसो की इच्छा की अभिव्यक्ति का माध्यम कानून ही है।

13. **सामान्य इच्छा का स्वरूप अवैयक्तिक और निस्वार्थ है** : रूसो के अनुसार सामान्य हित के लिए सामान्य इच्छा का जन्म होता है। अतः वह साामान्य हित के मार्ग से हटकर कार्य नहीं कर सकती। वह सदैव जनकल्याण ओर जन – सेवा की भावना से प्रेरित होती है। अतः यह निस्वार्थ और अवैयक्तिक है।

14. **सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती** : सामान्य इच्छा का कार्य केवल कानून बनाना है, उसे लागू करना नहीं। कानून को लागू करना सरकार का काम है। रूसो समुदाय और सरकार में भेद करते हुए कहता है कि कानून को लागू करना सम्प्रभु सत्ताधारी राजनीतिक समुदाय का काम नहीं है, यह तो सरकार का है। जिस समय सामान्य इच्छा सरकार के कार्य अर्थात् कानून को लागू करने का प्रयास करेगी, सामान्य इच्छा कहलाने से वंचित हो जाएगी। अतः सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती।

सामान्य इच्छा के निहितार्थ (Implications of General Will)

रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के निम्नलिखित निहितार्थ हैं :–

1. सामान्य इच्छा सभी कानूनों का स्त्रोत है। इसका कार्य कानून बनाना है।
2. सामान्य इच्छा हमेशा जनकल्याण के लिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होता है।
3. न्याय का निर्धारण सामान्य इच्छा से होता है। सामान्य इच्छा जितनी अधिक सामान्य होती है, उतनी ही न्यायपूर्ण होती है।
4. राज्य में मनुष्यों की सावयविक एकता सामान्य इच्छा का महत्वपूर्ण परिणाम है।
5. सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव सामान्य हित होता है। अतः सामान्य इच्छा सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है।
6. यह सदैव सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली होती है।
7. सामान्य इच्छा सदैव न्यायपूर्ण होती है।

सामान्य इच्छा सिद्धान्ता का महत्त्व (Importance of Theory of General Will)

रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त का महत्त्व निम्न तथ्यों के आधार पर आँका जा सकता है :–

1. **आदर्शवादी विचारधारा पर प्रभाव** : रूसो के इस सिद्धान्त ने हीगल, काण्ट और ग्रीन जैसे आदर्शवादियों पर गहरा प्रभाव डाला है। काण्ट ने रूसो की तरह सामान्य इच्छा को कानून का स्त्रोत माना है। काण्ट की 'शुभ इच्छा', विवेक का आदेश का सिद्धान्त रूसो से प्रेरित है। हीगल का विश्वात्मा का विचार भी रूसो की सामान्य इच्छा के सामन है। ग्रीन भी राज्य का आधार मानता है। अतः रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त के आदर्शवाद को प्रभावित किया।
2. **राष्ट्रवाद का प्रेरक :** रूसो की सामान्य इच्छा में राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्त्वों – एकता, समता, समर्पण, आत्मीयता तथा सम्मान की भावना आदि का समावेश है। अतः यह राष्ट्रवाद का प्रेरक है।
3. **लोकतन्त्रीय व्यवस्था का समर्थक** : रूसो की सामान्य इच्छा बहुमत द्वारा व्यक्त होती है और बहुमत ही लोकतन्त्र का आधार है। रूसो के इस सिद्धान्त ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उसने सार्वजनिक हित को प्रधानता देकर लोकतन्त्र का समर्थन किया है।
4. **राज्य का आधार जनसमूह की इच्छा है शक्ति नहीं :** रूसो ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का आधार जनसमूह की इच्छा है, शक्ति नहीं। यह राज्य के आंगिक सिद्धान्त का बोध कराता है। सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखता है। यह स्वार्थ की जगह परमार्थ की सीख देता है। यह व्यक्ति को पाशविक स्तर से उठाकर नैतिक स्तर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। अतः राज्य की प्रमुख शक्ति जन – इच्छा है, बल नहीं।
5. **राज्य का उद्देश्य जनकल्याण है :** रूसो के इस सिद्धान्त के अनुसार आधुनिक कल्याणकारी राज्य का जन्म होता है। इस सिद्धान्त ने राज्य का उद्देश्य जन – कल्याण है। राज्य किसी वर्ग – विशेष का प्रतिनिधि न होकर सार्वजनिक हित के लिए है।

सामान्य इच्छा सिद्धान्त की आलोचनाएँ

अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त की निम्न आलोचनाएँ हुई हैं :–

1. **अस्पष्टता** : रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त में अस्पष्टता पाई जाती है। रूसो यह बताने में असमर्थ रहा है कि हम सामान्य इच्छा को कैसे और कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। रूसो ने हमें ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है, जहाँ हम सामान्य इच्छा के बारे में नहीं जान सकते। वेपर के अनुसार – "जन सामान्य इच्छा का पता ही हमे रूसो नहीं दे सकता तो इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का क्या लाभ हुआ।" रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की व्याख्या साामन्य इच्छा को समझने के लिए अपर्याप्त है। कहीं – कहीं पर रूसो बहुमत की इच्छा को सामान्य मान लेता है। वह स्वयं स्पष्ट करता है कि बहुमत गलती कर सकता है, जबकि सामान्य इच्छा गलती नहीं कर सकती। अतः इस सिद्धान्त में भ्रामकता, कल्पना और अस्पष्टता का दोष विद्यमान है।
2. रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धान्त प्रतिनिधि लोकतन्त्र के लिए अनुपयुक्त है। सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता की व्याख्या करते हुए रूसो ने यह विचार प्रकट किया है कि प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता अर्थात् सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं। परन्तु यह आधुनिक राज्यों में सम्भव नहीं है। इसमें केवल जन – प्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेते हैं।
3. रूसो ने यथार्थ इच्छा तथा वास्तविक इच्छा में भेद किया है। यह विभाजन काल्पनिक व कृत्रिम है।
4. रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धान्त सार्वजनिक हित के लिए है। उसका विचार है कि सामान्य इच्छा का लक्ष्य जनकल्याण है। सार्वजनिक हित की परिभाषा देना कठिन काम है। तानाशाह भी अपने कार्यों को उचित सिद्ध करने के लिए सार्वजनिक हित का बहाना बना सकता है।

5. सामान्य इच्छा आधुनिक युग के बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। जनसंख्या की कमी के कारण छोटे राज्यों में सामान्य इच्छा का पता लगाना आसान है, बड़े राज्यों में नहीं।

6. रूसो के सामान्य इच्छा की व्याख्या पर भी आलोचकों ने प्रहार किया हैं। रूसो वास्तविक इच्छाओं के योग को सामान्य इच्छा का नाम देता है। टोजर के अनुसार – "यह भी सम्भव है कि व्यक्तिगत इच्छाएँ एक – दूसरे को नष्ट न करें।"

7. रूसो के पास समस्त की इच्छा और सामान्य इच्छा में अन्तर करने का कोई मापदण्ड नहीं है।

8. सामान्य इच्छा की एक आलोचना यह भी है कि "जहाँ तक यह सामान्य होती है, यह इच्छा नहीं होती, जहाँ तक यह इच्छा होती है, यह सामान्य नहीं होती।" इसका अर्थ यह है कि इच्छा व्यक्तिगत ही हो सकती है, सामान्य नहीं। सामान्य इच्छा सामान्य तभी होती है जब व्यक्तियों का मन अलग नहीं हो, परन्तू ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग – अलग होता है, जिसमें स्वार्थ और निस्वार्थ इच्छाएँ पनपती हैं।

9. रूसो के सिद्धान्त में व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों तथा शक्तियों को सामान्य इच्छा के सामने समर्पित कर देता है जो कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में शासन करती है। बहुमत से सहमत न होने वाले व्यक्ति को बहुमत के सामने झुकने के लिए विवश किया जाता है। रूसो का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सुरक्षित करना था परन्तु उसने किसी संरक्षण की व्यवस्था नहीं की।

10. रूसो की धारणा काल्पनिक है। रसेल, ब्राऊन, मुरे आदि विचारकों ने उस पर अधिनायकवाद और सर्वसत्तधिकारवादी होने का आरोप लगाया है। राईट के अनुसार – "रूसो की सामान्य इच्छा एक हवाई उड़ान है। वह एक ऐसी तर्कना है जो तथ्यों की पहुँच से परे तथा परिणामों की चिन्ता के ऊपर शून्य उड़ान भरती है।"

11. यह अव्यावहारिक है। रूसो का मानना है कि सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेते हैं। यह स्थिति यूनान के नगर राज्यों पर ही लागू हो सकती है। आधुनिक युग तो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातन्त्र का युग है।

12. रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त में तार्किक असंगति है। एक तरफ तो रूसो कहता है कि प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता और दूसरी ओर वह बहुमत के माध्यम से सामान्य इच्छा के प्रतिनिधित्व की सम्भावना प्रस्तुत करता है।

13. सामान्य इच्छा अनैतिहासिक तथा काल्पनिक है। इतिहास में इस बात का कोई वर्णन नहीं मिलता कि राज्य उत्पत्ति समझौते द्वारा हुई हो।

14. यह सिद्धान्त दलों द्वारा गुटों का विरोध करता है। आधुनिक प्रजातन्त्र के सफल संचालन में राजनीतिक दलों का बहुत महत्त्व है। अतः निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धान्त अनेक त्रुटियों से ग्रस्त होने के बावजूद भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों के लिए अमूल्य सामग्री पेश करता है। उसके इस सिद्धान्त का आदर्शवादियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उसने मार्क्स व हीगल जैसे विचारकों को भी प्रभावित किया है। लोकतन्त्रीय व्यवस्था का समर्थक होने के साथ – साथ यह सिद्धान्त फ्रांस में राज्य – क्रान्ति का सुत्रधार भी है। रूसो ने स्पष्ट किया है कि नैतिकता, न्याय और सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएँ महत्त्वहीन हैं। रूसो विश्व क्रान्तियों के प्रेरणा – स्त्रोत रहे हैं। उसकी राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में यह अमूल्य देन है।

2.9 सम्प्रभुता का सिद्धान्त (Theory of Sovereignty)

रूसो के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार उसके 'सामाजिक अनुबंध सिद्धान्त' से सम्बन्धित है। इस सिद्धान्त में रूसो ने निरंकुशवाद एवं उदारवाद जैसे दो परस्पर विरोधी विचारों को समन्वित करने का प्रयास किया है। रूसो के सिद्धान्त में सामाजिक समझौता सम्प्रभुता और सामान्य इच्छा की धारणाएँ परस्पर इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि एक के बिना दूसरे की व्याख्या नहीं की जा सकती। समप्रभुता की आधुनिक

धारणा का विकास बोदाँ के सिद्धान्त से प्रारम्भ हुआ, जिसे हॉब्स ने और अधिक स्पष्ट किया। बोदाँ और हॉब्स ने निरंकुश सम्प्रभुता का समर्थन किया। लॉक और माण्टेस्क्यू ने सम्प्रभुता के सिद्धान्त की उपेक्षा की। उन्होनें इसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का शत्रु माना। रूसो ने लॉक के उदारवाद तथा हॉब्स के निरंकुशवाद में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है।

रूसो के अनुसार समुदाय सभी मनुष्यों के योग से बनता है। इस समुदाय में सामान्य इच्छा का निवास है जो सर्वोच्च होती है। जब समुदाय सामान्य इच्छा द्वारा संचालित होता है, तो वह सम्प्रभु कहलाता है। परन्तु जब वह निष्क्रिय होता है तो वह राज्य कहलाता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा ऐसी प्रभुसत्ताधारी है जो लॉक के लोकप्रिय प्रभुसत्ताधारी और हॉब्स के पूर्ण सत्ताधारी प्रभु के समन्वय का प्रतीक है। रूसो सम्प्रभुता को परिभाषित करते हुए कहता है – "सम्प्रभुता सामान्य इच्छा की कार्यान्विति है"। (Sovereignty is the exercise of the General Will) दूसरे शब्दों में रूसो के राज्य में सामान्य इच्छा ही सम्प्रभु है। रूसो के अनुसार – "जिस प्रकार प्रकृति ने मानव ने मानव को अपने सभी अंगों के ऊपर निरपेक्ष शक्ति प्रदान की है, उसी प्रकार सामाजिक समझौता राजनीतिक समाज को अपने सभी सदस्यों पर असीम शक्ति प्रदान करता है और यह असीम शक्ति जब सामान्य इच्छा के द्वारा निर्देशित होती है तो सम्प्रभुता का नाम धारण कर लेती है। इस प्रकार रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता द्वारा उत्पन्न समुदाय सम्प्रभु होता है। रूसो की मान्यता है कि संघीयकरण का कार्य एक नैतिक तथा सामूहिक सत्ता को जन्म देता है। इस सत्ता का अपना अस्तित्व, जीवन व इच्छा होती है। रूसो इस इच्छा को सामान्य इच्छा कहता है। इसी सामान्य इच्छा में सम्प्रभुता निवास करती है। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता राजनीतिक समाज को अपने सभी सदस्यों पर निरंकुश शक्ति प्रदान करता है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित होने पर यह शक्ति सम्प्रभुता होती है। अतः सम्प्रभुता सम्पूर्ण समाज में निहित है, वह सर्वोच्च शक्ति है। उसके विरूद्ध किसी को भी विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह जनता की शक्ति की प्रतीक है।" रूसो के अनुसार सम्प्रभुता समाज में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति समझौते में भागीदार होने के कारण सम्प्रभुता का भी भागीदार है। किसी को

उसके विरूद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं है। अतः रूसो ने जनता की सत्ता का प्रतिपादन करके 'लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया है। रूसो के शब्दों में – "प्रभुसत्ता का प्रत्येक कार्य अर्थात् लोकमत का प्रत्येक अधिकृत कार्य सभी नागरिकों के लिए समान रूप से हितकर हो।" प्रभुसत्ता लोकमत में होती है। रूसो का सम्प्रभु सारा समाज है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि यह हॉब्स का 'लेवियाथन' है जिसका सिर काट दिया गया है।

सम्प्रभुता की विशेषताएँ (Features of Sovereignty)

रूसो की सम्प्रभुता की निम्न विशेषताएँ हैं :–

1. **प्रभसत्ता अहस्तान्तरणीय है :** प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है और उसे वहीं रहना चाहिए। रूसो कहता है – "मैं कहता हूँ कि प्रभुसत्ता केवल लोकमत का कार्यान्वयन होने के कारण भी हस्तान्तरणीय नहीं हो सकती। शक्ति को तो हस्तान्तरित किया जा सकता है, प्रभुसत्ता का नहीं।" यदि सम्प्रभु का हस्तान्तरण करता है तो उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा।
2. **प्रभुसत्ता अविभाज्य है :** जिस प्रकार सम्प्रभुता का हस्तान्तरण नहीं हो सकता, उसी प्रकार सम्प्रभुता अविभाज्य भी है। मत का एक गुण यह होता है कि वह एकतायुक्त तथा अविभाज्य होता है। यदि लोकमत का विभाजन करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोकमत ही सम्प्रभुता हो सकती है। प्रभुसत्ता का कार्यपालिका, विधानपालिका व न्यायपालिका में विभाजन वास्तव में प्रभुसत्ता का विभाजन न होकर उसके कार्यों का विकेन्द्रीयकरण है। इसके बाद भी सम्प्रभुता अविभाज्य रूप में जनता में निवास करती है। प्रभुसत्ता के विभाजन का अर्थ है पहले उसे अपने स्थान से हटाना।
3. **प्रभुसत्ता अदेय है :** रूसो के अनुसार किसी समुदाय को प्रभुसत्ता से दूर नहीं हटाया जा सकता। इसलिए यह अदेय है। रूसो के शब्दों में – "जिस कारण से प्रभुसत्ता अदेय है, उसी कारण से अविभाज्य भी है।" अतः रूसो की सम्प्रभुता अदेय है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक् नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सामान्य इच्छा से सम्प्रभुता को अलग करना सम्भव नहीं है। इसका हस्तान्तरण भी सम्भव नहीं है।

4. **प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता :** रूसो के अनूसार – "चूँकि सम्प्रभुता अदेय होती है और सामान्य इच्छा में निहित रहती है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता; इसलिए सम्प्रभुता का भी प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। प्रभुसत्ता जनता में निहित होने का कारण उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। "जैसे कोई जाति अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है, वह स्वतन्त्र नहीं रहती तथा अपने अस्तित्व को खो देती है।"

5. **सम्प्रभुता असीम है :** सामाजिक समझौते के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार अपने सामूहिक अस्तित्व को समर्पित कर देता है। अतः प्रभुसत्ताधारी पूर्ण सत्तासम्पन्न हो जाती है। सिद्धान्त के विरोध का अधिकार किसी को नहीं है तथा प्रभुसत्ताधारी के आदेश का पालन होता है।

6. **रूसो के अनुसार सम्प्रभुता सभी कानूनों का स्त्रोत है :** राज्य के समस्त कानून सम्प्रभु के द्वारा निर्मित होते हैं। सम्प्रभु कानून द्वारा अपनी इच्छा को व्यक्त करता है और अपने सारे कार्यों का सम्पादन करता है। सम्प्रभुता दोषातीत है, क्योंकि यह सामान्य इच्छा पर आधारित है। इससे त्रुटि की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

7. सम्प्रभुता एकता स्थापित करने का सूत्र है।

8. सम्प्रभुता सदैव न्यायशील होते है।

9. सम्प्रभुता अविच्छेद्यता का गुण भी रखती है। सामान्य इच्छा के रूप में यह जनता में रहती है। अतः इसको जनता से दूर नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि रूसो जनप्रभुता का उपासक है। उसकी सम्प्रभुता अदेय, अविभाज्य, असीम, दोषातीत है। सम्प्रभुता एकता का प्रतीक तथा कानून का स्त्रोत है। रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को आगे बढ़ाया है। उसने सम्प्रभु सामान्य इच्छा को अविभाज्य, अदेय, असीम, अप्रतिनिधिक तथा एकता का सूत्र कहा है। रूसो ने अपने सामान्य इच्छा के सिद्धान्त द्वारा जनता को सम्प्रभु बनाया है।

हॉब्स व लॉक से तुलना (Comparison with Hobbes Locke)

हॉब्स और रूसो के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचारों में समानताएँ हैं। दोनों सम्प्रभुता को असीम, अविभाज्य, अन्यिन्त्रित और निंरकुश मानते हैं। दोनों समझौते द्वारा अपने समस्त अधिकार सम्प्रभु को सौंपते है। इसी प्रकार लॉक व रूसो दोनों सम्प्रभुता का निवास स्थल समाज को मानते है। दोनों ने सम्प्रभुता को जनसहमति पर आधारित किया है। इन आधारभूत समानताओं के बावजूद भी तीनों की सम्प्रभुता सम्बन्धी धारणा में कुछ अन्तर हैं :—

1. रूसो तथा लॉक के अनुसार सम्प्रभुता समाज या समस्त समुदाय में निवास करती है, जबकि हॉब्स के अनुसार सम्प्रभुता शासन या सत्ता में निवास करती है।
2. रूसो तथा लॉक ने लोकप्रभुता के सिद्धान्त का समर्थन किया है, जबकि हॉब्स ने निरंकुश सम्प्रभुता का वर्णन किया है।
3. रूसो तथा लॉक ने राज्य व सरकार में भेद किया है, जबकि हॉब्स ने ऐसा कोई विभाजन स्वीकार नहीं किया है।
4. हॉब्स और रूसो के अनुसार सम्प्रभुता असीम, अविभाज्य, निंरकुश है, जबकि लॉक के अनुसार सम्प्रभुता निरंकुश नहीं हो सकती। निरंकुश सम्प्रभु के विरूद्ध जनता को विद्रोह करके उसे हटाने का अधिकार है।
5. हॉब्स निरंकुश राजतन्त्र का, लॉक सीमित राज्य का तथा रूसो लोकप्रिय प्रभुसत्तासम्पन्न प्रजातन्त्र का समर्थन करता है। लॉक अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र तथा रूसो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का समर्थन करता है।
6. हॉब्स व रूसो की सम्प्रभुता भ्रष्ट नहीं हो सकती, लॉक की सम्प्रभुता को विद्रोह द्वारा नष्ट किया जा सकता है।
7. हॉब्स की सम्प्रभुता एक व्यक्ति या समूह में, लॉक की सम्प्रभुता सारे समुदाय में तथा रूसो की सामान्य इच्छा में निहित है। हॉब्स के राज्य में व्यक्ति लॉक के राज्य में व्यक्ति तथा रूसो के राज्य में समाज में सम्प्रभुता निवास करती है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि निरंकुश सम्प्रभुता का समर्थक होते हुए भी रूसो लॉक से अधिक प्रजातांत्रिक है। रूसो का सम्प्रभु हॉब्स की तरह स्वेच्छाचारी नहीं है। रूसो का सम्प्रभु जनहित में कार्य करता है और जनसहमति पर आधारित होता है। तीनों समझौतावादी विचारकों की सम्प्रभुता सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण करने पर यह बात सामने आती है कि –"रूसो का प्रभुसत्ता सिद्धान्त हॉब्स की कानूनी एवं लॉक की राजनीतिक सम्प्रभुता का सम्मिश्रण है अर्थात् रूसो ने हॉब्स की कानूनी सम्प्रभुता और लॉक की राजनीतिक सम्प्रभुता के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।

2.10 रूसो का महत्त्व और योगदान (Importance and Contribution of Rousseau)

रूसो का राजनीतिक दर्शन में इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसे फ्रांस की क्रान्ति का अग्रदूत और आवारा मसीहा कहा जाता है। जी०डी०एच० कोल ने उसे 'राजदर्शन का पिता' कहा है। रूसो महान् विचारों का महान् भविष्यवक्ता है। उनकी प्रतिभा सर्वव्यापी थी और उसे आधुनिक युग में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। आधुनिक युग के सभी महान् राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति किसी न किसी रूप में रूसो में पाई जाती है। समाजवाद, लोकतन्त्र, सर्वसत्तावाद, उपयोगितावाद एवं आदर्शवाद जैसे आधुनिक विचार रूसो की ही देन है। इसलिए उन्हें आधुनिक युग का सबसे प्रभावशाली विचारक माना जाता है। वेपर के अनुसार – "उसने राजनीतिक शिक्षा, धर्म एवं साहित्य के क्षेत्र में अपनी सृदृढ़ तथा मौलिक प्रतिभा की छाप छोड़ी है।" लैन्सन के अनुसार – " वह आधुनिक युग की ओर जाने वाले प्रत्येक द्वार पर उपस्थित है।" प्रो० डनिंग के अनुसार – "रूसो के चिन्तन ने जनता को माण्टेस्क्यू को संतुलित तर्क तथा गम्भीर पर्यवेक्षण की अपेक्षा अधिक प्रभाविक किया है।" इस प्रकार रूसो का राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में बहुत महत्त्व है।

यद्यपि रूसो का चिन्तन विरोधाभासी व अस्पष्ट है, फिर भी रूसो ने राजनीतिशास्त्र को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त दिए हैं। उनके दर्शन में अधिनायक और रूमानी तत्त्वों का समावेश होने के बावजूद भी उसके महत्त्व को कम नहीं आंका जा सकता। उसकी राजनीतिक दर्शन को महत्त्वपूर्ण देन निम्नलिखित हैं :–

1. **सामान्य इच्छा का सिद्धान्त :** यह रूसो की सबसे अधिक मौलिक देन है। सामान्य इच्छा सिद्धान्त ने राजनीतिक जीवन में 'समुदाय' के महत्त्व की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। काण्ट, ग्रीन तथा बोसांके ने रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त को अपना आधार बनाया। हीगल की 'निरपेक्ष आत्मा' का विचार रूसो के दर्शन पर ही आधारित है।

2. **लोकप्रिय सम्प्रभुता का विचार :** जनता की प्रभुसत्ता सम्बन्धी सिद्धान्त रूसो को मौलिक विचार है। रूसो से पहले भी हॉब्स ने इस विचार को प्रस्तुत किया था, लेकिन उन्होनें राजा या शासन की प्रभुसत्ता की ही बात सोची थी। रूसो से पहले किसी विचारक ने सारी जनता को या सामान्य इच्छा को प्रभुसत्ता नहीं माना। सम्प्रभुसत्ता को स्थापित करके लोकप्रिय सम्प्रभुता के सिद्धान्त का शिलान्यास किया। रूसो ने घोषणा की – "जनवाणी देववाणी के सदृश है।" रूसो ने शासन का अधिकार जनता की सहमति को बताकर प्रजातान्त्रिक विचारों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार रूसो जनता की प्रभुता के विचार को सामान्य रूप में जनता तथा विशेष रूप में बुद्धिजीवियों के निकट लाए।

3. **राष्ट्रवाद का प्रणेता :** रूसो की राष्ट्र – राज्य की धारणा का विचार उनकी एक महत्त्वपूर्ण देन है। सामान्य भलाई, सामान्य हित तथा सामान्य इच्छा इन विचारों पर दिया गया उनका जोर जनता की एकता तथा एक–प्रणता से संयोजित होकर राष्ट्र–राज्य के रूप में विकसित हुए। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धान्त द्वारा राष्ट्रवाद के नैतिक पक्ष को प्रस्तुत किया। आगे चलकर हीगल ने राष्ट्र की आत्मा के रूप में रूसो की सामान्य इच्छा को ग्रहण करके जिस आदर्शवाद का प्रतिपादन किया, वह उग्र–राष्ट्रवाद में परिणत हुआ। यद्यपि वह स्वयं राष्ट्रवादी नहीं था, परन्तु समूह की एकता की भावना को महत्त्व देना तथा उसकी लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार ने राष्ट्रवादियों पर गहरा प्रभाव डाला। आधुनिक राष्ट्र–राज्य अपने अस्तित्व के लिए रूसो के ही विचारों के ऋणी हैं। राष्ट्र निर्माण के सभी संघटक रूसो की विचारधारा में मिलते हैं। सेबाइन ने लिखा है – "स्वयं एक राष्ट्रवादी न

होते हुए भी रूसो ने नागरिकता के प्राचीन आदर्श को एक ऐसा रूप देने में सहायता दी कि राष्ट्रीय भावना उसे अपना सके।

4. **राज्य का महत्त्व :** अन्य यूनानी विचारकों की तरह रूसों ने भी राज्य के खिलाफ व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिए। रूसो का मानना है कि मनुष्य के हित राज्य में ही सुरक्षित हैं। व्यक्ति राज्य के अन्दर ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। रूसो के मतानुसार राज्य अपने आप में साध्य न होकर सामान्य हित को प्राप्त करने का साधन है। राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों को सदाचारी बनाना है। इस प्रकार रूसो का राज्य चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन वह जन–कल्याण का एक उपकरण मात्र ही है।

5. **आदर्शवादी विचारधारा पर प्रभाव :** रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त का हीगल, काण्ट जैसे विचारकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। काण्ट का 'निरपेक्ष आदेश' हीगल की 'राष्ट्र की आत्मा' का विचार रूसो से ही प्रभावित है। रूसो के कारण आदर्शवादी विचारधारा में एक नए युग का सुत्रपात हुआ। इसने आदर्शवाद को अमूर्त बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया।

6. **उपयोगिता का अग्रदूत :** रूसो ने अच्छाई और बुराई का निर्णय करने के लिए सही मापदण्ड प्रदान किया। रूसो का कहना है कि यदि सामान्य हित साधना के मार्ग से हटकर कोई काम होता है तो वह बुरा है परन्तु यदि वह काम सार्वजनिक हित के लिए होता है तो वह अच्छा है। उसका सामान्य हित का विचार ही किसी अच्छे या बुरे का मापदण्ड है। किसी कार्य की उपयोगिता इसी कसौटी पर परखी जाती है। सामान्य हित के इस विचार ने बेन्थम और मिल जैसे उपोगितावादियों को अत्यन्त प्रभावित किया। इसलिए रूसो को उपयोगितावाद का अग्रदूत कहा जाता है।

7. **समाजवाद का पोषक :** समाजवाद का प्रमुख आधार यह है कि समाज ही प्रमुख है। रूसो व्यक्तिगत हितों की तुलना में समाज या समुदाय के हितों को ही प्राथमिकता देता है। रूसो का सामान्य इच्छा में व्यक्ति अपना हित देखता है। अतः यह सिद्धान्त समाजवाद का पोषक है।

8. **सर्वसत्ताधिकार का प्रणेता :** रूसो ने राज्य के व्यक्तित्व को इतना ऊचाँ उठा दिया है कि व्यक्ति और उसके सारे अधिकार राज्य में ही समा जाते हैं। राज्य ही लोगों के हितों का सरंक्षक बन जाता है। राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। रूसो ने राज्य को व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता व सम्पत्ति को निर्बाध शक्ति देकर राज्य को सर्वसत्ताधिकारवादी बना दिया है। आगे चलकर यह सिद्धान्त हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के लिए प्रेरणा–स्त्रोत बन गया।

9. रूसो ने राज्य व सरकार में स्पष्ट भेद किया है। रूसो का यह भेद राजनीति विज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण देन है।

10. **फ्रांस की क्रान्ति का अग्रदूत** : नेपोलियन के अनुसार – "यदि रूसो न होता, तो फ्रांस में क्रान्ति न होती।" वस्तुतः फ्रांस की क्रान्ति के मूल मन्त्र 'स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व' का शंखनाद करने वाला रूसो ही है। उनके कथन – "मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है, लेकिन सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है।" ने क्रान्ति की ज्वाला को तीव्र करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वयं क्रान्ति का समर्थक न होते हुए भी उसके सिद्धान्त को फ्रांस की क्रान्ति का प्रेरणा – स्त्रोत माना जाता है।

11. **रोमांसवाद का जनक :** रूसो की एक महत्त्वपूर्ण देन यह भी है कि उसने तर्क एवं युक्ति पर जोर देने वाले बुद्धिवाद के युग में रोमांसवाद का भी बीजारोपण किया। उसने विवेक की जगह भावना को महत्त्व दिया। इसलिए रूसो को रोमांसवाद का जन्म कहा जाता है।

2.11 निष्कर्ष(Conclusion):-

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूसो बहुमुखी प्रतिभा का धनी विचारक था। उसका सामान्य इच्छा का सिद्धान्त राजनीति शास्त्र को एक अमूल्य एवं महत्त्वपूर्ण देन है। उसने दर्शन ने आधुनिक विचारकों के मानव मस्तिष्क को पूरी तरह प्रभावित किया है। उसने ही फ्रांस की क्रान्ति का मन्त्र फूँका और लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धान्त पेश किया। उनकी पुस्तक 'सोशल काण्ट्रेक्ट'

आधुनिक राजनीतिक चिन्तन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण निधि है। आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं व्यक्तिवाद, समष्टिवाद, सर्वसत्तावाद, निरंकुशवाद, समाजवाद एवं लोकतन्त्र के विकास में रूसो का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वेपर के अनुसार – "रूसो ने अपनी सबल और मौलिक प्रतिभा की छाप राजनीति, शिक्षा, धर्म, साहित्य, सभी पर छोड़ी और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान तक आने वाले सभी मार्गों के प्रवेश द्वार पर उसे खड़ा पाया जाता है।" इसी प्रकार कोल के अनुसार – "रूसो का राजनीतिक प्रभाव समाप्त होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।" जे०एल० टैतमान ने उसे बीसवीं शताब्दी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत कहा है। अतः निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि रूसो के राजनीतिक दर्शन का राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में एक अमूल्य और बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान को भुलाया नही जा सकता।

2.12 शब्दावली (Keywords)–

अधिनायकवाद – निरंकुश तंत्र का सिद्धान्त

सावयव– शरीर

सहिष्णुता – सहनशीलता

निष्कासित– निकालना

2.13 स्व–मूल्यांकन (Self Assessment)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Question)–

(1)रूसो के राजनीतिक विचारों पर किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा?

(2) रूसो के संपति सम्बन्धी विचारों का उल्लेख करें।

(3)रूसो ने मानवीय प्रवृत्ति के बारे में क्या विचार दिए हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Question)–

(1) रूसो के प्रभुसत्ता सम्बन्धी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

(2)रूसो की स्वतन्त्रता तथा समानता सम्बन्धी अवधारणा की व्याख्या करें।

(3) रूसो के राजनीतिक चिन्तन में व्यक्तिवाद तथा निरंकुशतावाद का मिश्रण है। व्याख्या करें।

(4) रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

2.14सन्दर्भ सूची–

1. प्रभुदत्त शर्मा, राजनीतिक विचारों का इतिहास (प्लेटो से मार्क्स), कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 1967.
2. बी.एल.फाड़िया, पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन का इतिहास (प्लेटो से मार्क्स), साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2018.
3. जे.पी.सूद, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास (भाग–प्राचीन व मध्यकालीन), जे.नाथ एण्ड कंपनी, मेरठ, 2008.
4. सेबाइन, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, न्यूयार्क, 1973
5. पुखराज जैन, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त, साहित्य भवन, आगरा, 1988.
6. रघुवीर सिंह, मध्यकालीन विश्व का इतिहास, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली
7. ब्रायन आर. नेल्सन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेवलैंड प्रकाशन, 1996.
8. डी. बॉशर व पी. कैली, पॉलिटिकल थिंकरसः फ्रॉम सॉकरेटिज टू द प्रेजेंट, ऑक्सफोर्ड, 2009.
9. जे.कॉलमैन, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉटः फ्रॉम एंशियट ग्रीस टू अर्ली प्रिस्टियनीटी, ऑक्सफोर्ड, 2000.
10. सी.बी.मैकफर्सन, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पसैसिव इंडिवियुलिज्मः हॉब्स टू लॉक, 1962.
11. ली. स्ट्रॉस, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलॉस्फी, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, 1987.